Tuesday, 13 June, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)

Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 16 मंगलवार, 13, जून 1967/23 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 15–Tuesday, June 13, 1967/Jyaistha 23, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	हरिजनों द्वारा मत डालना	Calling of Votes by Harijans	1983–1985
452	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers	1985–1988
453	चीनी पर से नियंत्रण का हटाया जाना	Decontrol of Sugar	1988–1989
454	एयर इंडिया के लिये जेट विमान	Jets for Air India ..	1989–1991
455	कन्दरा भूमि कृष्यकरण बोर्ड	Ravine Reclamation Board ...	1991–1992
457	इस्पात के निर्यात के लिये बन्दरगाह की सुविधाएं	Port Facilities for Export of Steel...	1992–1993
458	राशन सम्बन्धी नीति	Rationing Policy ...	1993–1996
अल्प सूचना प्रश्न सं. S. N. Q. Nos.			
11	स्टाकहोम में होने वाले प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन	Copyright Conference at Stockholm	1996–1999

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
456	गेहूँ का केन्द्रीय भण्डार	Central Wheat Pool ...	2000
459	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	IAC	2000–2001
460	खाद्य तथा उर्वरक के लिये राज सहायता	Subsidies on Food and Fertilizers... ..	2001
461	बिहार के लिये बमें तथा छिद्रण करने के उपकरण	Rigs and Drilling Equipment for Bihar	2001–2002
462	विमानों के किराये	Air Fares ...	2002
463	वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिये भूमि का प्रयोग	Diversion of land to cash crops ..	2003
464	अनाज के राशन में कमी	Reduction in Food Ration	2003–2004
465	खाद्य उत्पादन संबंधी आंकड़े	Statistics about food production ...	2004

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

466 निःशुल्क भोजनालयों के लिए राज्यों को खाद्यान्न का नियतन	Food allotment to States for free Kitchens..	2004-2005
467 खाद्य की कमी	Scarcity of foodgrains	2005
468 मध्य प्रदेश सरकार की खाद्य नीति	Food Policy of M.P. Government...	2005-2006
470 रुस की सहायता से राजकीय यंत्रीकृत बीज फार्म	State machanised seed farms with Soviet assistance	2006
471 सघन कृषि जिला कार्यक्रम	Intensive Agricultural District programme	2007
472 भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद	Purchase of foodgrains by Food Corporation of India	2007-2008
473 भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	2009
474 बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of foodgrains to Bihar	2009
475 दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	2010
476 देहली में दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाईयों पर प्रतिबन्ध	Ban on Sweets prepared from Milk and Khoya in Delhi	2008-2009
477 हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दूध भेजने पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of milk to Delhi from Haryana and Uttar Pradesh	2010-2011
478 बर्मा तथा स्पेन से चावल	Rice from Burma and Spain	2011
479 कृषि उत्पाद मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission ..	2011-2012
480 चीनी मिलों का प्रबन्ध	Management of Sugar Mills	2012

अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.

2186 दिल्ली में राशन की दुकानों पर अनाज	Foodgrains at Delhi Ration Shops	2012-2013
2188 बिहार में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultal University in Bihar ..	2013
2189 कनाडा से भारत को खाद्यान्न सहायता	Canadian Food aid to India ..	2013-2014

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2190	बिहार में पर्यटक महत्व के स्थान	Places of Tourist importance in Bihar	2014
2191	महेशी स्टेशन–सीतामढी रोड	Maheshi Station Sitamarhi Road	2014–2015
2192	मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Road Transport in Madhya Pradesh ...	2015
2193	भारत और जापान के बीच कृषि सहयोग	Agricultural Cooperation between India and Japan ...	2015–2016
2194	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इन्डिया के विमान चालक	Pilots of IAC and Air India	2016
2195	त्रिपुरा में अन्न की कमी	Food Deficit in Tripura ...	2016–2017
2196	दिल्ली में बिना राशन वाले क्षेत्रों से देशी गेहूं की खरीद	Purchase of Indigenous Wheat from non-rationed areas in Delhi ..	2017
2197	सिविल प्रक्रिया संहिता	Civil Procedure Code	2017
2198	गैर–सरकारी कृषि फार्म	Private Agricultural Farms ..	2017–2018
2200	कृत्रिम बन्दरगाह	Artficial Harbours ..	2018–2019
2201	नौवहन समवाय	Shipping Companies ...	2019
2202	दिल्ली की चावल और गेहूं की मांग	Delhi Requirments of rice and wheat ...	2019
2203	दहेज निवारण विधि	Dowry Prevention Law ...	2019–2020
2204	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in Andaman and Nicobar Islands ...	2020
2205	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पशु चिकित्सा अस्पताल	Veterinary Hospitals in Andman and Nicobar Islands ..	2020
2206	गोवा, दमन और दीव में पर्यटक महत्व के स्थान	Places of Tourist Interest in Goa. Daman and Diu ...	2020–2021
2207	डा. धर्म तेजा के भारत से चले जाने के बारे में जांच	Enquiry into the escape of Dr. Dharam Teja ...	2021
2208	बिहार में कपड़े की कमी	Clothing Shortage in Bihar	2021–2022

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2209	खाद्य उत्पादन पर व्यय	Expenditure on Food Production	2022-2023
2210	राष्ट्रपतीय सरकार	Presidential Form of Government	2023-2024
2211	दिल्ली की सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Cooperative Societies in Delhi ...	2024
2212	दिल्ली परिवहन	D. T. U.	2024-2025
2213	हरियाना से गायों और बछड़ों का निर्यात	Export of Cows and Calves from Haryana...	2025-2026
2214	भागीरथी योजना	Bhagirathi Scheme	2026
2215	किसानों को ऋण	Loan to Agriculturists	2026-2027
2216	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो जेट विमानों का चलाया जाना	Avro Jets to replace Dakotas by I. A. C.	2027
2217	दिल्ली कनाडा विमान सेवा	Delhi Canada Air Service ...	2027-2028
2218	विदेशों से अनाज	Foodgrains from Foreion Countries	2028
2219	सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा निवृति होने के बाद खेती का काम	Agricultural Operation by Government Employees after Retirement ...	2028-2029
2220	मैक्सिकन किस्म का गेहूं	Mexican variety of Wheat	2029
2221	दिल्ली दुग्ध योजना के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against DMS	2029
2222	बराहा में पत्तन	Port at Varaha	2029-2030
2223	अनाज में आत्म निर्भरता	Self Sufficiency in Food	2030
2224	जापान से चावल मिलों की मशीनों का आयात	Import of Rice Mills from Japan ...	2030-2031
2225	ताईचुंग नेटिव-1 धान	Taichung Native-Paddy	2031
2226	फफूंदी रोग	Rust Disease	2031-2032

श्रता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWES TO QUESTIONS		
2227	उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार मूल्य	Procurement Price of rice in Orissa	2032-2033
2228	भारत और जर्मनी की कृषि परियोजना	Indo-German Agricultural Project	2033
2229	उड़ीसा में पटसन का उत्पादन	Jute Production in Orissa ...	2033-2034
2230	उड़ीसा में सहकारी चावल मिलें	Co-operative Rice Mills in Orissa	2034
2231	उड़ीसा में छोटे पत्तन	Minor Ports in Orissa	2034-2035
2232	नौवहन उद्योग	Shipping Industry	2035
2233	पी. एल. 480 के अधीन अन्न का आयात	Foodgrains imported under PL 480	2035-2036
2234	फसल बीमा योजना	Crop Insurance	2036
2235	क्विलोन में उपसड़क तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47	By pass and National Highway-47 at Quilon	2036-2037
2236	दिल्ली दुग्ध योजना के घी की कमी	Shortage of D. M. S. Ghee	2037-2038
2237	हरियाना को गेहूं की सप्लाई	Suppy of Wheat to Haryana ...	2038
2238	होटल विकास निधि	Hotel Development Fund ..	2038-2039
2239	एवरो 748	Avro 748 ...	2039
2240	चीनी के मूल्य में वृद्धि	Increase in Sugar Price ..	2039
2241	बिभिंजम फिशिंग हार्बर परियोजना	Vizhinjam Fishing Harbour Projects	2039-2040
2242	राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected Areas in States ...	2040
2243	संसद् सदस्यों की कारों की नम्बर प्लेट	Car number plates to M. Ps.	2040-2041
2244	नियंत्रित खाद्यान्न	Controlled Foodgrains	2041
2245	भारतीय वन अधिनियम में संशोधन	Amendment of Indian Forests Act ..	2041-2042

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अतां. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2246	भारतीय वनों का सर्वेक्षण	Survey of Indian Forest ...	2042
2247	पर्यटन के विस्तार के लिए पुस्तिका तथा पढने का सामान	Booklets and Reading Materials for Promotion of Tourism	2042
2248	पटसन उत्पादकों के लिये सुविधाएं	Facilities for Jute Growers	2043
2249	अनाज की अनिवार्य वसूली	Compulsory Procurement of Foodgrains ...	2043-2044
2250	कोचीन पत्तन	Cochin Port ...	2044
2251	उड़ीसा को गेहूं और चीनी का नियतन	Allotment of wheat and sugar to Orissa ..	2044-2045
2252	वर्ष 1966-67 के दौरान बागवानी का विकास	Development of Horticulture during 1966–67 ..	204
2253	मध्य प्रदेश में पंचायती राज	Panchayati Raj in M. P	2045-2046
2254	उड़ीसा में लगाये गये नल कूप	Tubewells sunk in Orissa	2046
2255	उड़ीसा से चावल की सप्लाई	Rice Supply from Orissa	2046
2256	उड़ीसा के लिए चीनी का आवंटन	Allotment of Sugar to Orissa	2047
2257	उड़ीसा में कृषि उत्पादन के लिए ऋण	Loan for Farm Output in Orissa	2047
2258	उड़ीसा में उड्डयन (फ्लाइंग) क्लब	Flying Clubs in Orissa ...	2048
2259	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways ..	2048
2260	पालम हवाई अड्डे पर बिना शुल्क की दुकानें	Duty Free Shops at Palam Airport	2049
2261	केन्द्रीय अधिनियम	Central Acts	2949
2262	भूमि विकास निगम	Land Development Corporation	2049-2050

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2263	रबि की फसल	Rabi Cultivation	2050
2264	रूस तथा अमरीका द्वारा गेहूँ की सप्लाई	Wheat supply from USSR and USA ..	2050
2265	देश में विभिन्न नदियों को मिलाकर जल मार्ग बनाना	Waterway by Linking Various Rivers in the Country ...	2051
2266	चौथी योजना में पर्यटन विकास	Development of Tourism during Fourth Plan	2051
2267	फार्म सेवा केन्द्र	Farm Service Centres	2051–2052
2268	धान तथा गेहूं की उपज में वृद्धि	Increase in Yield of Paddy and Wheat ..	2050
2270	वास्कोडिगामा पत्तन के कर्मचारी	Workers at Vasco-de Gama Port ..	2052–2053
2271	अनाज का समाहार मूल्य	Procurement price of foodgrains ...	2053
2272	स्कूटर टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints againts Scooter/Taxi Drivers ..	2053–2054
2273	जोरहाट में टर्मिनल इमारत	Terminal Building at Jorhat	2054–2055
2274	आसाम में काजीरंगा शिकारगाह जाने के लिये विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं	Facilities for Tourists to Visit Kazirange Game Sanctuary in Assam	2055
2275	पंचायती राज संस्थाओं के लिये निर्वाचन	Eiections to Panchayati Raj	2055–2056
2276	मध्य प्रदेश में अधिक पैदावार देने वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम	High Yielding Crop Programme in Madya Pradesh ..	2056–2057
2277	खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains	2057
2278	नीदरलैंण्ड से उर्वरक का आयात	Import of Fertilizer from Netherlands ..	2057–2058

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2279	दूध की सप्लाई के कार्डों का जारी किया जाना	Issue of Milk Cards	2058
2280	विमान दुर्घटना	Air Accident	2058–2059
2281	हिन्दूस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard Visakhapatnam	2059
2282	भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद	Translatiou of India Acts into Hindi	2059–2060
2283	अन्तर्देशीय बस परिवहन	Trans-country bus Transport	2060
2284	पश्चिमी घाट सड़क	West Coast Road	2060
2285	जमा हुई चीनी का पकड़ी जाना	Seizure of Hoarded Sugar	2061
2286	लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seates for S. C. & S. T. in Lok Sabha and Legislative Assemdlies ..	2061
2287	अकालग्रस्त राज्यों का दौरा	Tour of Famine Affected States	2061–2062
2288	विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में अन्तर	Disparity in prices of Foodgrains in different States	2062
2289	बीज निगम	Seed Corporations	2062–2063
2290	चीनी मिलों के लिए लागत सूचियां	Cost Schedules for Sugar Factories –	2063
2291	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Progrmme ..	2064
2292	चौगले स्टीमशिप कं.	Chougule Steamship Co, ...	2064–2065
2293	बम्बई-गोआ रोड	Bombay-Goa Road	2065
2294	गोआ, दमन और दीव को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizer to Goa, Daman and Diu	2065–2066
2296	गोहाटी के लिए सुपर बाजार	Super Bazar for Gauhati	2066

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2297	आसाम में कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural University in Assam..	2066-2067
2299	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में विकसित किया गया गेहूँ का बीज	Wheat seeds developed at Agricultural Research Institute	2067
2300	उडीसा को ट्रेक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to Orissa ..	2067-2068
2301	वनस्पति के दाम	Prices of Vanaspati	2068
2302	पूर्वी उत्तर प्रदेश में नल-कूप लगाना	Installation of tube wells in Eastern U. P...	2068-2069
2303	इमारती लकड़ी वाहक जहाज	Timber Loader Ship ..	2069-2070
2304	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी के मूल्य	Prices of Timber in Andaman and Nicobar Islands	2070
2305	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Andaman & Nicobar Islands Tourist Centres	2070-2071
2306	एम. वी. अन्दमान और एम. वी. निकोबार जहाजों से रास्ते में माल की चोरी	Pilferage of Goods in Transit from 'M. V. Andaman' and M. V. Nicobar	2071
2307	आसाम को भेजा गया माल	Cargo for Assam	2071 2072
2308	भारत को खाद्यान्न लाने वाले जहाजों का मार्ग परिवर्तन	Diversion of Ships Carrying food to India ..	2072
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	2072-2073
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	2073-2075

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(i) पश्चिमी बंगाल के उप मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृह–कार्य मत्री पर आरोप लगाना	(i) Charges levelled by Deputy Chief Minister of West Bengal against Union Minister of Home Affairs ..	2073–2075
श्री यशपालसिंह	Shri Yashpal Singh	
श्रो यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
भारतीय राजनयिकों के चीन में निरोध के समाचार के बारे में	Re. Reported Detention of India Diplomatic Personnel in China	2075
सभा पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	2075
नक्सलबाड़ी की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Nexalbari	2075–2076
भारत–वर्मा सीमा करार के बारे में वक्तव्य	Statement Re. India Burma Boundary Agreeement	2076–2080
सामान्य आय-व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा	General Budget 1967–68 General Discussion ..	2080
डा. सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	2081
डा. अ. ग. सोनारा	Dr. A. G. Sonar	2084
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri B. S. Sharma	2084
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	2085
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	20-5
श्री रा की. अमीन	Shri R. K. Amin	2086
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	2089
श्री इसहाक सम्भाली	Shri Ishaq Smbhali	2091
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ..	2092
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (जारी)	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance Contd.	2093–207
चीन द्वारा भारतीय राजनियकों का निरोध	Detention of Indian Diplomats by China	

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी	Shri S. S. Lothari	
श्री मु. क. छागला	Shri M. C. Chagla	
नकस्लबाड़ी और खारीबाड़ी की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Situation in Nexalbari and Kharibari	2097
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shir Kanwar Lal Gupta	2099
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhari	2100
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	2100
श्री समर गुह	Shri Samar Ghua	2100
डा. राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	2101
श्री क. प्र. सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	2101
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	2101
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	2102
श्री पं. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	2102
श्री जी. भा. कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	2103
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2103

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 जून, 1967/ 23 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Tuesday, June 13, 1967/Jyaistha 23, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हरिजनों द्वारा मत डालना

+
***451. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत साधारण निर्वाचनों के दौरान अनेक राजनीतिक दलों ने हरिजनों को बहुत से स्थानों पर मत डालने से निवारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि अनेक राजनीतिक दलों द्वारा हरिजनों को बहुत से स्थानों पर मत डालने से निवारित किया गया था। निर्वाचन आयोग में केवल तीन शिकायतें, एक उत्तर प्रदेश से और अन्य दो बिहार से, प्राप्त हुई थीं कि उपद्रवी तत्वों द्वारा कुछ हरिजन मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने से निवारित किया गया था। ये शिकायतें अस्पष्ट होने और मतदान की तारीखों के पश्चात् प्राप्त होने के कारण, कोई कार्रवाई सम्भव या आवश्यक नहीं समझी गई।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Govt. have invited the report on this matter through the Home Ministry from the various States or the reply given is based on

the report of the Election Commission ? Moreover there is contradiction in the reply. First there is denial and later on there is admission that some complaints have been received.

श्री दा० रा० चव्हाण : उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रश्न की भाषा के अनुसार उत्तर दिया गया है। दूसरे यह जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई थी, क्योंकि सम्पूर्ण निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में किये जाते हैं और निर्वाचन आयोग ही तत्सम्बन्धी जानकारी देता है।

Shri Bibhuti Mishra : I asked whether you have collected this information through the Ministry of Home affairs.

श्री दा० रा० चव्हाण : हमने यह जानकारी गृह मन्त्रालय के जरिये नहीं मंगाई है।

Shri Bibhuti Mishra : What action have Govt. taken to prevent such happenings in future to ensure that every voter can cast his vote freely ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में ऐसी व्यवस्था है और इसके अधीन कुछ अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे दिये जाते हैं जिससे वह मतदान व्यवस्थित रूप से और शान्तिपूर्ण वातावरण में करा सके।

Shri K. N. Tiwari : I would like to know the parties which have prevented Harijans to cast their votes.

श्री दा० रा० चव्हाण : केवल तीन शिकायतें मिली हैं। एक मथुरा (उत्तर प्रदेश) की सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से और दो अन्य शिकायतें बिहार की हाजीपुर तथा इस्लामपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से। पहले मामले में शिकायत अस्पष्ट थी। मथुरा संसदीय चुनाव-क्षेत्र के मामले में यह शिकायत थी कि वहां उपद्रव हुए और कुछ व्यक्तियों को राय देने से रोक दिया गया। तीसरे मामले में यह लिखा गया था कि यदि उचित व्यवस्था न की गई तो 300 मत-दाता मतदान नहीं कर पायेंगे। इस्लामपुर संसदीय चुनाव-क्षेत्र के मामले में संयुक्त सोसलिष्ट पार्टी के उम्मीदवार ने प्रजा सोसलिष्ट पार्टी के एक कार्यकर्त्ता के विरुद्ध शिकायत की थी।

श्री कंडप्पन : क्या हरिजनों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

Shri Ram Krishan Gupta : May I know whether several thousand Harijans have been prevented from casting their votes in the bye-election in Bahadurgarh ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसके उत्तर के लिये सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का हवाला देते हुए एक अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

Shri S. C. Jha : May I know whether Harijans have been prevented from casting their voutes by Congress Party in Madhubani Parliamentary Constituency and Jhanjharpar

Legislative Assembly constituency and whether a Harijan was put to death on Rudrapur polling booth.

श्री दा० रा० चव्हाण : इन निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग से पूछताछ की जा सकती है ।

Shri Sheo Narain : Will the Govt. appoint a Commission to enquire into the whole matter ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन आयोग एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी आंकड़े आदि दिये जाते हैं । उससे विस्तृत जानकारी मिल जाती है । अतः अलग से किसी आयोग को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee : There have been cases in the Fourth General Elections where people have been deprived of their right of exercising their frenchise by using force. This is a new trend. May I request the Hon. Minister to tell whether some steps will be taken to avoid the repition of the same in future elections ?

श्री दा० रा० चव्हाण : निर्वाचन व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण ढंग से तभी सम्पन्न हो सकते हैं जबकि निर्वाचन में भाग लेने वाले सब दल और अन्य लोग इसके लिये सहयोग दें ।

Shri P. L. Barupal : Are the Govt. aware of the fact that some Harijans have been beaten up in Upania village of Jhajhar tehsil of Naryana State, because they gave their votes to the Congress Party. Do the Govt. know of the similar happenings in Rajasthan ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इन घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है । तथापि मैं इन मामलों के बारे में पूछताछ करूंगा ।

Shri Abdul Ghani Dar : The Minister told that three reports had been received from Bahadurgarh. Does it in any way effect the election of Ram Krishan Guptas' party ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने यह कहा था कि पूरे देश से निर्वाचन आयोग को इस प्रकार की केवल तीन शिकायतें मिली हैं । वे बहादुरगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र से नहीं मिली हैं ।

उर्वरकों के मूल्य

+

***452. श्री मधु लिमये :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कंडप्पन : **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के मूल्य चाहे वे भारत में तैयार किये गये हों अथवा विदेशों से मंगाये गये हों, बहुत अधिक हैं;

(ख) क्या मूल्य अधिक होने के कारण साधारण किसान उन्हें खरीद नहीं सकते;

(ग) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस समय भारत में उर्वरकों के मूल्य क्या हैं और वर्ष 1965 की तुलना में वे कितने कम अथवा अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया—देखिये एल० टी० संख्या 619/67]

Shri Madhu Limaye :The prices fixed by the Agricultural Prices Commission are much lower than the cost of production of agricultural produce. In view of it and to reduce the cost of production will the Government make arrangement to p ovide fertilizers on cheaper rates and on credit basis ? Will the farmers be allowed to repay this debt in form of foodgrains and will they be allowed the full subsidy ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सरकार ने अनाज वसूली के लिये जो दाम निश्चित किये हैं वे उन दामों से ऊँचे हैं जो कृषि उत्पादन मूल्य आयोग ने स्थिर किये थे। मूल्य स्थिर करते समय कृषि उत्पादन मूल्य आयोग उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखता है। जहाँ तक उर्वरकों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का सवाल है हम उर्वरकों पर 50 से 57 करोड़ रुपये की राज सहायता (सबसिडी) दे रहे हैं। इनके दामों में वृद्धि होने पर भी इन पर 19 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। जहां तक वसूली कीमतों का सम्बन्ध है इस वर्ष उनमें भी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पंजाब में 20 से 30 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 40 से 50 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 10 से 20 प्रतिशत हुई है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Govt. will give more subsidy on fertilizers in famine affected areas of U. P., Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : फिलहाल हम संघ राज्य क्षेत्रों के उन इलाकों में अधिक राज-सहायता दे रहे हैं जहां कृषि पिछड़ी हुई है। उन स्थानों पर जिनका जिक्र सदस्य महोदय ने किया है वहां के किसान पिछड़े हुए हैं। उन गरीब किसानों को उदार फसली ऋण देकर वहां की कृषि समस्या को सुलझाया जा सकता है क्योंकि फिर गरीब किसान भी उर्वरक खरीद सकेंगे।

श्री कंडप्पन : उर्वरकों के दामों में वृद्धि हो जाने पर भी उर्वरकों के मामले में गोलमाल हो रहा है। क्या सरकार यह प्रयास करेगी कि किसानों को उर्वरक सरकार द्वारा निश्चित दामों पर मिलें और व्यापारी उन्हें स्थिर दामों से अधिक पर न बेच पायें ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : नाइट्रोजन उर्वरकों का $\frac{2}{3}$ भाग बाहर से आयात किया जाता है जो उर्वरक पूल द्वारा पूर्व निर्धारित दामों पर बेचा जाता है। देशी उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत को 1 अप्रेल 1967 से मुक्त भावों पर बेचने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय

पोटाश की कीमत राज्य व्यापार निगम के परामर्श से स्थिर की जाती है, फासफोरस किस्म के उर्वरकों की कीमत भारत के उर्वरक संगठन द्वारा निश्चित की जाती है।

श्री कंडप्पन : मेरा प्रश्न यह था कि उर्वरकों के फुटकर भावों में उत्पादकों द्वारा मनमानी वृद्धि किये जाने पर रोक लगाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उन्हें अपने माल को बेचने की पूरी स्वतन्त्रता है। वे जिस स्थान पर चाहें उसे बेच सकते हैं।

Shri Ramavtar Shastri :The price of a bag weighing 100 Kg. is raised from Rs. 41/- to Rs. 51/-. Is it an incentive given to farmers for increasing their agricultural production ? May I know where the demand for fertilizers has increased or decreased following the increase in the prices of fertilizers ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मूल्यों के बारे में विवरण में बता दिया गया है। जहां तक मांग का सम्बन्ध हैं, मांग की अपेक्षा उर्वरक कम मात्रा में उपलब्ध है। दाम बढ़ जाने पर भी मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक है।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that the prices of foodgrains have increased in the ratio, in which the prices of fertilizers have increased ? I would like to know whether the Govt. have received some proposals from State Govts. or Congress Organizations suggesting the remedy for bringing decrease in the prices of foodgrains ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस आशय के विचार समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से प्रकट किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रतिवेदन किसी राज्य सरकार से नहीं मिला है। उर्वरक की कीमतों में वृद्धि होने से प्रति एकड़ उत्पादन लागत बाजरे के लिये 10.55 रुपये, ज्वार के लिये 15.42 रुपये और गेहूँ, धान और मक्का के लिये 20.30 रुपये की वृद्धि हुई है।

Shri Shiv Kumar Shastiria : Is hon. Minister aware of the fact that the farmers have to purchase the fertilizers in black market and the adulterated fertilizers are being supplied to them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ऐसी शिकायत की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उर्वरक के वितरण का काम राज्य सरकारें सहकारी समितियों के माध्यम से करती है। अतः इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास नहीं आती हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या उर्वरकों के दाम बढ़ने का कारण यह है कि उर्वरक कारखानों में पूर्ण क्षमता से काम नहीं हो रहा है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी नहीं। इस सम्बन्ध में पैट्रोलियम और रसायन मंत्री से एक पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या छोटे और बड़े भूमिधर को उर्वरक भिन्न भिन्न कीमतों पर दिये जाते हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उर्वरक देते समय छोटे और बड़े किसान में कोई अन्तर नहीं किया जाता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : अन्न के उत्पादन को बढ़ाने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उर्वरकों की सप्लाई अधिक मात्रा में करेगी, क्योंकि कीमत का मांग और पूर्ति से घनिष्ट सम्बन्ध होता है ? अगली योजना में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी जिससे किसानों को उचित दामों पर यथोचित मात्रा में उर्वरक मिल सकें ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस वर्ष पहले की अपेक्षा 50 से 60 प्रतिशत अधिक उर्वरक किसानों को दिया जायेगा। उदाहरणार्थ, इस वर्ष नाइट्रोजन 13.5 लाख टन, फासफोरस 5 लाख टन और पोटाश 2.17 लाख टन उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा।

चीनी पर से नियंत्रण का हटाया जाना

+
*453. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के मालिकों ने चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से चीनी पर से नियंत्रण हटाने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार कर लिया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान स्थिति ऐसी है, जिसमें चीनी पर से नियंत्रण हटाना सम्भव नहीं है।

Shri Yashpal Singh : What is the hurdle in the way of decontrolling the sugar. On account of the control on sugar U. P. Govt. have suffered a loss of Rs. 150 crores. How will it be made good ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the reasons for not decontrolling the sugar ? If fall in the sugar production is one of the reasons, why has its production gone down ? What is its production now ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : एक मुख्य कारण यह है कि अब चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यदि चीनी पर से नियंत्रण उठा लिया जायेगा तो उसके दाम एक दम बहुत बढ़

जायेंगे। इससे अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष चीनी का उत्पादन 21.8 लाख टन हुआ है जबकि गत वर्ष चीनी का उत्पादन 35 लाख टन हुआ था।

Shri Achal Singh : If there is acute shortage of sugar in the country, can it not be imported from other countries as it was done in 1956 by Shri Rafi Ahmad Kidwai ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम चीनी का आयात करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के हित में नहीं है।

एयर इंडिया के लिये जेट विमान

+

***454. श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई बेड़े के लिये दो अतिस्वन (सुपरसोनिक) "कौनकोर्ड" जेट विमानों के लिये क्रयादेश दिये थे;

(ख) क्या अब उक्त क्रयादेश रद्द करके उन विमानों के स्थान पर चार बोइंग–747 विमान, जो "जम्बो" जेट विमान कहलाते हैं, मंगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो पहले के क्रयादेश को रद्द करने के लिये एंग्लो-फ्रेंच कम्पनी को अनुमानतः कितनी दण्ड राशि देनी पड़ेगी; और

(घ) किन परिस्थितियों में पहले के क्रयादेश रद्द करने का निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ग) एयर इंडिया ने कौनकोर्ड विमान खरीदने के लिये कोई पक्का क्रयादेश नहीं दिया है। लेकिन, ऐसे दो विमानों की वितरण व्यवस्था के आरक्षण के लिये, कारपोरेशन ने एक समझौता किया है जिसमें संविदा से अलग हो सकने की भी व्यवस्था है।

(ख) और (घ) बोइंग 747 (जम्बो जेट) खरीदने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know the time by when these 'Concorde' Jets will be ready and supplied to Air India ?

डा० कर्ण सिंह : विमान सेवा के सम्बन्ध में दो आमूल परिवर्तन साथ साथ किये जाने हैं। एक तो बड़े विमान लाये जायेंगे, जिनमें 450 से 500 यात्री तक बैठ सकें। दूसरे विमान के उड़ने की गति में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी और यह गति 2000 मील प्रति घंटे तक होगी। कौनकोर्ड सुपरसोनिक जेट विमान और अमरीकन एस० एस० टी० विमानों के बारे में विचार किया जा रहा है और कुछ महीनों के अन्दर इस बारे में निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : May I know by when the Govt. is likely to purchase these planes ?

Dr. Karan Singh : By 1974 they are likely to be ready. But whether we will purchase them or not, it is still under consideration.

Shri Madhu Lim ye : After the introduction of these big jet planes, we will have to remodel our airports in order to accommodate them. May I know whether some plan has been prepared for it, if so, the total expenditure likely to be incurred on this programme ?

Dr. Karan Singh : It is an important thing that our airports should be suitable for landing of these supersonic jets. So one or two aerodromes in India will be renewed accordingly; though mostly they will be on international routes. We have to select out of Delhi, Bombay, Madras and Calcutta.

श्री उमा नाथ : ये विमान बहुत बड़े हैं और इनमें कुछ स्थान खाली रहा करेंगे। इस प्रकार ये भारत के लिये अल्पभकर रहेंगे। क्या यह सच है ? इन विमानों के तैयार होने से पहले ही इनके बारे में समझौता क्यों किया जा रहा है ?

डा कर्ण सिंह : मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि एयर इंडिया विश्व में अच्छी विमान सेवाओं में से एक मानी जाती है। चूंकि विश्व की अन्य सेवाएं ऐसे विमान खरीद रही हैं, इसलिये उनके समान स्तर बनाये रखने के लिये हमें भी ऐसे विमान खरीदने होंगे। 'जम्बो' विमान अलाभकर हैं, यह कहना उचित नहीं है। इनकी अधिक क्षमता की वजह से प्रति यात्री पर खर्च कम पड़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। दूसरे, यदि इनके लिये पहले से ही क्रयादेश नहीं दिये जायेंगे तो हमें ये विमान उचित समय पर न मिल सकेंगे, जबकि अन्य देशों की विमान सेवाओं को ये पहले ही मिल जायेंगे।

श्री रमानी : विदेशी मुद्रा के वर्तमान सकट में क्या यह उचित नहीं है कि ऐसे महंगे विमानों को न खरीदा जाये ?

डा० कर्ण सिंह : यदि एयर इंडिया में सबसोनिक विमान ही रहेंगे तो अन्य देशों की विमान-सेवा की तुलना में हमारी विमान सेवा पिछड़ जायेगी। इसलिये इन विमानों का खरीदना अनिवार्य हो जाता है।

Shri Manibhai J. Patel : I would like to know the cost of these planes, Air India going to purchase.

डा० कर्ण सिंह : कौन कोर्ड की कीमत शुरु में 130 लाख डालर थी, परन्तु उसकी कीमत शायद बढ़कर 180 से 200 लाख डालर तक हो जायेगी। एलुमिनियम से बने एस० एस० टी० की कीमत 150 लाख डालर हैं और इस्पात से बने एस० एस० टी० की कीमत 300 लाख डालर है।

श्री स्वैल : हवाई अड्डों में यथावश्यक सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये क्या मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय में कोई अलग विभाग खोला है ? नये हवाई अड्डों के

पुर्निर्माण के लिये क्या विदेशों से इंजिनियर बुलाये जायेंगे या भारतीय युवक इंजिनियरों को अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : हमारे देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है। हम इन चारों को ही अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के उपयुक्त बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एयर इंडिया के प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है, यह समिति एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद ही हम यह निश्चय करेंगे कि हवाई अड्डों को नया रूप देने के लिये विदेशों से इंजिनियर बुलाये जायें या अपने इंजिनियरों को बाहर भेजा जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह गारन्टी दे सकते हैं कि जो विमान खरीदे जा रहे हैं इनमें से नवीन कोई विमान अभी उपलब्ध नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की कोई भी कैसे गारन्टी दे सकता है।

श्री पीलु मोदी : इन विमानों के खरीदने सम्बन्धी समझौते करने में देर क्यों की जा रही है ? क्या इन विमानों के बराबरी के रूसी विमानों के लिये प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री कर्णसिंह : मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि 'जम्बो' विमान खरीदे जायें।

कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड

+

*455. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री बाबुराव पटेल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात की सरकारों के परामर्श से कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में 8 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक प्रस्ताव दिनांक 16 फरवरी, 1967 के अनुसार एक केन्द्रीय कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड की स्थापना की गई है। यथा शीघ्र बोर्ड की पहली बैठक शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बाबूराव पटेल : मुझे इस प्रश्न के बारे में यह आपत्ति है कि मेरा नाम इस प्रश्न के साथ फिजूल में ही जोड़ दिया गया है। मेरा इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में छानबीन करूंगा।

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know whether some hotels are being run in Bihar by the Govt. on the pattern of the hotels run by the institution like Bihar Relief Committee and Ram Krishan Mission.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

Shri Y. S. Kushwah : May I know the Personnel of the Board, whether it includes a representative of Central Govt. or not and when its first meeting will be convened ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस बोर्ड में 15 सदस्य हैं। केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग का सचिव इसका प्रधान होगा और इसमें उन विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा जहां जहां कन्दरा-भूमि है, जैसे यू० पी०, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसके अतिरिक्त इंसपैक्टर जनरल आफ फोरेस्ट्स, कृषि आयुक्त और सोयल कंजर्वेशन के कुछ विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।

Shri Manubhai Patel ; How much land in Bihar will fall into the category of ravin land, which will be dealt with by this Board ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार गुजरात में 9,88,000 एकड़ कन्दरा भूमि है।

इस्पात के निर्यात के लिये बन्दरगाह की सुविधाएं

+

***457. श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी बड़े बन्दरगाहों में निर्यात की सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण विदेशों को इस्पात का निर्यात करने के लक्ष्य में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। बड़े पत्तनों पर इस्पात निर्यात करने की सुविधायें पर्याप्त समझी जाती है। बशर्ते कि निर्यातक पत्तन अधिकारियों से निकट का संपर्क रखें और रेल डिब्बों से शीघ्रता से माल उतारने के सुनिश्चयन के लिये पूर्व योजना बनाकर उनकी सहायता करें, पत्तन क्षेत्रों को माल जमा करने के लिये प्रयोग में न लायें और घाट को माल द्वारा घेरने में कमी करने के भरसक अधिकतम सीमा तक इस्पात रेल डिब्बों से सीधा जहाज में लादें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रेल के डिब्बों के जहाजों पर पहुंचने तथा उनके वहां खाली करने में कितने दिन की देर होती है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इसके बारे में मैं ठीक उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : लोहे के अधिकाँश कारखाने कलकत्ता की बन्दरगाह के निकट स्थित हैं । इस्पात का कितना प्रतिशत अन्य दूसरी बड़ी बन्दरगाहों जैसे कि बम्बई और मद्रास की बन्दरगाहों पर जाता है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मद्रास को इस्पात का निर्यात बिल्कुल नहीं जाता और बम्बई भी बहुत कम जाता है । अधिकांश निर्यात विशाखापटनम जाता है, क्योंकि भिलाई इस्पात कारखाने का सारा माल तथा रूड़केला का अधिकांश माल विशाखापटनम जाता है । केवल दुर्गापुर का कारखाना कलकत्ता की बन्दरगाह का उपयोग करता है ।

Shri Abdul Ghani Dar ; The hon. Minister just now stated that he did not know the exact answer to the time taken in un-loading of train. Is it due to the fact that he is new and he did not have any such experience in the past and if so whether he would study this problem and inform the House about it ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं सदस्य महोदय का आभारी हूँ कि मैं रेलों से डिब्बों के खाली करने और जहाज पर माल लादने में कितना समय लगता है इसका अध्ययन करूं, परन्तु प्रश्न तो देर में कमी होने की शिकायत का था । इसका मैंने उत्तर दिया कि इस मामले में ठीक संपर्क न होने तथा पूर्व योजना न बनाने के कारण यह देर हो जाती है ।

यह मैं और बता दूं कि विशाखापटनम बन्दरगाह पर जिससे हमारा अब अधिक सम्बन्ध है हमने एक दल जिसमें मेरे मंत्रालय के, प्रतिनिधि विशाखा बंदरगाह ट्रस्ट में तथा हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के प्रतिनिधियों का एक दल स्थापित किया है । उसका कार्य इस प्रश्न के जांचने का होगा कि रेल के डिब्बों को खाली करने तथा जहाज पर लादने के कार्य को किस प्रकार शीघ्रता से निपटाया जाये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : बंदरगाहों पर विशेष रूप से कलकत्ता और बम्बई बंदरगाह पर संतोषजनक रूप से कार्य न होने की शिकायत बार बार मिली है । क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि इन बंदरगाहों के सुधार के बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैं बम्बई तथा कलकत्ता की बंदरगाहों के सुधार के बारे में उठाये गये पत्रों की सूचना सभा को देने के लिए तैयार हूं ।

राशन सम्बन्धी नीति

+

***458. श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान राशन सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन फिर किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस मामले में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एसथोस : क्या स्वेज नहर के बन्द होने के कारण विदेशों से भारत को अन्न पहुँचने में कुछ कमी हुई है ? यदि हां, तो कितनी देर हुई तथा इसका प्रभाव केन्द्र द्वारा राज्यों को अन्न देने पर कितना पड़ा तथा देश में राशन सम्बन्धी नीति पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसका संबंध राशन सम्बन्धी नीति से है। अभी कुछ दिन हुए मंत्री महोदय ने सदन में देर तथा उसके प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य दिया था।

श्री उमानाथ : इस समय देश में विभिन्न प्रकार की राशन सम्बन्धी पद्धतियां हैं, जैसे अनऔपचारिक राशनिंग, संशोधित राशनिंग तथा संविदित राशनिंग आदि। इनके कारण लोगों में असंतोष है। क्या सरकार इन सब को संविदित राशनिंग में मिलाने का प्रस्ताव रखती है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा सारे देश में राशनिंग करना असंभव है।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the reason that during the elections you supplied indigenous wheat in the rationing to Delhi Citizens but now inspite of the request of the Delhi Administration you do not give them indigenous wheat ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह तो देशी गेहूँ को भंडार के ऊपर निर्भर है जो पंजाब देता है। इस समय हमारे पास देशी गेहूँ नहीं है परन्तु ऐसी आशा है कि पंजाब सरकार कुछ गेहूँ दे दें और फिर हम उसे दिल्ली के नागरिकों को दे देंगे।

श्री कंवरलाल गुप्ता : कब ?

श्री जगजीवन राम : हम शीघ्र ही देशी गेहूं देने वाले हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : There is difference between the quality of food which is given by way of ration to the urban people and to the rural population. In cities also there is no provision to give more ration to the hard working people. Will Government consider the question of giving more ration to the workers ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : नगरों में कड़ी मेहनत करने वालों को हम अधिक राशन देते हैं। गाँवों में राशन का कार्य राज्य सरकार करती हैं।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिये गये अन्न पर निर्भर रहना पड़ता है तथा स्वेज नहर के बन्द होने के कारण

केन्द्र के पास भी राशन की दिक्कत है, क्या सरकार बराबर अन्न वितरण करने की कोई व्यवस्था रखती है तथा फालतु अन्न वाले राज्यों से लेकर कमी वाले राज्यों में बांटने का विचार रखती है ?

श्री जगजीवन राम : किसी राज्य में अन्न का मिलना इस बात पर ही निर्भर नहीं है कि केन्द्र कितना अन्न देता है अपितु वहां कितना अन्न उपलब्ध हो सकता है। स्वेज नहर के बन्द होने से अन्न के जहाज आने में विलम्ब होगा और इस बात को ध्यान में रखकर हम राज्य सरकारों से बात करके फाल्तु अन्न वाले राज्यों से अन्न लेने का प्रबन्ध करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार अन्न की वसूली तथा उसका नियंत्रित रूप से बांटने को स्थाई रूप देगी ताकि जमाखोर और मुनाफाखोर उसका अनुचित लाभ न उठायें तथा लोगों के मन से यह बात भी समाप्त हो जावे कि अच्छी फसल होते ही राज्य खाद्य निगम समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : मैं यह तो नहीं कहूंगा कि नियंत्रण तथा वसूल स्थाई चीजें होंगी परन्तु जब हमारे पास कमी होगी हम ऐसा करेंगे। जहां तक अन्न निगम का सम्बन्ध है यह आवश्यकता के समय भूखमरी वाले क्षेत्रों को अन्न भेजने के लिए स्थाई रूप से रखा जायेगा।

श्री बलराज मधोक : क्या दिल्ली प्रशासन ने ऐसा सुझाव दिया है कि उच्चवर्ग के जो लोग देशी अन्न का अपने लिए प्रबन्ध कर सकते हैं उनके राशन कार्ड समाप्त कर दिये जाये तथा मेहनत करने वाले लोगों का राशन बढ़ा दिया जाये, ताकि उनका गुजारा ठीक चल सके, और यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य बड़े नगरों में भी की जायेगी ताकि नीची श्रेणी के लोगों और श्रमिकों को लाभ हो सके ?

श्री जगजीवन राम : अन्य राजधानियों से ऐसी मांग नहीं आई है। दिल्ली में यह सुझाव दिया था कि जो अपने राशन के बदले दिल्ली के ही ग्रामीण क्षेत्र से लाना चाहें वे ला सकते हैं। यह प्रत्येक शहरी कर सकता है और इसमें ऊंची भी नीची श्रेणी के लोगों का मतभेद नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadaw : Who gave this suggestion ?

श्री जगजीवन राम : यह सुझाव दिल्ली प्रशासन तथा इसकी महानगर परिषद ने दिया था और हमने मान लिया है। राशन की मात्रा के बारे में सामान्य कर्मचारी तथा अन्य लोगों में कोई भेद नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या जहां कानूनी राशन है, क्या वहां माध्यमिक पाठशाला में तथा कॉलिज में पढ़ने वालों को अधिक राशन मिलेगा ? क्योंकि वे बढ़ती आयु के हैं और भविष्य की आस्तियां हैं ?

श्री जगजीवन राम : वे श्रमिक वर्ग में नहीं आते।

Shri R. Shastri: Recently the Central Government employees working in Bihar have sent a four-point memorandum to the Prime Minister and one of the demands is that they should be ration equal in quantity to the one which is given to the Bihar Government employees. Have Government considered this question and if so what is their reaction ?

Shri Jagjiwan Ram: We hope the Bihar Government will give ration in equal quantity all those who work there.

श्री मनु भाई पटेल : इन हालतों में जब सरकार कानूनी राशन के क्षेत्रों में तय किया हुआ राशन भी न दे सके, क्या सरकार राशन व्यवस्था को समाप्त करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यदि किसी राज्य सरकार ने राशन व्यवस्था को समाप्त करने को कहा तो हम उस पर सहानुभूति से विचार करेंगे ।

श्री नायनार : कानूनी राशन व्यवस्था में सारे देश में बांटने बराबर राशन बांटने की व्यवस्था नहीं है । क्या सरकार उन श्रेणियों के लोगों से अन्न प्राप्त करेगी जिन्होंने उसे जमा कर रखा है तथा सारे देश में सब को बराबर बांटेगी ?

श्री जगजीवन राम : बराबर बांटना कहने के लिए तो ठीक है परन्तु इसका अमल में लाना कठिन है ।

श्री हेम राज : क्या संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्न में घाटे के क्षेत्र हैं और उन्हें कितना अन्न दिया जाता है ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हिमाचल प्रदेश को कितना अन्न दिया गया ?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार में हिमाचल प्रदेश में राशन व्यवस्था नहीं है ।

श्री विश्वनायन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों वसूली तथा राशन व्यवस्था में रुचि रखते हैं, केन्द्र सरकार का भविष्य में वसूली तथा राशन के बारे में क्या कार्य होगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारी नीति स्पष्ट है । हम चाहते हैं कि राज्य सरकार वसूली के कार्य को तेजी से करें तथा राज्य सरकारों को अन्न उपलब्ध हो सके ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Copyright Conference at Stockholm

+

*11. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Delegation would be going to attend the Copyright Conference to be held at Stockholm (Sweden);

(b) whether India is put to certain disadvantage for being a member of the Copyright Convention;

(c) whether Government have received any suggestion requesting them to relinquish the membership of the said Convention; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) स्टाकहाम-सम्मेलन का परिणाम मालूम हो जाने पर इस प्रश्न की जांच की जाएगी।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to lodge a protest with the Education Minister. When I tabled this question the Indian Delegation had not left for stockholm and if answer to it had been given then the Indian Delegation would have known the reaction of the Indian Parliament about it and they would have charted a course of action, Has the Indian Government given any instructions to the delegation regarding the attitude to be taken there and if so what is that ?

डा० त्रिगुण सेन : शायद सदस्य महोदय को यह पता है कि प्रतिलिप्यधिकार के बारे में पूर्वी एशियन गोष्ठी 23 से 30 जनवरी 1967 में दिल्ली में हुई थी और उन्होंने विकासशील देशों के बारे में एक प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्ध में परम्परा स्वीकार किया और इस पर स्टाकहाम सम्मेलन में उस पर विचार होगा। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा अध्ययन सम्बन्धी मामलों के कार्यों की रक्षा है तथा उन्हें अनुवाद के लिये अनिवार्य लाईसेंस देने का अधिकार देना है परन्तु इस अनुवाद का शिक्षा, विज्ञान तथा अध्ययन से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। यदि उस भाषा में वह अनुवाद नहीं छपा है। परन्तु इन अधिकारों को बिना उचित मुआवजा दिये उपयोग नहीं किया जायेगा। जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल स्टाकहाम गया हैं उसकी इच्छा यह होगी कि यह मुआवजा उस देश को ही मुद्रा में दिया जाये। भारतीय प्रतिनिधि मंडल को यह अधिकार भी दिया है कि लोकोक्तियों की सुरक्षा की जाये जो भारत में काफी मात्रा में मौजूद हैं। प्रतिनिधि मंडल को यह अधिकार भी दिया है कि यदि वे बातें नहीं स्वीकार की जाती जिनमें विकासशील देश रुचि रखते हैं तो भारत यह संकेत करदे कि वह उसका सदस्य रहे अथवा न रहे उसके बारे में बता देगा।

Shri Prkash Vir Shastri : In the Education Ministers' Conference, the Government of India has almost decided that medium of instruction will be the regional languages at the university level. We are still bound by the copy right convention, by the Universal convention and by the Berve Convention. The countries who have signed university convention by publishing their books in India in English language only and we connot translate them into Indian languages. The same difficulties we experience as a result of Berve Convention. On the one hand we want our regional languages to be medium of instruction and on the other hand we do not have adequate books. Burma and Nepal etc. who are small countries have come out of copy right Convention and yet no harm has been caused to them and a big country like Russia is not a party to Copy right Convention. In such circumstances want to know what is in the way of India to come out of Copy right Convention so that we may get books in regional languages in large numbers ?

डा० त्रिगुण सेन : इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे कहेंगे कि संधि को स्वीकार करो और यदि यह नहीं माना तो, तो हम अभि समय से बाहर आने की सोचेंगे। बर्न तथा यूनिवर्सल अभी समय दिसम्बर में बैठक करेंगे और हमारा वहां भी यही रवैया होगा। हम जोर देंगे कि हमारी बात मानी जाये।

Shri Ram Avtar Sharma : Who are the members of the Indian Delegation and what is the percedure for selecting them. Has the question of whether India should remain in the Copyright Convention been considered at the ministerial level and if so with what result ?

The Minister of State in the Ministry of Fducation (Shri Bhagwat Jha Azad) : Prof. Sher Singh is the leader of the delegation, other members of the delegation are as under:-

1. The Secretary of the Ministry of Law
2. The Joint Secretary in the Ministry of External Affairs
3. The Registrar of Copyrights.
4. The Deputy Registrar of Copyrights.

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it was considered at the Ministerial level and if so with what results ?

डा० त्रिगुण सेन : जी हां। हमने मंत्रि मंडल में यह निर्णय लिया था।

Dr. Surya Prakash Puri : Please indicate the names of countries which are not members of the Copyright Convention and whether it is a fact that being a member of Universal Copyright Convention, U. S. A. gets its books published in India in English only and the same cannot be translated into Hindi or in any other Indian language ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरे विचार में सदस्य महोदय ठीक कह रहे हैं। हमने प्रतिनिधि मंडल को यह अधिकार दिया है कि वह संधि को मनवाने पर बल दें क्योंकि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करने वाले हैं और अनुवाद भी करवायेंगे।

Shri Y. S. Kushwah : Whether before sending the delegation, the Government received a suggestion that we should not send the delegation ?

डा० त्रिगुण सेन : जी नहीं।

Shri Digvijai Nath : How many Science and technical text books are there which we cannot get done to being a member of Copyright Convention ?

डा० त्रिगुण सेन: यह सच है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : How much foreign exchange we spend on the books which are printed in England and whether there is any restriction on their being printed in India in Indian languages ?

डा० त्रिगुण सेन : हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है और हम तो केवल यहां की मुद्रा में ही भुगतान कर सकते हैं।

Shri Siddeshwar Prasad : Is it not a fact that the Education Ministry had to spend four to give years to print translation of foreign books due to Copyright and even then there were conditions that Government could not overcome them.?

Shri Bhagwant Jha Azad : We have instructed our delegation to reserve the right to remain a member of the Copyright Convention if they do not accept the condition of getting concession for 20 years to the developing countries which is normally given chance to protocal.

श्री बलराज मधोक : हम तो बर्न तथा यूनिवर्सल अभिसमय दोनों के सदस्य हैं। स्टाकहाम सम्मेलन का सम्बन्ध केवल बर्न अभिसमय से है और यदि हमारा सुझाव मान भी लिया तो भी हम दूसरी अभिसमय से बन्धे रहेंगे और अमरीका उसका पाबन्द न होगा। ऐसी स्थिति में क्या हम उनसे कह देंगे कि यदि वे हमारी बात नहीं मानते तो हम भी वैसा करेंगे जैसा हमारे हित में होगा ?

डा० त्रिगुण सेन : हम वही रवैया अपनायेंगे जो हमारे हक में होगा।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा कि इन अभिसमयों का सदस्य होने के कारण हम कुछ घाटे में हैं और उनका हमें पता भी है। क्या इन घाटों को देखते हमें अभिसमयों की सदस्यता नहीं जोड़ देनी चाहिये ?

डा० त्रिगुण सेन : यदि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उससे बहार आ जायेंगे।

Shri S, C. Jha : Has the Indian Delegation asked to press for consideration the fact about the works of Indian authors whose books have been translated into foreign languages and to realise the amount of Copyright and use that amount for making memorial to the late authors ? For example the book of Vidyapati has been translated under the title of Love Songs of Vidyapati by Mr. Archor who was Collector in 1942 in Patna. Will Government pursue steadfastly to realise the remuneration of Copyright and put this fact at the Stockholm Conference ?

Shri Bhagwat Jha Azad : In that Conference we will discuss the question of Protection to foreign books which we give here. If that is agreed them the developing countries will be free from these restrictions.

श्री बी० चं० शर्मा : बर्न तथा यूनिवर्सल अभिसमय बहुत से विकसित देशों के हितों के भी विरुद्ध गये हैं तथा कुछ विकसित देश उनसे अलग हो गये हैं। फिर क्या कारण है कि भारत सरकार ने वहां प्रतिनिधि मंडल भेजा है जब कि इस प्रश्न का निर्णय तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ?

डा० त्रिगुण सेन : कुछ कारणों से भारत सरकार ने यह पग नहीं उठाया। अब क्योंकि हमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना है और इसमें कठिनाई हो रही है, हमने यह पग उठाया है। हमने प्रतिनिधि मंडल इसलिए भेजा क्योंकि हम अभी अभिसमय से बाहर नहीं आये हैं तथा हम अपनी बात वहां नम्रता से कहना चाहते हैं और शायद दूसरे देश भी हमारी बात समझेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गेहूं का केन्द्रीय भण्डार

***456. डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी निश्चित नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार राज्यों को गेहूं के केन्द्रीय भंडार (पूल) के लिये अपना अंशदान देना होगा;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस भंडार में गेहूँ की कुल कितनी मात्रा एकत्र करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गेहूँ के केन्द्रीय भंडार में अधिक से अधिक अनाज देने के लिये सभी राज्यों से कह दिया गया है। गेहूँ के लिये कोई पृथक नीति निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय भंडार के लिये गेहूँ एकत्र करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

***459. श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रमानी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का आयात तथा किस्त-भुगतानों पर होने वाला खर्च अवमूल्यन के बाद बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा उठाना पड़ेगा; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह : (क) से (ग) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कारपोरेशन की देयता 1048·42 लाख रुपये अधिक बढ़ गयी है। इसके परिणामस्वरूप 1966–67 में 200 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

(घ) अन्य बातों के साथ साथ अवमूल्यन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करने के लिए किराये तथा माल-भाड़ों को बढ़ाने के लिए कारपोरेशन द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

खाद्य तथा उर्वरक के लिए राज–सहायता

***460. श्री अ० क० गोपालन : श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : डा० रानेन सेन :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री दे० शि० पाटिल :
श्री क० मि० मधुकर : श्री रमानी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा उर्वरक के लिए दी जाने वाली राज-सहायता की मात्रा में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो किस हद तक; और

(ग) किन कारणों से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 620/67]

बिहार के लिये बर्मे तथा छिद्रण करने के उपकरण

***461. श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दुर्भिक्ष क्षेत्रों के लिये बर्मे तथा छिद्रण करने के उपकरण खरीदने के हेतु अपनी आपात-कालीन निधि में से कुछ धन का नियतन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों की संख्या कितनी है तथा उनका कुल मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार/एयर इण्डिया द्वारा ये उपकरण 22 मार्च और 26 मार्च, 1967 के बीच विमानों द्वारा भारत में लाये जाने थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार/एयर इण्डिया इन उपकरणों को नहीं ला सकी ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बिहार के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो रिग काम कर रहे हैं उनमें से आठ रिगों के लिये 1,75,000 रुपये के मूल्य के पुर्जे यू. एस. ए. आई. डी. ने इस वर्ष के शुरू में दिये थे। पुर्जों का कुल भार 28,000 पौण्ड था और यू. एस. ए. आई. डी. ने 20,000 पौंड पुर्जे वाणिज्य के शर्तों के अनुसार विमानों के द्वारा भेजने का प्रबन्ध किया था शेष 8,000 पौण्ड पुर्जों को लाने के लिये एयर इण्डिया को इस आधार पर आदेश दिया गया था कि जब भी स्थान उपलब्ध हो, वह सामान वहां से उठाया जाये। एयर इण्डिया के लिये 8,000 पुर्जों को वहां से लाने के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी यह सामान मई 1967 में मिला था।

(घ) भारत सरकार या एयर इण्डिया ने माल उठाने में कोई देर नहीं की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों के किराये

***462. श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री गिरिराज शरण सिंह :**
श्री बेनी शंकर शर्मा : **श्री मीठा लाल :**
श्री यश पाल सिंह : **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री मधु लिमये : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री एस० एम० जोशी : **श्री बीरेन्द्रनाथ :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री विश्वनाथ राय :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री प्र० के० देव :**
श्री च० का० भट्टाचार्य : **श्री अजमल खां :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सभी मार्गों पर हवाई सेवाओं का किराया बढ़ाने के लिये सरकार से स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सवारी तथा माल भाड़ों की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए भूमि का प्रयोग

*463. श्री अब्दुल गनी दार :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कृषक अपनी भूमि में खाद्यान्नों के स्थान पर जूट तथा तम्बाकू जैसी वाणिज्यिक फसलें पैदा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किसानों को इस बात के लिए क्या सुविधायें दी जा रही हैं कि वे अपनी भूमि में वाणिज्यिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न की फसलें पैदा करें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण जिसमें 1961–62 से 1965–66 तक जूट तम्बाकू तथा कपास की बुवाई का क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, नीचे दिया जाता है। इससे यह पता नहीं चलता कि खाद्यान्नों के स्थान पर जूट तथा तम्बाकू आदि फसलें बोई जा रही हैं। तत्पश्चात की स्थिति से भी यही सिद्ध होता है।

विवरण

क्षेत्रफल जिसमें वाणिज्यिक फसलें पैदा होती हैं

(हजार वर्ग एकड़ों में)

फसल	1961–62	1962–63	1963–64	1964–65	1965–66
कपास	7,978	7,845	8,160	8,271	7,827
जूट	917	851	868	839	743
तम्बाखू	418	416	440	394	345

(ख) वाणिज्यिक तथा खाद्य फसलों के विषय में देश की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए समस्त कृषि विषय को एक मानकर ध्यान करना पड़ता है। मल्टिपल क्रापिंग की नई पद्धति के अनुसार एक फसल को हानि पहुंचा कर उसके स्थान पर अन्य फसल उगाने की कम संभावना है। खाद्य फसलों के सस्यचक्र में रहते हुए व्यापारिक फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

अनाज के राशन में कमी

*464. श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० माइती :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज के राशन में कमी किये जाने से लोगों को उस कमी को पूरा करने के लिये ऊंचे दामों पर काले बाजार में अनाज खरीदना पड़ता है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है कि अनाज केवल नियंत्रित दरों पर ही बेचा जा सके; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनाज के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उन क्षेत्रों में, जिनमें कानूनी रूप से राशन व्यवस्था है, अनाज केवल राशन में निश्चित दरों पर ही उपलब्ध है। राशन में न मिलने वाला अनाज खुले बाजार में उपलब्ध है यदि आवश्यक हो, तो ऐसा अनाज बाजार से खरीदा जा सकता है।

(ग) सरकार ने अनाज के व्यापार को आंशिक रूप में पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया है। अनाज के व्यापार को पूर्णरूपेण हाथ में ले लेने का अभी कोई विचार नहीं है।

खाद्य उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े

***465. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये खाद्य उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के प्राकलन एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में खाद्य सम्बन्धी आंकड़ों को अधिक विश्वासनीय तथा प्रामाणिक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फसल-अनुमान की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कुल आंकड़ों को मिला कर ही खाद्यान्न उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम सरकारी अनुमान तैयार किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निःशुल्क भोजनालयों के लिए राज्यों को खाद्यान्न का नियतन

***466. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री लखन लाल गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री इस प्रकार का एक वक्तव्य सभा पटल पर रखेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि इस वर्ष सूखा ग्रस्त क्षेत्रों, बालकों; विकलांग तथा निराश्रित व्यक्तियों को मुफ्त भोजन देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने निःशुल्क भोजनालयों के लिए कितने

अनाज की मांग की तथा प्रत्येक राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए कितना अनाज दिया गया ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 621/67**]

खाद्य की कमी

***467. श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राने :
श्री हेमराज :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में इस समय खाद्य की कमी की क्या स्थिति है;

(ख) गत दो महीनों में विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों ने केन्द्र से कितने अनाज की मांग की है; और

(ग) उक्त अवधि में केन्द्र द्वारा कितना अनाज दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अधिकतर राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के खुले बजारों में अनाज की हालत अभी सुधरी नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार की मांगे की हैं। इस प्रकार की मांगों पर सामान्यत: राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जाता है और केन्द्र के पास उपलब्ध मात्रा के आधार पर उन्हें अनाज दिया जाता है।

विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को अप्रैल–मई 1967 के महीनों में दिये गये अनाजों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 622/67**]

मध्य प्रदेश सरकार की खाद्य नीति

***468. श्री बाबूराव पटेल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष अप्रेल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई नई खाद्य नीति के बारे में समाचार पत्रों में समाचार देखे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस नई खाद्य नीति का ब्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ग) क्या घोषणा करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया गया था और इसकी स्वीकृति ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) देशी चने के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई थी।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने भाग (ग) में उल्लिखित प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दी थी।

रूस की सहायता से राजकीय यंत्रीकृत बीज फार्म

***470. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री राम मूर्ति :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दन :
श्री अविचन :
श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस की सरकार द्वारा प्रस्तावित राजकीय यंत्रीकृत बीज फार्म स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) स्थानों के चयन में तथा कृषि कार्य आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नवम्बर 1966 में रूस की सरकार के साथ तय हुये एक करार के अन्तर्गत उन्होंने 1966-68 की अवधि में 5 बीज फार्मों की स्थापना के लिए भारत को उपहार के रूप में मशीनें देना स्वीकार किया है। एक फार्म उड़ीसा में स्थापित हो चुका है और आगामी कुछ महीनों में 2 और फार्मों की स्थापना हो जाने की आशा है। शेष 2 फार्मों की स्थापना 1968 के शुरु में हो जाने की सम्भावना है।

(क) प्रश्न ही नहीं उठता।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम

471. श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन कृषि जिला कार्यक्रम के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट मिलते ही सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु परीक्षण करने और उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया था। अक्तूबर-दिसम्बर 1966 में हुए सघन कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सम्मेलनों में इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार-विमर्श हुआ । रिपोर्ट के सम्बन्ध में अनु-परीक्षण कार्यवाही के बारे में राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों से नियमित रूप से पूछताछ की जा रही है । कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने कार्यक्रम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि कार्यक्रम ठीक तरह से चल सके ।

विशेष समिति की मुख्य सिफारिश के अनुसार सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिलों की प्रशासकीय पद्धति के पुनर्गठन के लिये जो सुझाव हैं उन पर केन्द्र राज्य सरकारों की सलाह के साथ विचार कर रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद

***472. श्री राने :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद में कितनी कमी रही;

(ख) कमी के मुख्य कारण क्या थे तथा समूची खाद्य स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने कितना अनाज खरीदा है;

(घ) क्या यह सच है कि बाहुल्य वाले कुछ राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम को अनाज खरीदने की अनुमति नहीं दी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा किन किन राज्यों ने अनुमति नहीं दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1966–67 में भारत के खाद्य निगम द्वारा अनाज खरीदे जाने

का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और अत: लक्ष्य पूरा होने में कमी रहने या उसके कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) फसल–वर्ष 1965–66 में 11.67 लाख टन अनाज खरीदा गया था जबकि फसल–वर्ष 1966–67 में 31 मई 1967 तक 13.13 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है ।

(घ) जी, नहीं । बाहुल्य वाले सभी राज्यों में खाद्य निगम ने थोड़ा बहुत अनाज खरीदा है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Ban on sweets prepared from Milk and Khoya in Delhi.

*476. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a ban has been imposed on the sweets prepared from milk and Khoya because of milk shortage in Delhi;

(b) Whether it is also a fact that a large number of persons have been thrown out of employment as a result thereof; and

(c) If so, the steps being taken to make up the shortage of milk ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The ban is operative upto the end of August, 1967. Further, persons connected with the milk sweets trade can switch over to sweets other than those made of milk. These two factors will modrate the position regarding loss of employment resulting from this order.

(c) Delhi Milk Scheme has taken the following steps for increasing procurement of milk:—

(i) Firm agreements have been entered with milk suppliers subjecting them to a penalty of Rs. 5/-- per quintal in case of failure to supply the agreed quantities of milk during various seasons in the year.

(ii) Rate of commission payable to milk suppliers has been increased w. e. f. January, 1967.

(iii) Procurement area of the Scheme has been extended. A new procurement area in Haryana about 20 miles away from Karnal has been taken up for departmental procurement of milk.

(iv) 10 tankers and 5 jeeps to facilitate transport and collection of milk and procurement have been purchased.

(v) Some intensive Cattle Development Programmes have been sanctioned for the milk shed of D. M. S. These programmes are likely to result in increase in production of milk in the concerned areas.

(vi) Action is in hand for setting up of a Balancing Station in Bikaner with an ultimate capacity of 1 lakh litres of milk per day, for enhancing procurement of cow milk from the area.

(vii) A ban on import, manufacture, sale or service of khoya, rubree, paneer and milk sweets has been imposed by the Delhi Administration w. e. f. 17-5-1967 which has helped the Scheme in maintaining supplies.

भारतीय खाद्य निगम

***473. श्री चितरंजन राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों से "बिना रोक-टोक" गेहूं खरीदने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ तथा अन्य अनाज की कितनी मात्रा किस राज्य से खरीदनी हैं, यह खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों के बीच हुई बातचीत के आधार पर तय किया जाता है। खाद्य निगम इन्हीं निर्णयों के अनुसार अनाज की खरीदारी करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Foodgrains in Bihar

***474. K. M. Madhukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state.

(a) The quantity of foodgrains required per month for free distribution in Bihar.

(b) Whether the quantity supplied is sufficient to meet the demand of the Bihar Government,

(c) If not, whether Government propose to increase it, and

(d) If not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) : Demands placed on Centre by the State Government only indicate their total foodgrains requirement. No separate quotas have been asked for free distribution and, as such, the requirement per month for free distribution is not known to the Central Government. The total quantity of foodgrains supplied to Bihar cannot be said to be sufficient to meet all requirements. It represents the maximum supply that the Centre could arrange within its availabilities, keeping in view the minimal needs of other deficit States. It is not possible to increase the supplies unless the availability with the Central Government also increases.

दिल्ली दुग्ध योजना

*475. श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना घाटे में चल रही है तथा यह लोगों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना को कुछ राज-सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965–66 तक दिल्ली दुग्ध योजना घाटे में चलती रही। 1966–67 में (जिसका हिसाब तैयार हो रहा है) कुछ लाभ होने की सम्भावना है। दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 2.16 लाख लिटर दूध प्राप्त कर रही है जबकि नगर की अनुमानित मांग 5.00 लाख लिटर है। दूध की कम उपलब्धि के कारण समस्त मांग को पूरा करना कठिन है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना भारत सरकार का एक विभाग है। इसलिए योजना को होने वाला घाटा भारत सरकार को वहन करना पड़ता है। दिल्ली दुग्ध योजना को उपदान देने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाना और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दूध भेजने पर प्रतिबन्ध

*477. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री ओंकारसिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों का विचार दिल्ली को दूध भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में दूध की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ इस प्रश्न के बारे में लिखा-पढ़ी या बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बर्मा तथा स्पेन से चावल

***478. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से कुछ चावल आने वाला था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किन शर्तों पर;

(ग) क्या स्पेन से भी कुछ चावल आने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) विद्यमान व्यवस्था के अधीन 1967 के दौरान बर्मा से 215 हजार मीटरी टन चावल का आयात करना है जिसमें से 100 हजार मीटरी टन से अधिक चावल पहले ही भारत आ चुका है । 1967 के अन्त तक यह सारा चावल जहाज में लद जाना चाहिये । चावल के मूल्य का भुगतान स्टर्लिंग पौण्ड में करना है ।

(ग) और (घ) स्पेन की दो गैर-सरकारी पार्टियों से 30000 मीटरी टन चावल का आयात करने के लिये हाल ही में दो समझौते किये गये हैं । इसका लदान इस वर्ष के अगस्त मास के मध्य तक पूरा हो जाना चाहिये । चावल के मूल्य का भुगतान स्टर्लिंग पौण्ड में किया जायेगा ।

कृषि उत्पाद मूल्य आयोग

***479. श्रीमती शारदा मुकर्जी :** **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री म० अमरसे :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पाद मूल्य आयोग के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) उसके कार्य का स्वरूप तथा कार्य-क्षेत्र क्या हैं;

(ग) क्या इसने जून 1965 में संसद् में पेश किये गये प्रतिवेदन के अतिरिक्त और कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) इस आयोग पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग में अब अध्यक्ष, डा० अशोक मित्रा और सदस्य-सचिव श्री एस० सी० चौधरी हैं;

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी हां । कृषि मूल्य आयोग द्वारा अब तक की प्रस्तुत रिपोर्टों की सूचि देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 623/67]**

(घ) आयोग फरवरी, 1965 से बना है और इसका खर्च निम्न प्रकार है :—

1964–65	8,223 रुपये (केवल 2 मास के लिये)
1965–66	3,19,257 रुपये
1966–67	4,27,564 रुपये

चीनी मिलों का प्रबन्ध

***480. श्री महाराज सिंह भारती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी चीनी मिलों से जिनका प्रबन्ध भारत सुरक्षा नियम 1962 के अन्तर्गत किया जा रहा है, 30 जून, 1967 अथवा उससे पहले नियन्त्रण हटाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मिल मालिकों ने सरकार से प्रार्थना की है कि वह उनकी मिलों के प्रबन्ध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले ले;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सकौटी शूगर मिल्स के मालिक ने भी यह मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) केवल एक मिल अर्थात् मैसर्स दिवान सुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, सखोती–टांडा, जिला मेरठ, के मालिक ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह उसके मिल का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले ले ।

(घ) यह प्रस्ताव है कि भारत रक्षा नियम 1962 के अधीन नियंत्रण हटा कर मिल का कार्यभार और प्रबन्ध मिल के मालिकों को सौंप दिया जायेगा । इसके पश्चात् मालिकों द्वारा दिये गये कारखाने के कार्यभार को खुद संभालने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विचार किया जायेगा ।

Foodgrains at Delhi Ration Shops

1286. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the General Elections, foodgrains of inferior quality are being supplied at Delhi ration shops and indigenous wheat is not available;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) No. Foodgrains of inferior quality are not being supplied at the rations shops in Delhi. At present indigenous wheat is not being issued because of paucity of stocks with Government of that variety of wheat.

(c) When sufficient stocks of indigenous wheat are built up that variety of wheat will be issued through ration shops.

Agricultural University in Bihar

2188. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Vishwanath Pandey :
Shri P. N. Solanki :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken to establish an Agricultural University in Bihar ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for neglecting Bihar in that respect ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Government of Bihar have been considering the question of establishing an Agricultural University in the State. Two State level officers were deputed to Ludhiana, Jabalpur and Bangalore to study and to report on the working of the Agricultural Universities established there. The report which has been submitted by the officers is under consideration of the Government of Bihar. In the meantime, the creation of a post of Special Officer who would work out details of the scheme is also under consideration. A provision of Rs. 75·00 lakhs has been made for the Agricultural University in the Fourth Plan scheme of the State. The scheme is under active consideration of the State Government.

(c) Does not arise.

कनाडा से भारत को खाद्यान्न सहायता

***2189. श्री पार्थसारथी :** **श्री श्रीधरन :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री आत्म दास :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने चालू वर्ष में भारत को 1040 लाख डालर के मूल्य के खाद्यान्न की सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्न की पहली खेप कब प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) नवम्बर, 1966 में कनाडा सरकार ने भारत को 2.1 करोड़ कनैडियन डालर के मूल्य की विशेष खाद्य सहायता दी थी जिसके द्वारा भारत को 1,56,000 टन गेहूं, 33,400 टन गेहूं का आटा और 10,100 टन दुग्धचूर्ण दिया जा रहा है। गेहूं और दुग्धचूर्ण की पूरी मात्रा और आटे की कुछ मात्रा प्राप्त हो गई है। आशा है कि आटे की शेष मात्रा अगले महीने के आसपास पहुँच जायेगी।

कनाडा सरकार ने मार्च, 1967 में 5 करोड़ डालर की अग्रेतर खाद्य सहायता भी दी है। इन निधियों से लगभग 590 हजार टन गेहूं दिया जायेगा। उसकी कुल मात्रा अगस्त, 1967 तक पहुंचने की आशा है।

Places of Tourist Importance in Bihar

2190. Shri Sidheshwar Prasad : Shri A. Sreedharan : Shri Kameshwar Singh : Shri Sheopujan Shastri : Shri Nihal Singh : Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps so far taken for developing places of tourists importance in Bihar particularly Rajgir, Nalanda, Pawapuri and Bodh Gaya;

(b) the steps taken for development of tourist places during the current year; and

(c) the scheme proposed for the next five years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The following measures have been taken to provide tourist facilities at places of tourist importance in Bihar. (i) a Tourist Shala at Rajgir is under construction; (ii) a chairlift at Rajgir is being installed; (iii) accommodation in the Tourist Bungalow (Class I) which was constructed in 1956 is being expanded.

No tourist schemes have so far been taken up at Pawapuri and Nalanda.

(b) During the current financial year, it is proposed to take up the following schemes under Part II of the Fourth Five Year Plan:—

(i) Completion of the Tourist Shala at Rajgir;

(ii) Completion of the installation of the chairlift at Rajgir;

(iii) Construction of a hotel at Barhi (Hazaribagh area); and

(iv) Construction of a Tourist Reception Centre at Nalanda.

(c) These have yet to be finalised in consultation with the State Government.

Maheshi Station-Sitamarhi Road

2191. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Tansport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under consideration for the construction of a road to establish direct link between Maheshi Station of District Champaran and Sitamarhi via Bazar as a part of development scheme of border roads for defence purpose;

(b) whether it is also a fact that a preliminary survey for such a road has been made;

(c) if so, the action being taken to undertake its construction; and

(d) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir. This road, when constructed, would be a State road. The State Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with all matters pertaining to this project.

(b) to (d) Do not arise.

मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

2192 श्री बाबूराव पटेल : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने उस राज्य में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के अपने पुनरीक्षित कार्यक्रम को पूरा करने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या उस राज्य सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है अथवा इस मामले में कोई सलाह दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० भ्रार० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और जापान के बीच कृषि सहयोग

2193. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच कृषि सहयोग के लिए कोई नया करार हुआ है; और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) प्रदर्शन फार्मों की संख्या, हर एक फार्म का आकार तथा क्षेत्रफल और उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन फार्मों पर कितने जापानी कृषि विशेषज्ञों द्वारा काम किये जाने की आशा है और वे देश में कितने समय तक रहेंगे; और

(घ) इन फार्मों से प्रतिवर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की पैदावार होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय प्रदर्शन फार्मों की स्थापना के विषय में जापान के साथ हुए करार से है। 23 अप्रैल, 1962 को हस्ताक्षर हुए एक

करार के अनुसार (1) आरा, बिहार (2) चाकुली, उड़ीसा (3) रानीघाट, पश्चिम बंगाल तथा (4) ब्यारा, गुजरात में चार प्रदर्शन फार्मों की स्थापना की गई थी। इन फार्मों में 16 जापानी कृषि विशेषज्ञ नियुक्त किये गये थे। 7 दिसम्बर 1964 को तय हुए एक दूसरे करार के अनुसार (1) बापतला, आन्ध्र प्रदेश (2) चेन्गामनाड, केरल (3) सोपोली, महाराष्ट्र तथा (4) माण्डया, मैसूर में 4 अन्य फार्मों की स्थापना की गई थी। इन फार्मों में 16 जापानी विशेषज्ञों की नियुक्तियां की गई थीं। पहला करार समाप्त हो चुका है। कृषि सहकारिता के विषय में एक नया करार तय करने के विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा है। पत्र-व्यवहार को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान चालक

2194. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया में कितने विमान चालक हैं;

(ख) उनके वेतन क्रम तथा वेतन क्या हैं ;

(ग) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं तथा उन्हें कितने घंटे कार्य करना पड़ता है; और

(घ) इन विमान चालकों द्वारा बनाये गये कार्मिक संघों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 624/67**]

त्रिपुरा में अन्न की कमी

***2195. श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में त्रिपुरा में कुल कितने खाद्यान्न की कमी रहेगी ;

(ख) इस घाटे को पूरा करने के लिये त्रिपुरा की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितना चावल, आटा तथा दूसरी चीजें मांगी हैं ; और

(ग) इस मांग का कितना भाग पूरा किया जायेगा तथा वह मात्रा त्रिपुरा कब पहुंचेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह अनुमान लगाना कठिन है कि किसी विशिष्ट समय के लिये किसी विशिष्ट क्षेत्र की खाद्यान्न की आवश्यकता क्या होगी ? चूंकि खाद्यान्न की आवश्यकता कई बातों पर निर्भर करती हैं। 1967-68 के खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह बताना कठिन है कि 1967-68 में त्रिपुरा में अनाज की कितनी कमी रहेगी।

(ख) त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 1967 के लिये 30,000 टन चावल और 21,000 टन गेहूँ के लिये कहा था।

(ग) केन्द्र के पास कितनी मात्रा उपलब्ध है और विभिन्न राज्यों की आवश्यकता क्या है; इसके आधार पर प्रतिमास अनाज दिया जाता है। क्योंकि इस बारे में कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में केन्द्र सरकार के पास वितरण के लिये कितनी मात्रा उपलब्ध होगी, इसलिये यह बताना कठिन है कि त्रिपुरा सरकार की मांग किस हद तक पूरी की जायेगी। एक विशिष्ट मास में विभिन्न राज्यो को आवंटित मात्रा उसी महीने में भेजने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाते हैं, परन्तु फिर भी विभिन्न कारणोंवश ऐसा हमेशा करना सम्भव नहीं होता।

दिल्ली में बिना राशन वाले क्षेत्रों से देशी गेहूं की खरीद

2196. श्री धीरेन्द्र नाथ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कार्ड-धारियों को दिल्ली के देहातों के बिना राशन वाले क्षेत्रों से देशी गेहूँ खरीदने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे कब तक कार्य रूप दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) आवेदन-पत्र देने पर एक कार्ड-धारी को उतनी मात्रा में देशी गेहूँ लाने की अनुमति दी जायेगी जितनी मात्रा उसे राशन कार्ड पर मिलती है और जिस अवधि के लिये उसने गेहूं खरीदा है उस अवधि के लिये उसे राशन नहीं लेने दिया जावेगा। यह तुरन्त ही लागू होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता

2197. श्री काशीनाथ पांडे : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौ वर्ष पुरानी सिविल प्रक्रिया संहिता को पुनरीक्षित करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) यद्यपि वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता सौ वर्ष पुरानी नहीं है (यह 1908 में अधिनियमित की गई थी) तो भी इस संहिता के पुनरीक्षण के लिए, विधि आयोग द्वारा अपनी 27वीं रिपोर्ट में जो प्रस्थापनाएं की गई थीं, उन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गैर-सरकारी कृषि फार्म

2198. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय, रबड़ तथा काफी बागानों समेत कृषि के बड़े-बड़े गैर-सरकारी फार्मों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें मजूरी पर काम करने वाले कुल कितने लोग हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मार्च, 1965 में 9,835 चाय बागान, जुलाई, 1961 में 43,377 काफी बागान थे और मार्च, 1965 में 521 रबड़ बागान थे। देश में कृषि के बड़े-बड़े गैर-सरकारी फार्मों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) चाय बागान में मजूरी पर काम करने वाले लोग 8,47,372 (1963 में), काफी बागान में 2,58,149 (1961–62 में) थे। रबड़ बागान में काम करने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

कृत्रिम बन्दरगाहें

2200. श्री शिवचन्द्र झा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय प्राकृतिक तथा कृत्रिम बन्दरगाहें कितनी हैं;

(ख) इन बन्दरगाहों में प्रतिवर्ष कितने मालवाहक जहाज आते हैं तथा कितने मालवाहक जहाज यहां से जाते हैं ;

(ग) इन बन्दरगाहों से प्रतिवर्ष कितने टन माल का आयात तथा निर्यात होता है ; और

(घ) इन बन्दरगाहों से किन किन मुख्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत में 176 पत्तन हैं जिनमें से 8 बड़े पतन हैं।

भारत में पत्तनों को बड़े पत्तन और बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक हारबर, जिनमें बगल में घाट हों, को प्राकृतिक और कृत्रिम श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता हैं। जहां तक बड़े पत्तनों का सम्बन्ध है बम्बई, कांडला, मारमगाओ, कोचीन, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता प्राकृतिक हारबर हैं। यह इस दृष्टि से कि खुले समुद्र से इनकी रक्षा अलग अलग अंशों में हारबरों की प्राकृतिक आकृति से होती है। मद्रास और परादीप कृत्रिम हारबर हैं। ये इस दृष्टि से कि ये ऐसे स्थानों पर नहीं हैं जो खुले समुद्र से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हैं। परन्तु प्राकृतिक हारबरों के सम्बन्ध में भी सुरक्षा निर्माण कार्यों की कई मामलों में आवश्यकता होती है और जहां गोदियों की व्यवस्था है वहां कृत्रिम निर्माण अपरिहार्य है।

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों में से भावनगर और ओखा पत्तनों में गहरे सागर में जाने वाले जहाजों के लिए संपार्श्व घाटों की व्यवस्था है। अन्य सभी पत्तन केवल लाइटररेज पत्तन हैं।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 625/67]**

Shipping Companies.

***2201. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Transport and Shippjng** be pleased to state :

(a) the percentage of Government and private capital invested in the Shipping Companies in India;

(b) whether it is a fact that the shipping trade is still being carried on in India by foreign companies and Indian praivate companies; and

(c) if so, whether any proposal is under consideration of Government to take over the shipping trades ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The informa'ion asked for is not readily available in respect of all the Shipping Companies in India. Information is being collected and will be placed on the table of the House.

(b) Carrige of dry cargo along the Indian coast is reserved exclusively for Indian Shipping Companies both in the public and private sectors. In the case of oil cargo moving along the coast, however, some foreign tankers are employed on charter in addition to Indian tankers.

As regards overseas trades, in addition to foreign companies and Indian private companies, Indian companies in the public sector are also operating.

(c) No, Sir,

दिल्ली की चावल और गेहूँ की मांग

2202. श्री नंजा गौंडर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रति सप्ताह चावल और गेहूँ की कुल कितनी मांग है; और

(ख) होटलों पर सप्ताह में लगभग तीन दिन चावल और गेहूं परोसने पर लगाये गये प्रतिबन्ध से उनकी कितनी बचत हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राशन रहित क्षेत्रों की आवश्यकता समेत दिल्ली को प्रति सप्ताह लगभग 700 टन चावल और 6975 टन गेहूँ की आवश्यकता होती है।

(ख) दिल्ली के भोजनालयों द्वारा एक सप्ताह में दो चावल रहित दिन और एक अन्न रहित शाम का पालन करना अपेक्षित है। इस आधार पर इन भोजनालयों का चावल का कोटा लगभग 106 टन प्रति मास कम किया जा सकता था। गेहूँ/आटे के उनके कोटे में कोई कमी नहीं की गई है।

Dowry Prevention Law

2203. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri George Ferendes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati ;
Shri Rabi Ray :
Valmiki Chowdhery :

Will the Minister of LAW be pleased to state :

(a) the number of cases tried in courts throughout the country under the Dowry Prohibition Act, 1961;

(b) the number of cases in which punishments were awarded; and

(c) the number of cases pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c) The administration of the Dowry Prohibition Act, 1961 rests with the State Governments and with the Union Territory Administrations and they are not required to supply to the Central Government any statistics in relation to prosecution etc. As such, the requisite information is not readily available with the Central Government. It is being collected from the State Governments and the Union Territory Administrations and will be placed on the Table of the House in due course.

Cooperative Societies in Andaman and Nicobar Islands

2204. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of cooperative societies functioning in Andaman and Nicobar Islands as at the end of December, 1961 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : There were 164 Cooperative Societies in the Islands as at the end of June, 1966 (the latest period for which information is available).

2205, Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of veterinary hospitals existing in andaman and Nicobar Islands till December, 1966;

(b) the expenditure incurred thereon annually; and

(c) the amount allocated in the Fourth Plan for Veterinary Hospitals ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Commnnity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The information is being collected from the Union Territory Administration and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

(c) 3 Veterinary dispensaries and six Viterinary out-posts are to be established during the Fourth Plan. The Fourth Plan allocation envisaged is Rs. 3,51,500.

गोश्रा, दमन श्रौर दीव में पर्यटक महत्व के स्थान

2206. श्री शिकरे : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटक महत्व के स्थानों पर पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) आगामी दो वर्षों में गोआ के पर्यटक महत्व के स्थानों के प्रति अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन योजनाओं पर किया गया व्यय 27 लाख रुपये था।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास योजनाओं पर केन्द्रीय क्षेत्र में 80 लाख रुपये तथा राज्य क्षेत्र में 18 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

डा० धर्म तेजा के भारत से चले जाने के बारे में जांच

***2207. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि डा० तेजा के भारत से चले जाने के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय अथवा सी० बी० आई० दोनों में से कौन जिम्मेदार है, क्योंकि इन्हीं में से किसी ने प्रवर्तन निदेशालय तथा वित्त मन्त्रालय के इस सुझाव को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया था कि डा० तेजा को गिरफ्तार कर लिया जाये अथवा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो जांच न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

बिहार में कपड़े की कमी

2208. डा० कर्णसिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूख-मरी के अतिरिक्त दक्षिण बिहार में अब कपड़े की इतनी अधिक कमी हो गई है कि कपड़े के अभाव में लोगों के नंगे हो जाने की सम्भावना हो गई है;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में कम से कम स्त्रियों तथा बच्चों की कपड़े की अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) कपड़े की कमी को पूरी करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं ने क्या सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह कहना सही न होगा कि बिहार के किसी भाग में लोग भूखे मर रहे हैं। जबकि दक्षिण बिहार के अधिक पीड़ित क्षेत्रों से कपड़ों की कमी के समाचार प्राप्त हुए हैं, यह सच नहीं है कि लोगों के सामने नंगा रहने की नौबत आ गई है।

(ख) और (ग) प्रभावित जनता में अनेक स्वयंसेवी संस्थायें मुफ्त कपड़ा बांट रही हैं। बिहार में अनुमोदित स्वयंसेवी संस्थाओं को दिये गये ऊनी और सूती कपड़े पर से उत्पादन शुल्क की छूट दे दी गई है। कॉटन यार्न वाले सूती कपड़ों पर से भी उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है। बिहार की अनुमोदित संस्थाओं को दिये गये सिले हुए, बिना सिले कपड़े रेलवे द्वारा निशुल्क ले जाये जाते हैं।

बिहार सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि मुफ्त कपड़ा दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त भी कपड़ा देने की आवश्यकता है।

खाद्य उत्पादन पर व्यय

2209. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा चालू पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में, योजनावार, खाद्य के उत्पादन का लक्ष्य क्या था तथा उपर्युक्त अवधि में वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने योजनाओं की अवधियों में खाद्य उत्पादन कम होने के बारे में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) राष्ट्रपति के अभिभाषण में परिकल्पित 1971 तक खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत तीन योजना अवधियों तथा चालू पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान खाद्य उत्पादन पर किया गया खर्च निम्नलिखित है:–

	राशि (रुपये लाखों में)
प्रथम प्लान अवधि	6159·08
द्वितीय प्लान अवधि	15266·22
तीसरी प्लान अवधि	40275 25
1966–67	15580·68

एन० बी० : 1958–59 से जबकि राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की पद्धति में संशोधन किया गया था, राज्यों को विकास के शीर्षक के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है योजनावार नहीं जैसा कि पहले होता था। अतः 1958–59 के बाद के आंकड़े (1) कृषि उत्पादन भूमि विकास सहित (2) लघु सिंचाई (3) पशु-पालन तथा डेरी (4) मात्स्यकी (5) वन तथा (6) भूमि संरक्षण के लिये नियतन राशि बताते हैं।

(ख) तीन योजनाओं के दौरान उत्पादन का लक्ष्य तथा खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है:–

	लक्ष्य	प्राप्ति (टन्स् मिलियन में)
प्रथम योजना	62·59	66·85
द्वितीय योजना	81·79	82·02
तीसरी योजना	101·60	72·26

(ग) प्रथम दो योजनाओं के दौरान लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया। तीसरी योजना के दौरान 1964–65 में खाद्यान्न उत्पादन 89 मिलियन टोन्स् हुआ किन्तु देश में सूखे के कारण 1965–66 में काफी गिरावट आई।

(घ) कृषि विकास के लिए एक नई पद्धति तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम ये हैं:—

(1) पैकेज आफ प्रैक्टिसिज़ शुरू करना, जल और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रबन्ध करना।

(2) देश के मुख्य अनाजों में अल्पकालीन किस्मों का शुरू करना जो इतनी अच्छी उपज वाली हैं जितनी दीर्घकालीन किस्में। 1970–71 में 30 मिलियन एकड़ भूमि में इस कार्यक्रम के लागू होने की सम्भावना है।

(3) 1970–71 तक 24 लाख टन्स् नाइट्रोजन, 10 लाख टन्स् फ़ासफोरस और 7 लाख टन्स् पोटास की खपत बढ़ाना।

(4) 17 मिलियन एकड़ भूमि में लघु सिंचाई बढ़ाना।

(5) 210 मिलियन एकड़ भूमि तक पौध रक्षा उपायों को बढ़ाया जाएगा।

(6) 20 मिलियन एकड़ भूमि तक कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण के लाभ पहुँचाना।

(7) संस्थाओं के माध्यम से किसानों को अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋणों को अधिक मात्रा में देना, कृषि अनुसन्धान शिक्षा तथा शिक्षण का पुनर्गठन, कृषि मूल्यों, विपणन, भण्डारण तथा परिवहन सम्बन्धी नीतियों का बनाना।

राष्ट्रपतीय सरकार

2210. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटलबिहारी बाजपेयी :
श्री शारदानन्द :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कोई ऐसी मांग की है कि संविधान के अन्तर्गत काम करते हुए जो अनुभव हुए हैं उन पर विचार करना तथा यह सुझाव देने के लिए कि क्या संविधान को इस तरह से बदला जाना चाहिए कि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रपतीय सरकार बनाने की व्यवस्था की जा सके, एक विशेष समिति बनाई जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रेम रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत की बार एसोसिएशन द्वारा केन्द्र–राज्य सम्बन्ध पर 16 और 17 अप्रैल, 1967 को दो दिन की विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, श्री के० सुब्बा राव ने उसका उद्घाटन किया था और भूतपूर्व महान्यायवादी, श्री एम० सी० सीतलवाड ने उसका सभापतित्व किया था। विचारगोष्ठी में अन्य बातों के साथ साथ इन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था: इस बात पर विचार करने के लिये कि क्या विधायी सम्बन्धों के बारे में कोई सांविधानिक परिवर्तन अपेक्षित है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन यथा–अनुध्यात अन्तर्राज्य–परिषद् की प्रकृति के आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रपतीय प्रकार की सरकार का अपनाया जाना और प्रतिपक्ष से जा मिलने की बढ़ती हुई घटनाएं, आदि। विचारगोष्ठी का यह मत था कि केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी सम्बन्धों को विनियमित करने के लिए संविधान में इस समय कोई आमूल परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

(ख) विचारगोष्ठी में चर्चित विषयों पर सरकार अभी किसी विनिश्चय पर नहीं पहुँची है।

Complaints against Cooperative Societies in Delhi

2211. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri R.S. Vidyarthi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Societies in Delhi against whom Government have received complaints of corruption, embezzlement, misappropriation and for not keeping proper accounts during the last five years;

(b) the names of such co-operative societies with the names of their office-bearers;

(c) whether it is a fact that Delhi Administration is taking action pe novo against such co-operative soctieties against which no suitable action was taken earlier, and

(d) if so, the names of those co-operative societies and their office-bearers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) 78

(b) List is enclosed, [Placed in Library, see No. LT-626/67]

[c] Question does not arise since legal action against all the defaulting societies is in progress.

[d] Does not arise,

दिल्ली परिवहन

2212. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल
श्री हेम राज :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन के कार्यसंचालन की जांच करने के लिए कोई समिति बनाई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) निम्न विचारार्थ विषयों के लिए एक कार्य अध्ययन दल स्थापित किया गया है:–

1. यातायात की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र की सड़क परिवहन आवश्यकताओं का निर्धारण करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों सहित क्षेत्र की सड़क परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तावों का अध्ययन करना।

3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के लिए दिल्ली परिवहन संस्थान द्वारा तैयार किये गये विस्तार कार्यक्रम की परीक्षा करना।

4. मौजूदा चालन की लागत और वर्तमान भाड़ा संरचना के सम्बन्ध का अध्ययन करना और क्या बस भाड़े की समीक्षा की आवश्यकता है इसकी सिफारिश करना।

5. बगैर टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए प्रबन्धों की फिर से जांच और परीक्षा करना और संस्थान की आमदनी बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देना।

6. संस्थान को दिए हुए ऋण के उचित उपयोग के विशेष संदर्भ में संस्थान की वित्तीय स्थिति की परीक्षा करना और यदि जरूरत हो तो उपचारी कार्यवाही के लिए उपायों का सुझाव देना।

7. विचाराधीन विषयों से सम्बद्ध ऐसी ही कोई और सिफारिश करना।

(ग) दल की रिपोर्ट 7 जून 1967 को मिल गई है।

Export of Cows and Calves from Haryana

2213. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Haryana Transport Minister has stated in the State Assembly on the 20th March, 1967 that they had not got the permission from the Centre for banning of export of cows and calves from that State so far; and

(b) if so, the reasons for not giving their approval to the State Government by the Centre ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communiy Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of India are not aware of the statement.

(b) However, the Government of Haryana had approached the Central Government for seeking permission to promulgate an Ordinance banning the export of cattle from the State. This request of the State Government was examined keeping in view the Shriman Narayan Committee's recommendations, and it was felt that imposition of a total ban on the export of cattle from Haryana State would adversely affect the interests of Cattle breeders in the State as well as the general cattle development in the country. The State Government was, therefore, advised to consider introducing restrictions on the export of only young and high yielding milch animals.

भागीरथी योजना

2214. डा० रानेन सेन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल सरकार की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि भागीरथी पर नियन्त्रण की योजना के लिये केन्द्र सरकार धन दें क्योंकि केवल इसी से नदी-परिवहन में सहायता मिलेगी और फरंका बांध प्रभावी बन सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) पच्छिम बंगाल की सरकार द्वारा भारत सरकार को भागीरथी के नियन्त्रण के बारे में कोई विशेष योजना नहीं भेजी गई है। पच्छिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार का ध्यान फरंका बांध परियोजना के अभिन्न भाग के रूप में भागीरथी को पुनः अनुमाजित करने की आवश्यकता पर और परियोजना के साथ ही इसे क्रियान्वित करने की ओर खींचा है। शोधक उपायों के लिए किये जाने वाले कार्यों को निश्चयन के लिये, कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों द्वारा तकनीकी अधिकारियों के एक अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। इस दल ने फरंका बांध नियन्त्रण मण्डल के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट भेज दी है। परन्तु चूंकि यह मण्डल मुख्यतः बांध के निर्माण ही से सम्बद्ध हैं अतः रिपोर्ट की परीक्षा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किये जाने का निश्चय किया गया है।

Loan to Agriculturists

2215. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to ensure that not more than 3 perscent interest is charged in any case on the loans advanced to farmers by the Reserve Bank of India through the Rural Cooperative Banks; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो जेट विमानों का चलाया जाना

2216. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री मीठालाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एवरो जेट विमानों से जिन्हें इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपनी विमान सेवा में चलाना आरम्भ कर रहा है, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि होगी ;

(ख) क्या सरकार इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए इन विमानों को नहीं खरीदना चाहती ; और

(ग) क्या डकोटा विमानों के स्थान पर थोड़े यात्रियों की क्षमता वाले छोटे जेट विमान विदेशों से खरीदे जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एवरो विमानों में टर्बा-प्रोप इंजन लगे होते हैं, जेट इंजन नहीं। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि अपने आपमें एवरो विमानों का चालन प्रारम्भ करने से कारपोरेशन को कोई वित्तीय हानि होगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

दिल्ली-कनाडा विमान सेवा

2217. श्री हुकमचन्द कछवाह :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्रीमती अगमदास गुरु मिनिमाता :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकार से प्रार्थना की है कि पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिये बरास्ता जबलपुर दिल्ली से कनाडा नेशनल पार्क, मांडला के लिये सप्ताह में दो बार विमान सेवा आरम्भ की जाये ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास कनाडा नेशनल पार्क को विमान सेवा चालू करने के लिए एक मांग आई है ।

कनाडा के पास की हवाई पट्टी की, जिसका संधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अनुसूचित विमान सेवाओं की दृष्टि से उपयुक्तता की छानबीन की जा रही है । जांच परिणाम प्राप्त होने पर कारपोरेशन कनाडा को विमान-सेवा परिचालित करने के प्रश्न पर वायुयानों की उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए और आगे विचार करेगा । साथ ही साथ, कारपोरेशन यातायात का भी सर्वेक्षण कर रहा है ।

विदेशों से अनाज

2218. श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकारसिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ
श्री चं० चु० देसाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) अनाज सप्लाई किये जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा मित्र देशों से की गई प्रार्थना के परिणामस्वरूप किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में अनाज प्राप्त हुआ है अथवा अनाज की सप्लाई का आश्वासन दिया गया है ;

(ख) इसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) अनाज के मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 1967 में आयात किये जाने वाले अनाज की मात्रा का व्यौरा एक संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 627/67**] पी० एल 480 के अन्तर्गत और वाणिज्यिक खरीद से प्राप्त की गई मात्रा भी इसमें शामिल है ।

Agricultural Operation by Government Employees after retirement

2219. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture**, be pleased to state :

(a) whether Government do not allow the Central Government employees to start any business after retirement ; and

(b) whether Government have any proposal under consideration to provide opportunities to the retired personnel for under-taking agricultural operations on collective basis in partnership with Government as a measure to step up food production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Anna sahib Shinde). (a) No permission is required by a Central Government Employee for setting up a private business after retirement.

(b) No, Sir. If, however, retired personnal are small agriculturists and they form a cooperative farm they are entitled to financial assistance admissible to Cooperative Farming Societies. In some States ex-servicemen have farmed Cooperative farms mainly on Government waste lands settled with them. In such cases financial assistance has been given according to the approved scale of assistance.

Mexican Variety of Wheat

2220. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 87 on 28th March. 1967 and state :

(a) whether the information regarding the production of Mexican variety of wheat and hybrid Bajra has been received from the Rajasthan Government; and

(b) if so, the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Mexican variety of wheat, Sonora 64, was produced at the Government Agricultural Farm, Ganganagar and an average yield of 4686 kgs. per hectare was obtained last year. The National Demonstration Trials conducted with hybrid Bajra in Ganganagar area resulted in yields ranging from 3750-6095 kgs. per hectare.

Complaints Against D. M. S.

2221. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri R. S. Vidyrathi :

Will the Minister of **Food and Agricultnre** be pleased to State :

(a) whether Government have received some complaints against the working of Delhi Milk Scheme; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriulture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir,

(b) Suitable action is taken by the Government keeping in view the nature of the complaints. These include corrctive steps, where the cause of complaint rises from a fault, such as breakdown of milk van. there are other complaints which arise out of improper conduct on the part of some employees in which case, the complaint is enquired into an a disciplinary action is taken if there are sufficient grounds for doing so.

वाराहा में पत्तन

2222. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या परिवाहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्कों के परिवहन के लिये गोदावरी नदी के वराहा नदीमुख पर एक नया पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पत्तन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इस पर कितना यातायात होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम् पत्तन में सुविधाओं का विस्तार कर या काकीनादा और विशाखापत्तनम् के बीच एक नया निकास विकसित कर खनिज पदार्थों को धरने उठाने की अतिरिक्त सुविधा स्थापित करने की शक्यता पर विचार किया जा रहा है । अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद ही प्राक्कलित लागत तथा अन्य ब्यौरे मालूम हो सकेंगे ।

अनाज में आत्म-निर्भरता

2223. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने निर्यात कृषि-शास्त्री, श्री विलियम पैडांक ने यह बयान दिया है कि भारत अनाज के मामले में 1971 तक आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) श्री विलियम पैडांक तथा उनके भ्राता ने ऐसे विचार प्रकट किये हैं परन्तु भारत सरकार यह नहीं जानती कि आया वे भारत की कृषि समस्याओं के विशेषज्ञ हैं ।

(ख) भारत सरकार गैर-सरकारी व्यक्तियों के निजी विचारों के बारे में विवाद में पड़ना नहीं चाहती और न ही उनके बारे में कुछ कहना सम्भव है ।

जापान से चावल मिलों की मशीनों का आयात

2224. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव .
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से चावल मिलों की नवीनतम 24 मशीनों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) ऐसी मिलों में धान से कितने प्रतिशत चावल निकाला जायेगा ;

(ग) ऐसी चावल मिल की प्रत्येक मशीन पर क्या लागत आयेगी ; और

(घ) उन मिलों को कहां पर लगाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। 5 पूरे संयंत्र और 19 अन्य एककों के लिये आधारभूत पुर्जे आयात करने का विचार है।

(ख) धान से 4 प्रतिशत पालिश पर 70 से 72 प्रतिशत चावल प्रत्याशित है।

(ग) इमारत, भूमि आदि को छोड़ कर प्रत्येक सम्पूर्ण एकक की लागत लगभग 1.80 लाख रु० होगी।

(घ) मामला विचाराधीन है। किस क्षेत्र में कितना धान पैदा होता है, खाद्यान्न निगम कितनी मात्रा समाहार करती है, धान से चावल तैयार करने के लिये कितनी क्षमता उपलब्ध है तथा उगाने वालों की संस्थाओं से कितना समर्थन प्राप्त हो सकता है, उन बातों पर विचार करने के बाद स्थानों के बारे में निर्णय किया जायेगा।

Taichung Native-1 Paddy

2225. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the complaints made from any parts of the country that 'Taichung Native I' type of paddy, which is planned to be cultiivated on a very large scale, has been infested with a disease called bacterial blight;'

(b) whether it is a fact that this infectious disease causes damage even to other fields adjoining those where 'Taichung Native' type of paddy is also cultivated,' and

(c) if so, the remedial measures adopted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Taichung Native-1 paddy is susceptible to attack of pests and dis ases, particularly bacterial blight. Some reports of incidence of bacterial blight on this crop were received from the States of Orissa, Madhya Pradesh and Maharashtra during the last Kharif season', but on investigation it was found that the crop was affected by attack of Jassids and Fulgorids in some of the districts of these States. However, as a result of the timely and effective control measures adopted by the concerned State Governments with Central assistance, the crop recovered soon from the pests attack.

(b) No such reports were received from any State by the Government of India.

(c) Does not arise.

'Rust' Disease

2226. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the active steps being taken by Government with a view to remedy the disease named "Rust", by which wheat and barley crops in the country sustain heavy damage;

(b) whether it is a fact that the said disease has proved more harmful to crops in hilly areas;

(c) if so, whether some new types of wheat and barley have been found which could remain immune from this disease ,· and

(d) whether they are available to farmers in adequate quantities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of India and the States are paying active attention to the control of rust diseases of wheat and barley crops in the country by breeding rust resistant high yielding superior quality varieties, as this is considered to be the most effective and least expensive method of controlling rust disease. As a result of research work done so far, many varieties of wheat have been released which possess resistance or tolerance to two or all the 3 known rusts.

(b) The disease has proved to be equally harmful both in the plains as well as in the hills.

(c) No varieties of wheat and barley can be expected to remain immune from this disease, as new races of rust arise from time to time. However, a number of varieties of wheat and barley have been released which showed resistance to one or more rusts.

(d) The seeds of some rust resistant varieties of wheat evolved so far such as Lerma Rojo, have been abundently produced in the country. NP 809, NP 846, NP 818 have been released in the hills. The seeds of the recently developed good quality high yielding rust resistant wheat varieties are also being multiplied and it is expected that a sizeable quantity thereof will be available during the coming season.

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार मूल्य

2227. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री मि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में चावल के समाहार मूल्यों में समानता बनाये रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस समय विभिन्न किस्मों के चावल और धान के कितने समाहार मूल्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

धान/चावल के समाहार मूल्य

पश्चिम बंगाल			प्रति क्विंटल रु०
किस्म	**श्रेणी**	**धान**	**चावल**
अमन	(एक) साधारण	56.25	93.75
	(दो) बढ़िया	58.95	97.80
	(तीन) सबसे बढ़िया	61.60	101.80
ओस और नोरो सभी श्रेणियाँ		56.25	93.75

उड़ीसा:—उड़ीसा में मिल में कूटा हुआ चांवल वसूल नहीं किया गया था ।

हाथ से कूटा हुआ चावल	(एक) साधारण	41.00	74.15
	(दो) बढ़िया	43.68	78.33
	(तीन) सबसे बढ़िया II	46.36	83.10
	(चार) सबसे बढ़िया I	48.00	85.67
	(पांच) सबसे बढ़िया I (सितासाल, मचकंता और पदम केसरी)	49.00	87.24

भारत और जर्मनी की कृषि परियोजना

2228. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसी भाग में भारत और जर्मनी की एक कृषि परियोजना चालू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा किस स्थान पर चलाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में पटसन का उत्पादन

2229. चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उडीसा में पटसन का वर्तमान उत्पादन कितना है ; और

(घ) 1967-68 में उडीसा के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकार की गई है जिसके अन्तर्गत 1.00 लाख एकड़ भूमि को यूरिया के फोलियर स्प्रे के अन्तर्गत लाया जाएगा। फोलियर स्प्रे कार्यों के लिए राज्य सरकार को निःशुल्क 1,000 मीटरी टन यूरिया अलाट किया गया है । भारत सरकार ने जूट के उत्पादकों को निःशुल्क देने के लिए 80 लो वाल्यूम-पावर स्प्रेयरों के क्रय के लिए 50 प्रतिशत उपदान देना स्वीकार किया है । शेष 50 प्रतिशत उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।

यह नहरी क्षेत्रों में डबल क्रापिंग शुरू करने की राज्य सरकारों की योजना के अतिरिक्त है।

(ग) 1966-67 में 2.3 लाख गांठों का उत्पादन ।

(घ) जूट की 6.34 लाख गांठ ।

उड़ीसा में सहकारी चावल मिलें

2230. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम उडीसा में आधुनिक ढंग की सहकारी चावल मिलें खोलने की किसी योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में छोटे पत्तन

2231. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में उडीसा में किन-किन छोटे पत्तनों का विकास किया गया ;

(ख) इन पत्तनों के विकास पर कुल कितना धन व्यय हुआ,

(ग) इन पत्तनों का क्या विकास किया गया; और

(घ) 1966-67 में उड़ीसा में छोटे पत्तनों के विकास के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया तथा किन-किन पत्तनों के लिये ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी है कि चांदबाली में त्रिकोणीय सर्वेक्षण पूरा करने में और गोपालपुर में विस्तृत सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल करने में 834000 रुपये का व्यय किया गया था। यह पारादीप पत्तन पर किये गये व्यय के अतिरिक्त है जो अब एक बड़ा पत्तन है।

(घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Shipping Industry

2232. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that he had a talk with the Russian Deputy Minister of Aviation recentty in New Delhi regarding the further expansion of the shipping industry; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) The question presumably refers to the discussions held in January/February, 1967 between a delegation from the U. S. S. R. led by Mr D. K. Zotov, Deputy Minister of Merchant Marine and a delegation from the Government of India led by Shrimati Jahanara Jaipal Singh then Deputy Minister in the former Ministry of Transport and Aviation.

The working of the Indo-U. S. S. R, shipping service was reviewed and details relating to sailing schedules, the number of sailings, parity in respect of cargo lifting and freight carnings and other consequential matters were discussed and agreed to.

पी० एल० 480 के अधीन अन्न का आयात

2233. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के करार के अधीन अमरीका से अब तक कुल कितना अन्न मंगाया गया है ;

(ख) उसकी कुल कीमत क्या है; और

(ग) पी० एल० 480 के अधीन मंगाये जाने वाले खाद्यान्नों पर कब तक निर्भर रहना पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) पी० एल० 480 के करार के अधीन अमरीका से 1956 तथा 31 मई 1967 तक जो अन्न आया वह 442.53 लाख मीट्रिक टन था और इसका मूल्य 1855.41 करोड़ रुपये था (लागत खर्च तथा किराया)।

(ग) यह अनुमान लगाते हुए कि सामान्य वर्षा होगी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जो उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये हैं वे पूरे हो जायेंगे तो संभवतः उपभोग की मांग 1970-71 तक आन्तरिक उत्पादन से ही पूरी हो जायेगी।

फसल बीमा योजना

2234. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री एस्थोस :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइति :
श्री रणधीर सिंह :
श्री हेमराज :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मदइमाम :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री मणी भाई जे० पटेल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कं० हाल्दर :
श्री राने :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र राज्यों में कोई फसल बीमा योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन राज्यों ने बनाई है;

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) क्या अनिवार्य फसल बीमा के सम्बन्ध में विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यदि हां, तो इसे कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। फिर भी माडल क्राप इन्शोरेन्स स्कीम का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कम्पलसरी क्राप इन्शोरेन्स के लिए प्रारूप पर सरकार अभी विचार कर रही है

क्विलोन में उप-सड़क तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या-47

2235. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विवलोन में राष्ट्रीय राजपथ संख्या-47 के लिये एक उप-सड़क बनाने की नितान्त आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार को ज्ञात है कि विवलोन में एक बाहरी सड़क की आवश्यकता है । परन्तु वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति में इस निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता देना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि अभी चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के घी की कमी

2236. श्री शारदानन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के घी और दूध की अब अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का दिल्ली के आस-पास कोई सरकारी डेरी फार्म खोलने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के घी की सप्लाई कम है परन्तु टोकन/कार्ड होल्डरों को पूरा दुग्ध संभरण किया जा रहा है ।

(ख) घी फालतू दूध से तैयार किया जाता है । गर्मियों में प्राकृतिक कारणों से दूध की कमी हो जाती है और फालतू दूध न रहने के कारण घी की तैयारी कठिन हो जाती है । इतने दूध का प्रबन्ध करते हुए कई बार कुछ दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है उस दूध से घी तैयार कर लिया जाता है ।

मौजूदा गर्मियों में दूध की कमी का मुख्य कारण यह है कि गत सर्दियों में उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई जहां से दिल्ली दुग्ध योजना दूध खरीदती है । सप्लाई की कमी की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) आयातित दुग्धचूर्ण की काफी मात्रा की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मियों में दूध की कमी पूरी की जा सके ।

(2) सफेद मक्खन का काफी स्टाक कर लिया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उससे दूध तैयार किया जा सके ।

(3) योजना को दूध सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के साथ करार तय किये गये हैं; जिनके अन्तर्गत दूध सप्लाई के विषय में विभिन्न कोटे निर्धारित किये गये हैं । गर्मियों के लिए कोटे की मात्रा 100 प्रतिशत, वर्षा ऋतु के लिए 75 प्रतिशत तथा गर्मियों में उत्तर प्रदेश के लिए 60 प्रतिशत तथा हरियाणा के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है । यदि ठेकेदार करार के अनुसार दूध सप्लाई न कर सकें तो उन्हें 5 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से हरजाना देना पड़ेगा ।

(4) दूध की कमी के कारण इस वर्ष योजना को पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है । दुग्ध सप्लाई के लिए ठेकेदारों को भी कमीशन अधिक दिया जा रहा है ।

(5) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में खोये के आयात, निर्माण, विक्रय तथा रबड़ी, पनीर तथा दूध से तैयार की जाने वाली मिठाइयों आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । यह प्रतिबन्ध 17-5-67 से लगाया गया है ।

(ग) डेरी फार्म स्थापित करने की किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है ।

हरियाणा को गेहूं की सप्लाई

2237. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने अनाज की अपनी कमी को पूरा करने के लिये गेहूँ का अतिरिक्त कोटा मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि कम अन्न आने के कारण एक दम अतिरिक्त कोटा देना सम्भव नहीं है परन्तु यदि सप्लाई की स्थिति सुधर गई तो केन्द्रीय सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ।

होटल विकास निधि

2238. श्री रामकृष्ण गुप्त : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होटल विकास निधि के स्थापित करने का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : सरकार ने 1967-1970 के वर्षों में होटल व्यवसाय को ऋणों के वितरण के लिये एक अलग निधि स्थापित करने का

निश्चय किया है। जिन शर्तों द्वारा इन ऋणों का विनियमन किया जायेगा उनका व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

एवरो–748

2239. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गिरराज शरण सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठालाल :
श्री मधु लिमये :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को, कितने एवरो-748 विमान दिये गये हैं और क्या यह सच है कि कानपुर कारखाने से करार के अनुसार एवरो-748 की सप्लाई नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) एवरो-748 की सप्लाई के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और हिन्दुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं है। तथापि, विद्यमान समझौते के अनुसार, पहला एवरो विमान मई, 1967 में दे दिया जाना चाहिये था। अब इसके अधिक से अधिक जुलाई के पहले सप्ताह तक दे दिये जाने की आशा है।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

2240. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में हाल में चीनी का मूल्य बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा क्या यह वृद्धि केन्द्र की अनुमति से की गई है ; और

(ग) यह वृद्धि क्यों की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। हाल ही में चीनी के दाम नहीं बढ़ाये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विझिजम फिशिंग हार्बर परियोजना

2241. श्री विश्वम्भरन : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विझिंजम फिशिंग हार्बर परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना हैं ; और

(ख) वर्ष 1966-67 के बजट में इस परियोजना के लिये कितनी राशि नियत की गई थी और उस वर्ष इस पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक केन्द्रीय संचालित योजना के रूप में परियोजना केरल की सरकार द्वारा निष्पादित की जा रही है। आशा है कि हार्बर 1970-71 में पूरा हो जाएगा।

(ख) 1966-67 के लिए विझिंजम फिशिंग हार्बर हेतु कोई विशेष राशि नियत नहीं की गई है। 1966-67 के लिए "लैन्डिंग एण्ड बर्थिंग फैसिलिटीज एट माइनर पोर्टस" हेतु 66 लाख रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया था और राज्य सरकार ने इसके अनुसार बजट व्यवस्था कर दी थी। 1966-67 से जनवरी, 1967 तक 8.145 लाख रुपये इस परियोजना पर खर्च किए गए और 31 मार्च, 1967 तक 22 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र

2242. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सहकारों को कहा है कि वे अपने अपने राज्यों के चिरकालीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी केन्द्र को भेजें ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में हर वर्ष किन किन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सूखे की समस्या का विश्लेषण करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे भूतपूर्व बम्बई राज्य द्वारा 1960 में तैयार किये गये सिद्धान्तों के आधार पर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के विस्तृत वर्गीकरण के विषय में रिपोर्ट भेजें।

(ख) सामान्यतः देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जो प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होता हो।

संसद-सदस्यों की कारों की नम्बर प्लेट

2243. डा० करणीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **परिवाहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिक कार के सदस्यों के समान सभी संसद-सदस्यों की कारों की नम्बरों की प्लेटें एक जैसी ही जारी करने का सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवाहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० **राव**) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नियंन्त्रित खाद्यान्न

2244. श्री सेक्वीरा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के पास प्रत्येक नियंत्रित (कंट्रोल्ड) अन्न का मार्च 1967 के अन्त तक कितने टन का भंडार पड़ा है;

(ख) उन में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उस समय की राशन की दर के अनुसार कितने महीनों तक के लिए प्रत्येक भण्डार पर्याप्त होगा;

(ग) उक्त प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कितने राशन कार्ड वाले थे तथा उनमें से प्रत्येक अन्न का प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रत्येक मास के लिये कितना राशन था;

(घ) क्या अप्रैल में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे को कोई भण्डार भेजे गये; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस स्थान से किस स्थान को ये भेजे गए ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 628/67**]

(ख) से (ङ) यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय वन अधिनियम में संशोधन

2245. श्री हेम राज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन अधिनियम में, जो भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में पुराना तथा बेकार हो चुका है, संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय वन अधिनियम 1927 में बनाया गया था और तत्कालीन प्रान्तों तथा राज्यों में लागू किया गया था। भारत का विधान बनने पर 'वन' राज्य का विषय बन गया और इस विषय पर विधान बनाना राज्य सरकारों का काम है। इस सम्बन्ध में केन्द्र का दायित्व तो केवल उन्हीं संघ क्षेत्रों तक सीमित है जो विधान बनाने में असमर्थ हैं।

वन विधेयक के प्रश्न पर विचार करने के लिये सैन्ट्रल बोर्ड आफ फारेस्टरी ने एक उप-समिति बनाई। इस उप-समिति ने भारतीय वन अधिनियम का व्यापक रूप से परीक्षण किया

और रिपोर्ट दी कि किन तरीकों से अधिनियम में संसोधन किया जाये । यह रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों के पास भेज दी गई ।

भारतीय वनों का सर्वेक्षण

2246. **श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध वनों में पूंजी लगाने से पूर्व उनका सर्वेक्षण करने से है । यदि प्रश्न का आशय यही है तो यह सर्वेक्षण खाद्य एवं कृषि संगठन तथा यू० एन० डी० पी० की सहायता से नौ राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल तथा मैसूर के चुने हुए क्षेत्रों में किया जा रहा है ।

इन राज्यों में सर्वेक्षण कार्य जारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन के विस्तार के लिए पुस्तिका तथा पढ़ने का सामान

2247. **श्री म० रं० कृष्ण :**

श्री दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन निगम ने भारत में विदेशी पर्यटकों के लाभ के लिये पढ़ने का सामान तथा वैकल्पिक पुस्तिकायें प्रकाशित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद तथा शीतऋतु वाले और अन्य खेलकूद केन्द्रों का महत्व बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम को पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन प्रचार साहित्य के उत्पादन का कार्य सौंपा गया है ।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा उत्पादित फोल्डर, संदर्शिकाएं, विवरणिकाएं, निवेश (इन्सर्ट्स), पोस्टर जैसे विभिन्न प्रकाशन विदेशी पर्यटकों की रूचि के सभी पर्यटक केन्द्रों के बारे में होते हैं । इस विभाग द्वारा उत्पादित प्रचारसाहित्य सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों, मछली पकड़ना, शिकार, निपथ यात्रा (ट्रेकिंग) जैसे शीत ऋतु वाले और अन्य खेलों, वन्य पशु शरणस्थानों (वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज़) के बारे में होता है ।

पटसन उत्पादकों के लिये सुविधाएं

2248. श्री फ० गो० सेन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नहर परियोजना क्षेत्रों में पटसन उद्योग की अच्छे पटसन की आवश्यकता पूरी करने के लिये पटसन की किस्म सुधारने के लिये पटसन उत्पादकों को पटसन गलाने की सुविधाएं देने पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्यान्विति के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 के दौरान पटसन उत्पादकों के लिए सुविधायें देने के लिए बिहार सरकार ने 24–5–67 को निम्नलिखित कार्यक्रम 50 प्रतिशत सहायता के आधार पर स्वीकृत किया है :–

		संख्या
1.	पटसन गलाने के व्यक्तिगत तालाब	350
2.	सामुदायिक पटसन गलाने के तालाब	50
3.	ट्यूबवैल कम पक्का तालाब	12
4.	पटसन गलाने के तालाब	60
5.	सीमेन्ट कनेक्रीट स्लैब्ज	10,000

(ख) कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। योजना की स्वीकृति से पहले 227 कच्चे और 12 कमुनिटी टैन्क निर्मित कर दिए गये थे।

Compulsory Procurement of Foodgrains

2249. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Karni Singh :
Shri Swell :
Shrimati Nirlep Kaur :
Shri Barrow :
Shri Kolai Birua :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the States where the scheme for compulsory procurement of foodgrains has been launched;

(b) the quantity of foodgrains procured so far under this scheme;

(c) whether some difficulties have arisen on account of compulsory procurement of foodgrains; and

(d) if so, the steps taken to remedy them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Compulsory procurement of foodgrains has been launched in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Haryana, Maharashtra, Mysore, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

(b) About 17 lakh tonnes of foodgrains have so far been procured under the Scheme in the current year.

(c) No difficulties have, generally speaking, arisen on account of compulsory procurement of foodgrains,

(d) Does not arise.

कोचीन पत्तन

2250. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अविचन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में कोचीन पत्तन के विकास के लिए कितनी रकम नियत की गई थी,

(ख) कितनी रकम खर्च की गई, और

(ग) क्या पत्तन का विकास और उन्नति न होने के कारण पत्तन को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1966-67 में कोचीन पत्तन के विकास के लिये 133.43 लाख रुपये की राशि अलग रख ली गई थी।

(ख) पत्तन के विकास पर 1966–67 में 114.52 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

(ग) जी नहीं। उत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में पत्तन सुविधाओं में पर्याप्त उन्नति हुई है। महत्वपूर्ण कार्यों में, दो कोयले के घाटों का, इरनाकुलम जलमार्ग में 4 शायिक घाट का, एक नयी तेल टेंकर जेटी का, और एक नये 120 टन के तिरते क्रेन का निर्माण किया गया। एक नयी 1500 अश्व शक्ति की कर्षनाव की खरीद की स्वीकृति दी जा चुकी है। एक स्वप्रणोदक अग्निशामक जलयान के लिये क्रय आदेश दिया जा चुका है। लगभग 50 लाख रुपये की लागत के नये हापर ग्रेव ड्रेजर की खरीद के लिये निविदायें माँगी गई हैं। मौजूदा ड्रेजर 'लार्ड वेलिंग्डन' के स्थान पर एक नये सक्शन ड्रेजर की खरीद विचाराधीन है।

उड़ीसा को गेहूं और चीनी का नियतन

2251. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1966–67 में गेहूं और चीनी की कितनी मात्रा नियत की गई तथा वास्तव में कितनी दी गई; और

(ख) 1967–68 की पहली तिमाही के लिये उड़ीसा को गेहूँ और चीनी की कितनी मात्रा नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गेहूँ तथा चीनी की 1966–67 (अप्रैल-मार्च) में उड़ीसा के लिये नियत की गई तथा वास्तव में भेजी अथवा छोड़ी गई की मात्रा इस प्रकार थी :–

('000 टनों में आंकड़े)

	नियत की गई	भेजी अथवा छोड़ी गई
गेहूँ	148.3	136 4
चीनी	69.7	59.7

(ख) 1967–68 (अप्रैल-जून, 67) के लिए उड़ीसा को आयातित गेहूं तथा चीनी की नियत की गई तथा संभवत, आगे नियत की जाने वाली की मात्रा इस प्रकार है:

	दी गई
गेहूं	29.2
चीनी	12.0

1966–67 के दौरान बागवानी का विकास

2252. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 के लिए बागवानी के विकास हेतु उड़ीसा सरकार को दी गई धनराशि पूर्णतः खर्च कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज

2253. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायती राज आरम्भ करने की योजनाओं को स्थगित कर दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार की सहमति ले ली थी; और

(ग) राज्य सरकार ने पंचायती राज आरम्भ करने के लिये कौन सी नई समय सूची बनाई है तथा उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य में ग्राम पंचायतें गठित की जा चुकी हैं। वर्तमान कानून में उपयुक्त संशोधन करके उच्च स्तरीय संस्थाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है और समय सूची उसके बाद बनाई जाएगी।

उड़ीसा में लगाये गये नलकूप

2254. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मई, 1967 के अन्त तक कितने परीक्षात्मक नलकूप लगाये गये; और

(ख) उनमें से कितने संतोषजनक पाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा में भू-जल की खोज के दौरान परीक्षात्मक नलकूप संगठन ने मई, 1967 के अन्त तक 33 समन्वेषी बोर खोदे जिसमें से केवल 20 में से संतोषजनक रूप से जल निकला।

उड़ीसा से चावल की सप्लाई

2255. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने अप्रैल, 1967 से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार को कितना चावल दिया; और

(ख) वह कितने मूल्य का था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा की सरकार ने 1 अप्रैल 1967 से 31 मई 1967 तक केन्द्रीय सरकार को 23,80 5 टन चावल दिया गया।

(ख) जो चावल दिया गया उसकी लागत लगभग 2 करोड़ रु० है।

उड़ीसा के लिये चीनी का आवंटन

2256. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से लेकर मई, 1967 तक, महीने-वार, उड़ीसा के लिये चीनी का कितना कोटा आंवटित किया गया; और

(ख) इन महीनों के दौरान उड़ीसा ने कितनी चीनी मांगी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा को मार्च से मई 1967 तक चीनी का जो कोटा दिया गया वह इस प्रकार है :

मार्च	'67	—	4,500 टन
अप्रैल	'67	—	4,500 टन
मई	'67	—	3,760 टन

(ख) मार्च से मई 1967 तक के लिए उड़ीसा सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं आई है।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन के लिए ऋण

2257. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उड़ीसा को कृषि उत्पादन के लिए कोई अल्प-कालीन ऋण देने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को उर्वरक बिपणन, उर्वरक तकाबी तथा बीजों व कीटनाशक औषधियों के क्रय तथा वितरण, के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। राज्य सरकारें वर्तमान क्रियाविधि तथा धनराशि की उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए अपने वास्तविक व्यय/आवश्यकता के आधार पर अल्प कालीन ऋण ले सकती हैं।

चालू वर्ष में उर्वरक विपणन हेतु उड़ीसा सरकार के लिए अब तक 53. 46 लाख रुपये का अल्प कालीन ऋण स्वीकार किया जा चुका है।

उड़ीसा में उड्डयन (फ्लाइंग) क्लब

2258. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में लड़कों तथा लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिये उड़ीसा में उड्डयन (फ्लाइंग) क्लब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी नहीं, । नागर विमानन के महानिदेशक अथवा भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

National Highways

2259, Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) The progress made in the construction of National Highways of strategic importance on the Northern Border of India particularly in the Northern Region of Bihar specifically in respect of two highways in Bihar, one from Kathmandu to Delhi and other from Balmiki Nagar to Katihar passing through Champaran;-

(b) whether the construction work has recently been suspended; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K.R.V. Rao) : (a) Work on the development of National Highways of strategic importance on the Northern Border of India is proceeding as planned. North Bihar is served by portions of National Highways 28, 31 and the whole of 28-A. Delhi is connected to Nepal by National Highways 24, 28 and 28-A; Balmiki Nagar and Katihar do not lie on any National Highway.

All development works on National Highway 31, passing through Bihar, have been completed. 75% of the work of widening the carriageway of National Highway 28-A, from one to two lanes as well as other works, have been completed and the rest is in progress. The road however is traffic worthy. 70 miles portion of Nationai Highway 28 from Pipra Kothi, in Bihar to Salimgarh in U. P., is being constructed under the Lateral Road Programme. 60% of earthwork has been completed and 90% of the work relating to the collection of material has been done. The only bridge, under construction at Dumariaghat on this alignment, is in progress. About 30% of the well sinking required on this bridge has been done and the work of guide bunds has been almost completed.

(b) Construction work on these National Highways in Bihar has not been suspended.

(c) Does not arise.

पालम हवाई अड्डे पर बिना शुल्क की दुकानें

2260. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री पार्थसारथी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में पालम हवाई अड्डे पर बिना शुल्क की दुकाने खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पालम हवाई अड्डे पर जल्दी ही एक बिना शुल्क की दुकान खोली जाने वाली है। प्रारम्भिक अवधि में इस दुकान से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी इसका किसी भी अंश तक बिल्कुल सही सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है, लेकिन मोटे अनुमान के तौर पर यह आशा की जाती है कि दुकान से वित्तीय वर्ष 1967–68 में 25,000/– रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी।

केन्द्रीय अधिनियम

2261. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1966 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने मामलों में केन्द्रीय अधिनियमों के सारे या कुछ उपबन्धों को शक्ति बाह्य घोषित किया गया;

(ख) जिन अधिनियमों पर इसका प्रभाव पड़ा है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) कितने मामलों में उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें की गईं, और उनमें उच्चतम न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया है; और

(घ) न्यायालयों में कितने मामले अब भी लम्बित है ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) जानकारी संगृहीत की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Land Development Corporation

2262. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the proposal to set up a Land Development Corporation to reclaim fallow land,

(b) if so, the details regarding its administration and scope of activities, and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasahib Shinida) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is a demand for large blocks of land for plan schemes like setting up of large seed farms, which take priority over the scheme for setting up a Land Development

Corporation. Besides, wastelands are also being utilised for the resettlement of land-less agricultural labourers under the State Plan and Centrally sponsored schemes. After all the demands for such schemes are met, it will then be examined whether the magnitude of the remaining problem is big enough to warrant the setting up of a Land Development Corporation.

Rabi Cultivation

2263. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in different States brought under rabi cultivation in 1965–66. and

(b) the acreage of land brought under rabi cultivation this year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and cooperation (Shri Annasabib Shinde) : (a) A statement showing the acreage of land in different States under cultivation of rabi crops in the year 1965–66 is enclosed. [**Placed in Library See No. LT–629/667**]

(b) Estimates for 1966--67 are uot yet available.

रूस तथा अमरीका द्वारा गेहूं की सप्लाई

2264. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस में बहुत अच्छी फसल होने के समाचार को ध्यान में रखते हुए देश में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने के लिये रूस सरकार ने भारत को कितना खाद्यान्न देने का वचन दिया है; और

(ख) इसके विपरीत अमरीका सरकार ने इस वर्ष कितना खाद्यान्न देने का वचन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिसम्बर 1966 में रूस की सरकार ने भारत को 2 लाख टन गेहूं उपहार के रूप में देने की घोषणा की । यह सारी मात्रा भारत में मई 1967 के अन्त तक पहुँची ।

(ख) अमरीका से पी० एल० 480 के करार के अन्तर्गत जो 1 जनवरी 1967 से पहले तय हुआ था का बकाया अन्न लगभग 9 लाख टन गेहूँ तथा 6.8 लाख टन माइलो इस वर्ष आना है । 20 जनवरी 1967 को पी० एल० 48० के अन्तर्गत जो करार तय पाया उसके अनुसार अमरीका ने 12 लाख टन गेहूं तथा 8 लाख टन माइलो देने को सहमत हो गया है । वे 15 लाख टन खाद्यान्न देने के एक और पी० एल० 480 के करार के अन्तर्गत जो कि शीघ्र ही तय होना है । 4.8 लाख गेहूं तथा 1.2 लाख टन माइलो पेशगी देने को सहमत हो गये हैं । 1967 में अमरीका से जो अब तक निश्चित करार हुए हैं उनके अन्तर्गत खाद्यान्न की कुल सप्लाई 25.8 लाख टन गेहूं तथा 16 लाख टन माइलो होगी । जब प्रस्तावित करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे तो 6.45 लाख टन गेहूं तथा 2.55 लाख टन माइलो और मिल जायेगा ।

Waterway by Linking Various Rivers in the Country

2265. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state;

(a) the decision taken on the scheme under consideration of Government for making a waterway by linking various rivers in the country;

(b) the details of the scheme, if finalised; and

(c) whether small vessels would be able to sail between the Bay of Bengal and Arabian Sea in this waterway across the country ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) Some preliminary studies were initiated to explore the possibilities of linking various waterways in the country with a view to assessing their potential for navigation. These include the

(i) Linking the Narmada with the Ganga via the Sone.

(ii) Linking the Narmada with the Yamuna via the Ken.

(iii) Linking the Narmada with the Godavari via the wainganga (a tributary of the Godavari).

(iv) Linking the Tapi with the Godavari.

These preliminary studies were examined by the Gokhale Committee on Inland Water Transport (1959) who recommended that the question of the linking of rivers might be examined after implementation of the various multipurpose projects during the next 30 years, which would make the rivers navigable to a greater extent than at present. No detailed scheme based on these studies has been prepared and it is too early to assess the possibilities of navigation by small vessels on the linked waterways.

Development of Tourism During Fourth Plan

2266. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Mi ister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state;

(a) the amount allocated for encouraging tourism during the Fourth Plan period and the amount of foreign exchange likely to be earned as a result thereof; and

(b) the amount of foreign exchange involved in the expenditure to be incurred for the purpose ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Fourth Five Year Plan includes an allocation of Rs. 25 crores for the development of tourism. Based on a survey carried out in 1962, the total foreign exchange likely to be earned on account of tourism during the Fourth Plan period is tentatively estimated at Rs. 140 crores.

(b) The foreign exchange component in the outlay of Rs. 25 crores on Tourism Plan is estimated at Rs. 2.57 crores.

फार्म सेवा केन्द्र

2267. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फार्म सेवा केन्द्रों' की कोई योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना धन व्यय होगा;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में भी ऐसी योजना आरम्भ की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 'मशीन सर्विस सैन्टर्स' नामक एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को उनके उपकरणों के लिए सर्विसिंग और रिपेयरिंग सुविधायें दी जायें और ट्रैक्टर पावर टिलर्स, पावर स्प्रेयर्स, डीजल/पैट्रोल आयल इन्जन आदि जैसी बहुमूल्य कृषि मशीनें किराये पर दी जायें।

(ख) और (ग) विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Increase in Yield of Paddy and Wheat

2268. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state;

(a) the percentage of increase in per acre yield of paddy and wheat during the last fifteen years; and

(b) the steps being taken to raise the production per acre to the maximum possible ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The percentage increase in per acre yield of paddy (in terms of rice) and wheat between 1950-51 and 1965-66 was 22.4 and 19.7 respectively on the basis of index numbers of agricultural production.

(b) Since the beginning of the Third Plan period intensive agricultural development programmes have been in operation in selected favourable districts with the object of raising the crop yields per acre, An important measure taken recently in this direction is the introduction of the High-Yielding Varieties Programme in selected potential areas in the country from the beginning of 1966-67. These varieties of paddy, wheat, jowar, bajra and maize have been known to give yields very much higher than the traditional varieties. A total area of 32.5 million acres is planned to be brought under the cultivation of these high-yielding varieties by the end of the Fourth Five Year Plan, of which approximately 12.5 million acres would be under paddy and 8 million acres under wheat. During the current year (1967-68) it is expected that about 6.16 million acres would be covered under Paddy and 4.56 million acres under Wheat under the High-Yielding Varieties Programme. The inputs like certified high quality seed, fertilizers pesticides and credit are being assured to each and every participant farmer so as to ensure the success of the High-Yielding Varieties Programme.

Workers at Vasco-De Gama Port

2270. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state;

(a) the number of workers in the employ of Vasco-de-gama Port Trust of Goa;

(b) the names of States to which they belong; and

(c) the arrangements made by Government for providing them houses and to provide educational facilities for their children ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) and (b) Presumably, the Member is referring to the Mormugao Port Trust. On the Ist June 1967, 1727 persons

were in the employ of the Mormugao Port Trust, belonging to the States of Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, West Bengal, Mysore, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Madras and Union Territories of Goa and Delhi.

(c) The Port Trust have provided residential accommodation to 323 employees. The construction of 192 more quarters has been sanctioned and a proposal for constructing a further 368 quarters is under the consideration of the Port Trust, No Educational Institutions are run by the Port Trust. but educational facilities are available in Institutions which are in receipt of grants from the State Government. The Port Trust is reimbursing Tuition Fees and paying Children Educational Allowance to its employees on the scale applicable to Central Government employees.

अनाज का समाहार मूल्य

2271. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अनाज का समाहार मूल्य या तो बढ़ा दिया है या वे बढ़ाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें इस काम के लिये वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों ने चालू मौसम में अनाज का समाहार मूल्य सामान्यतः बढ़ा दिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठना ।

स्कूटर/टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायतें

2272. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैक्सी तथा दो सीट वाले स्कूटर चालकों के विरुद्ध अत्यधिक शिकायतें हैं कि वे यात्रियों से अधिक भाड़ा लेते हैं ।

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में कितनी शिकायतें आईं तथा कितने ड्राइवरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : 1–12–1966 से 31–5–1967 तक 448 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इस अवधि में जिन ड्राइवरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनकी संख्या 219 थी।

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने निम्न कार्यवाही की है :—

(1) परिवहन निदेशालय दिल्ली में एक कक्ष स्थापित किया गया है जो बराबर चौबीसों घन्टे काम करता रहता है और टैक्सियों तथा दो सीटर रिक्शा चालकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों पर ध्यान देता है। ऐसे अनाचार को रोकने के लिये विशेष अभियान का प्रबन्ध किया जाता है।

(2) जब कभी अधिक भाड़ा लेने, यात्री को ले जाने से इन्कार करने दुर्व्यवहार या किसी अन्य मोटर गाड़ी अधिनियम/नियम के भंग करने की शिकायत मिलती है तो परिवहन निदेशालय दिल्ली के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है और संबद्ध चालक के विरुद्ध अभियोग लगाया जाता है। दिल्ली के राज्य परिवहन अधिकारी उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की परमिट निलंबित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

(3) दिल्ली में समस्त पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने का प्रबन्ध कर दिया गया है। अब यह जरूरी नहीं रहा है कि शिकायत केवल यातायात पुलिस से ही दर्ज की जाय।

(4) अपराधी टैक्सी/स्कूटर चालकों के विरुद्ध शिकायतें भेजने में जनता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण चौराहों या टैक्सी/स्कूटर अड्डों पर तैनात यातायात पुलिस सिपाहियों को छपी शिकायत की पुस्तकें सप्लाई कर दी गई है। जनता इन शिकायत की पुस्तकों को इन चौराहों पर ड्यूटी पर खड़े यातायात पुलिस-मैनों से मांग सकती है, यदि वह किसी स्कूटर/टैक्सी चालक के खिलाफ शिकायत लिखना चाहती है। जनता को यह सूचित करने के लिये किसी जगह पर ड्यूटी पर यातायात-पुलिस मैन के पास शिकायत पुस्तक उपलब्ध है सुवाह्य पादपीठ बोर्ड निम्न स्थानों पर लगाये गये हैं।

(1) क्वालिटी रेस्टरां के सामने
(2) रेडियल रोड नं० 6 और कनाट प्लेस का चौराहा
(3) रेडियल रोड नं० 4 और कनाट प्लेस का चौराहा
(4) कश्मीरी गेट टैक्सी और स्कूटर अड्डा
(5) अजमलखां रोड और आर्य समाज रोड का चौराहा।

जोरहाट में टर्मिनल इमारत

2273. श्री रा० बरुआ : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की टर्मिनल इमारत बनाने का प्रस्ताव 1955 से खटाई में पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : जोरहाट में टर्मिनल इमारत बनाने के प्रस्ताव पर 1955 से कार्यवाही की जा रही है । इस निर्माण–कार्य के प्रारम्भिक प्राक्कलन 1956 में मंजूर किये गये थे, लेकिन निर्माण–कार्य के लिये चुने गये स्थान को बाद में रक्षा मन्त्रालय ने स्वयं अपने उपयोग के लिए ले लिया और इस प्रकार वह स्थान नागर विमानन विभाग को उपलब्ध नहीं किया जा सका । तब एक दूसरा स्थान चुना गया लेकिन 1962 में आपात स्थिति के कारण निर्माण-कार्य स्थगित करना पड़ा । इस स्थान का भी बाद में रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया । एक अन्य स्थान पर्याप्त सर्वेक्षण कार्य के बाद केवल 1965 के अन्त तक चुना जा सका । इस स्थान का एक हिस्सा तो रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है तथा भूमि के बाकी हिस्से का 'नेफा' प्रशासन उपयोग कर रहा है । इस हिस्से को भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिसके बाद निर्माण-कार्य आरम्भ करना संभव हो सकेगा ।

आसाम में काजीरंगा शिकारगाह जाने के लिये विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं

2274. श्री रा० बरुआ : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के काजीरंगा शिकारगाह में जाने के लिये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विमान की सुविधाएं तथा होटलों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलकत्ता से जोरहाट तक, जो कि काजीरंगा शिकारगाह से समीपतम विमान क्षेत्र है, प्रतिदिन दो विमान सेवायें चल रही हैं ।

काजीरंगा में उपलब्ध आवास–व्यवस्था में एक पर्यटक लॉज तथा एक पर्यटक बंगला (श्रेणी I) ; और बागुड़ी एवं अरिमोड़ा में एक एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सम्मिलित हैं ।

(ख) पर्यटन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में काजीरंगा शिकारगाह में पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने के लिये 10.00 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है । स्कीम के ब्यौरे को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Elections to Panchayati Raj

2275. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state

(a) Whether it is a fact that some of the State Governments have suggested that elections to the Pacnhayats should not be held direct; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) : There is direct election of Panches (Members) of Gram Panchayats in all the States. However the Sarpanch (Chairman) of the Gram Panchayat is elected directly in Bihar, Haryana, Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh; while in the other States, he is elected indirectly by the Panches from amogst themselves, Pursuant to the recommendation of the Annual Conference on Community Development and Panchayati Raj (1965), an evaluation of the relative merits of the direct and indirect systems for the election of the Sarpanch was suggested to the State Governments. All the State Governments, except Mysore and Gujarat, are in favour of the continuance of the status quo in this regard. While the reply of Mysore is yet to be received, the Government of Gujarat are considering whether the election of the Sarpanch should be direct and not indirect as at present.

मध्य प्रदेश में अधिक पैदावार देने वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम

2276. श्री नाथूराम आहिरवार :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 मध्य प्रदेश में अधिक पैदावार देने वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम कितने एकड़ भूमि पर किया जायेगा तथा उसके लिए कितने ऋण की आवश्यकता है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक द्वारा समूचे अपेक्षित ऋण की पूरी राशि दी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं अपेक्षित राशि देगी; और

(घ) 1967–68 में अधिक पैदावार देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का और कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 1967–68 की अवधि में खरीफ की फसल 2.61 लाख एकड़ भूमि में तथा रबी/गर्मी की फसल 1.31 लाख एकड़ भूमि में बोई जायेगी। फसलवार विवरण निम्न प्रकार है :–

फसल	1967 की खरीफ के लक्ष्य	क्षेत्र लाख एकड़ों में 1967–68 की रबी/गर्मी की फसल के लक्ष्य
धान टी एन आई	0.50	—
संकर मक्का	1.00	0.01
संकर ज्वार	0.95	0.10
संकर बाजरा	0.16	—
मैक्सिकन गेहूं	—	1.20
	2.61	1.31 +

+-लक्ष्य अनन्तिम है। अभी अन्तिम लक्ष्य निर्धारित होने हैं।

अनुमान है कि 1967 के खरीफ मौसम में लगभग 6.00 करोड़ रुपये (नकद तथा किस्त के रूप में) के सहकारी ऋण की आवश्यकता होगी। 1967–68 की रबी/गर्मी के मौसम की फसलों की आवश्यकता के विषय में अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) जी नहीं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा स्वीकार किये हुए विशेष ऋण की राशि से केवल सहकारी समितियों के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी। जो कृषक सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं, उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकता राज्य सरकार के तकावी ऋण द्वारा पूरी की जायेगी।

(ग) और (घ) : अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाले ऋण की सहकारी अनुपूर्ति हेतु भारत सरकार उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशक औषधियों आदि के लिए राज्यों को .05 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इसमें से मध्य प्रदेश को कितनी राशि मिलेगी। इस राशि का नियतन विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा ताकि कार्यक्रम में रुकावट न पड़े।

State Trading in Foodgrains

2277. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar are going to introduce State Trading in foodgrains; and

(b) if so, the manner in which Centre would co-operate with the Bihar Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The question of introducing State trading in foodgrains in Bihar is under consideration of the State Government.

(b) Does not arise.

नीदरलैण्ड से उर्वरक का आयात

2278. **श्री रा० बरुआ :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैण्ड से 70,000 टन उर्वरक मंगवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध की सप्लाई के कार्डों का जारी किया जाना

2279. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई के कार्ड जारी किये 1966 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं;

(ख) कितने मामलों में कार्ड जारी किये गये हैं तथा कितने प्रार्थ पड़े हैं; और

(ग) शेष प्रार्थियों को कार्ड जारी न किये जाने के क्या कारण हैं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) दिसम्बर 1966 से 18 मई 1967 तक 10,071 प्रार्थना पत्र रजिस्टर किये गये हैं। उसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं।

(ख) 325 व्यक्तियों को कार्ड दे दिये गये हैं और 9,746 प्रार्थना पत्र अभी तक रखे हुए हैं।

(ग) योजना इतना दूध प्राप्त नहीं कर सकी कि समस्त प्रार्थना पत्रों की मांग को पूरा कर सके।

Air Accident

22∞0. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Tourism and civill Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Viscount Plane of Indian Air Lines was involved in an accident while landing at Nagpur on the 21st May, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the loss of life and property, if any, as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) ;

(a) Yes. Sir. The port landing gear of the aircraft was damaged as it landed with a burst main wheel tyre. This tyre had burst approximately 5 minutes after the aircraft had taken off from Dum Dum for Nagpur.

(b) The cause of the tyre burst is under investigation.

(c) There was no loss of life and property except damage to the port main wheels and the port wheel bay structure of the aircraft as a result of tyre burst in flight.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

2281. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण के मामले में क्या प्रगति हुई है,

(ख) देश में अब तक कितने जहाजों का निर्माण किया गया है,

(ग) क्या बाहर के किसी देश ने भारत में बने हुए जहाजों की मांग की है और क्या भारत इन जहाजों का निर्यात कर सकता है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उत्पादन दूकानों के मशीनी उपस्कर तथा नीव में, घाटों के निर्माण में और जेट्टियों के फिटिंग में सुधार के अलावा मुख्य सुधार यह हुआ है कि पहले बनाये गये रिवेटेड निर्माण के 8,000 डी डब्लू टी (10.5 नाट चाल वाले) वाष्प पोतों के बदले वेल्डेड निर्माण के 12,500 डी डब्लू टी (17 नाट चाल वाले) आधुनिक डीजिल पोतों का निर्माण हुआ है ।

(ख) शिपयार्ड ने अब तक 43 जहाज पूरे किये तथा उन्हें सुपुर्द किया । इन जहाजों में 4 छोटे जलयान और नौ बेडे के 2 पोत भी शामिल हैं ।

(ग) और (घ) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने 12,500 डी डब्लू टी पोतों की खरीद के लिए विदेशों से मांग आयी है परन्तु ये मांगे आकर्षक न थी, शिपयार्ड का वर्तमान उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है ।

भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

2282. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन अधिनियमों का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में शीघ्र अनुवाद कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सभी अधिनियमों का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अब तक 22 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं। इन अधिनियमों की सूची संलग्न है (विवरण–1)। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 630/67**] 32 और केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद शीघ्र ही प्रकाशनार्थ तैयार हो जायेंगे।

(ख) इस निमित्त की गई प्रगति को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है (विवरण–2)। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 630/67**]

(ग) जून, 1966 से दिसम्बर 1967 तक की कालावधि के लिए, 67 केन्द्रीय अधिनियमों और तदधीन बनाए गए नियमों के हिन्दी में अनुवाद किए जाने का कार्यक्रम है। केन्द्रीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इस विषय की राज्य सरकारों के परामर्श से, परीक्षा की जाने की प्रस्थापना है।

अन्तर्देशीय बस परिवहन

2283. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तर्देशीय बस परिवहन की व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी नहीं।

पश्चिमी घाट सड़क

2284. **श्री श्रीधरन :**

श्री अदिचन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल में पश्चिमी घाट सड़क का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बडागरा उप–सड़क तथा माही उप–सड़क का निर्माण कार्य बन्द करने का भी आदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। सड़क निर्माण कार्य जारी है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। केरल में पश्चिमी तट सड़क के विकास कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, में माही शहर के बाहर की बाहरी सड़क का निर्माण कार्य शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम में वडागरा बाहरी सड़क के निर्माण कार्य को रोकने के लिए भारत सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है।

Seizure of Hoarded Sugar

2285　**Shri Nihal Singh :**
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) The quantity of hoarded sugar seized since January, 1967, up-to-date, as a result of raids conducted in the various states in the country State-wise; and

(b) The action taken against the persons concerned and the number of such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopertion (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Information regarding seizure of hoarded stocks of sugar is not available. Proper distribution of sugar allotted to them including measures for preventing its hoarding, is the responsibility of the State Governments.

Reservation of Seats for S. C. & S. T. in Lok Sabha and Legislative Assemblies

2286. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of seats reserved in Lok Sabha and in the Legislative Assembly in each State in 1952 for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) Whether the same number of seats was reserved for them in 1967;

(c) Whether it is not a fact that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population has increased during the past 15 years, and

(d) If so, the reasons for reducing the number of seats reserved for them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The number of seats in the Lok Sabha and in the Legislative Assemblies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1952 is shown in the State-ment-I [**Placed in Library See No. LT-631/67**]

(b) No. The number of seats in the Lok Sabha and in the Legislative Assemblies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1967 is shown in Statement-II [**Placed in Library See No. LT 631/67**]

(c) Yes, Sir.

(d) The total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been reduced, it has increased as will appear from a comparison of the two Statements.

अकालग्रस्त राज्यों का दौरा

2287. श्री वी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न राज्यों के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने स्थिति का क्या अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री ने देश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों और बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो सहायता कार्य किये गये उनके कारण प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य रूप से नियन्त्रण में है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में अन्तर

2288. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अन्य खाद्यानों के मूल्यों में अन्तर को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों में परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण यह संभव नहीं है कि सारे देश में खाद्यान्न के मूल्यों का एक जैसा ढांचा हो।

बीज निगम

2289. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सब राज्यों में बीज निगम स्थापित करने का प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : बीजों की उपलब्धि, भण्डार तथा वितरण के लिये राजकीय, प्रादेशिक अथवा पण्य वार बीज निगमों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पहले ही एक भूमि विकास तथा बीज

निगम की स्थापना कर दी है। आसाम सरकार ने भी एक बीज निगम रजिस्टर कर दिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने 1967-68 के लिए अपनी स्टेट प्लानों में बीज निगमों की स्थापना हेतु व्यवस्था की है। जम्मू तथा काश्मीर, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल तथा गोवा अभी बीज निगम स्थापित करने का विचार नहीं रखते। अन्य राज्य प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

चीनी मिलों के लिये लागत सूचियां

2290. श्री शि० चं० झा :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समूचे भारत की चीनी मिलों के लिये 22 लागत अनुसूचियां बनाई हैं, यद्यपि प्रशुल्क आयोग तथा चीनी जांच आयोग ने समूचे भारत के लिये केवल छः लागत अनुसूचियों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिये 4 लागत अनुसूचियां तथा गुजरात की 3 चीनी मिलों के लिये केवल दो अनुसूचियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर बिहार में दो लागत अनुसूचियां न बनाने के क्या कारण हैं : एक दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा सराऊ जिलों की 16 मिलों के लिये और एक केवल चम्पारन जिले के लिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) तथा (ख) : प्रशुल्क आयोग ने 1959 में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चीनी के कारखानों में लागू करने के लिए चार मूल्य क्षेत्रों की सिफारिश की थी। चीनी जांच आयोग ने 1965 में पांच क्षेत्रों का सुझाव दिया था जिसमें से आसाम को छोड़ दिया गया और जिसके लिए अलग मूल्य निश्चित करने को कहा है। फिर भी वसूल, अवधि तथा कारखानों द्वारा क्षेत्रों में गन्ने का औसत मूल्य देने में असमानता होने के कारण तथा विभिन्न राज्यों में गन्ने की खरीद पर कर की दरों में भिन्नता होने के कारण, सरकार आसाम सहित 23 क्षेत्रों में मूल्य निर्धारित कर रही है।

(ग) जी हां। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मूल्यों के चार क्षेत्र हैं तथा गुजरात के लिए 2 क्षेत्र हैं।

(घ) उत्तरी बिहार को 2 क्षेत्रों में विभक्त करने का सुझाव अभी हाल ही में आया है तथा उस पर विचार हो रहा है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

2291. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किये गये अध्ययन से पता चला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कृषि उत्पादन पर वांछित प्रभाव नहीं हुआ है; क्योंकि उसमें इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों को सुधारने पर जोर नहीं दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को सुधारने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रौढ़ शिक्षा विभाग की कृषि कार्य में लगे स्कूल से निकले ग्रामीण युवकों की कृषि शिक्षा की आवश्यकता सम्बन्धी रिपोर्ट में उल्लेख है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की शिक्षा अधिक प्रभावी नहीं रही है, जैसाकि खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई अल्प वृद्धि से पता चलता है, फलतः यह स्पष्ट है कि भौतिक उपागम पर अधिक बल दिया गया और मानव तथा साधनों के विकास पर कम ध्यान दिया गया। यह निष्कर्ष चार सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि शिक्षा के बारे में नमूने के तौर पर जिन 206 स्कूल से निकले युवकों के रुख का अध्ययन किया गया था, उसके विश्लेषण पर आधारित है।

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मानव तत्व की महत्ता को प्रारम्भ से ही स्वीकार किया गया है, अतः विस्तार शिक्षा तथा प्रशिक्षण को सदैव कार्यक्रम का अविभाज्य अंग समझा गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि एक साथ कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें विस्तार शिक्षा केवल एक है। तथापि विस्तार कर्मचारियों की कुशलता तथा दक्षता में सुधार करने तथा किसानों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा का एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाने के लिए उपाय किये गये हैं। ऐसा विशेष रुप से अधिक उपज वाली किस्मों के लिए चुने गये क्षेत्रों में किया गया है।

चौगले स्टीमशिप कं०

2292. श्री शिंकरे : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौगले स्टीमशिप कं० लि० ने सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिनके अन्तर्गत बम्बई–गोआ और बम्बई–मंगलौर लाइनों पर यात्री तथा माल–भाड़ों में काफी वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) से (ग) : चौगले स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड ने बम्बई–गोआ यात्री सेवा के यात्री भाड़े को बढ़ाने के

लिए सरकार की आज्ञा मांगी है। इस कम्पनी ने यहां बम्बई–मंगलोर सेवा के बारे में इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की है।

इस कम्पनी ने बम्बई–गोआ या बम्बई–मंगलोर सेवा के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना नहीं की है। कम्पनी ने बताया है कि बम्बई–गोआ सेवा में हुए घाटे को पूरा करने के लिए इस सेवा के मौजूदा यात्री भाड़े में 65 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने इसकी जांच करने के लिए नौवहन के अतिरिक्त महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि और महालेखा परीक्षक की संस्था के एक अधिकारी की एक समिति बनायी है। इस समिति के जून 1967 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देने की सम्भावना है।

बम्बई–गोआ रोड

2293. श्री शिंकरे : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट राष्ट्रीय राजपथ की बम्बई–गोआ रोड के निर्माण में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा इसको पूरा करने में और कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ख) इस बम्बई–गोआ रोड का निर्माण–कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य पश्चिमी घाट सड़क के उस भाग का उल्लेख कर रहे हैं जिसका महाराष्ट्र और गोआ राज्यों से होकर किया जा रहा है। इस योजना पर मार्च 1967 तक 6·69 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। शेष कार्य पर लगभग 4·47 करोड़ रुपये लगेंगे। जो व्यय हो चुका है। उसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने साधनों से खर्च की गई 2·0 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

(ख) धन की उपलब्धता पर निर्भर होते हुये इस सड़क के चौथी पंचवर्षीय अवधि के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

गोआ, दमन और दीव को उर्वरकों की सप्लाई

2294. श्री शिंकरे : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में गोआ, दमन और दीव संघ रा
गये उर्वरकों की मात्रा कितनी थी ;

(ख) क्या उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने 1967–68 से कोटा बढ़ाये जाने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय उर्वरक भण्डार ने गोआ, दमन तथा दीव को 1966-67 की अवधि

में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की विभिन्न किस्मों की जो मात्रा अलाट की है तथा 25 मई 1967 तक उनकी जो मात्रा वास्तव में दी गई है, निम्न प्रकार है:–

उर्वरक की किस्म	1966–67 में अलाट की गई मात्रा	आंकड़े मीटरी टनों में 25 मई 1967 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	6021	2903
यूरिया	414	414
अमोनियम फास्फेट	1500	1500
कुल नाईट्रोजन के रूप में	1754	1100

(ख) से (घ) उनकी 2420 मीटरी टन नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों की आवश्यकता के लिए भारत सरकार ने 2220 मीटरी टन नाईट्रोजन अलाट करना स्वीकार कर लिया।

गौहाटी के लिये सुपर बाजार

2296 श्री धीरेश्वर कलिता : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गौहाटी में एक सुपर बाजार खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) भारत सरकार ने नवम्बर, 1966 में स्थानीय सहकारी थोक भण्डार द्वारा गौहाटी में एक बहु-विभागी भण्डार खोलने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था।

(ख) भण्डार खोलने में बिलम्ब इसलिए हुआ है क्योंकि गौहाटी में बहु-विभागी भण्डार के लिए उपयुक्त स्थान तुरन्त उपलब्ध नहीं था। आखिरकार एक नई इमारत, जिसका निर्माण चल रहा था, इस प्रयोजन के लिऐ निर्धारित की गई। निर्माण कार्य केवल हाल ही में पूरा हुआ है और आशा है कि भण्डार इस महीने के अंत तक चालू हो जाएगा।

आसाम में कृषि विश्वविद्यालय

2297. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने आसाम में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से धन नियत करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितना धन मांगा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) आसाम सरकार से कोई प्रार्थना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आसाम

की चौथी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट आउटलाइन में राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया है। वर्किंग ग्रुप जिसने स्टेट प्लान पर विचार किया, ने आसाम में कृषि विश्वविद्यालय के लिए 83.6 लाख रुपए के खर्च की सिफारिश की है। अभी तक कोई सुझाव नहीं भेजे गए हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में विकसित किया गया गेहूँ का बीज

2299. श्री डा० सुन्दर लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने सोनेरा 64 के अतिरिक्त कितने किस्म के गेहूं के बीजों का विकास किया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) सोनेरा 64 के अतिरिक्त हाल ही के वर्षों में गेहूं की 6 अन्य बौनी किस्मों को विकसित करके खेती के लिए जारी कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त संस्थान 30 अन्य किस्मों को विकसित कर चुका है।

(ख) बौनी किस्मों में लर्मा राजो, छोटी लर्मा, सोनेरा 227, सोनालाईका, सफेद लर्मा तथा शर्बती सोनेरा शामिल हैं। इनमें से अन्तिम 4 किस्में सफेद गेहूँ जैसी हैं जिन्हें भारतीय कृषक, व्यापारी तथा उपभोक्ता बहुत पसन्द करते हैं। ये सब किस्में ऐसी हैं जो उर्वरक के प्रयोग से अच्छी तरह फलती फूलती हैं और उनसे 50–90 मन प्रति एकड़ के हिसाब से उपज होती है। इनमें से कुछ किस्में रोगों के प्रति प्रतिरोधक हैं। इनमें से एक किस्म शर्बती सोनेरा अणु शक्ति के माध्यम से उत्पन्न की गई हैं।

जो अन्य किस्में विकसित की जा चुकी हैं वे ऐसी हैं जो औसतन उर्वरता की परिस्थितियों में उगाई जा सकती हैं। देश में यह किस्में विस्तृत रूप से बोई गई हैं और देश के एक बड़े भाग में वे बड़ी लोकप्रिय हैं; क्योंकि ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक हैं और इनसे उपज भी अच्छी होती है। अत : एनपी 824 गुजरात में, एनपी 835 तथा एनपी 852 बिहार में, एनपी 832 तथा एनपी 839 मध्य प्रदेश में, एनपी 7/8 उत्तर प्रदेश में तथा एनपी 798 पश्चिमी बंगाल में विस्तृत रूप से उगाई जाती है। इसी प्रकार उत्तर भारतीय पहाड़ियों में एनपी 846 तथा एनपी 809 बड़ी लोकप्रिय हैं जबकि नीलगिरि के कृषक एनपी 220 तथा एनपी 201 को पसन्द करते हैं।

उड़ीसा को ट्रैक्टरों की सप्लाई

2300. श्री गु० च० नायक :
श्री म० माफी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को 300 ट्रैक्टरों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ये ट्रैक्टर कब तथा किस शर्त पर सप्लाई किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चैकोसलोवाकिया से आयात किए जाने वाले ट्रैक्टरों में से 300 जैटर, 2011 ट्रैक्टर उड़ीसा सरकार को पेश किए गए हैं।

(ख) ट्रैक्टरों को आयात किया जाएगा और शीघ्र ही सप्लाई किए जायेंगे। की गई पेशकश के बारे में राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर सप्लाई की शर्तें निश्चित की जायेंगी।

वनस्पति के दाम

2301. श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि० राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में वनस्पति के दाम कितनी बार बदले गये हैं ; और

(ख) क्या मूल्यों में और कमी करने की कोई गुंजाइश है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वनस्पति के क्षेत्रीय आधार पर एक जैसा मूल्य निश्चित करने की पद्धति केवल एक वर्ष पूर्व जून 1966 में लागू की गई। इस अवधि में मूल्यों में नौ बार परिवर्तन हुआ है।

(ख) यह देशी वनस्पति तेल के मूल्यों की प्रवृति तथा आयतित तेलों की उपलब्धी पर निर्भर है।

Installation of Tube-Wells in Eastern U. P.

2302. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any work regarding the installation of experimental tube-wells in Eastern U. P. partuclarly in Mirzapur and Banaras has been undertaken ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for neglecting these areas , and

(d) the number of experimental tube-wells installed in various state during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of food, agriculture community development and cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : No exploratory drilling has been carried out by the Exploratory Tubewells organisation under this Ministry in Mirzapur

and Banaras Districts. However, it has carried out exploration in other parts of Eastern U. P. as per the details given below :—

Name of the district	No. of bores drilled	No. of bores successful
1. Azamgarh	1	–
2. Allahabad	2	2
3. Ballia	1	1
4. Faizabad	2	2
5. Ghazipur	2	2
6. Jaunpur	1	1
7. Sultanpur	1	1
	10	9

Mirzapur area is not feasible for exploration due to presence of hard compact geological formations..

For the district of Banaras, no proposals for exploratory drilling have yet been sponsored by the U. P., Government. However, under the programme of drilling production tubewells in drought affected areas of U. P., the organisation has drilled 35 bores in Banaras district.

(d) During the last 2 years, exploration was carried out by the organisation only in Doon Valley (Debra Dun district) in U. P. 2 bores were drilled and found successful. During this period the Organisation has been mainly engaged in the programme of production tubewells, particularly in the scarcity and drought affected areas of Rajasthan, Gujarat, U. P. and Bihar. The number of production tubewells constructed during 1965-67 in different States is indicated below :

States	No. of bores drilled.	No. of bores found successful
1. Bihar	130	111
2. Delhi	24	15
3. Gujarat	66	55
4. Maharashtra	6	6
5. Punjab	1	1
6. Rajasthan	169	114
7. U. P.	42	40
	Total 438	343

इमारती लकड़ी वाहक जहाज

2303. **श्री गणेश :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी पार्टी ने कुछ समय पहले इमारती लकड़ी वाहक जहाज बे आफ बंगाल अन्दमान द्वीप समूह से इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए खरीदा था;

(ख) उनके मन्त्रालय ने इसके लिए अपेक्षित कितनी मुद्रा की स्वीकृति दी थी .

(ग) क्या अन्दमान द्वीप समूह से ढुलाई के लिये मन्त्रालय ने जहाज कम्पनियों के साथ कोई करार किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या करार के अनुसार कार्य किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1963 के दौरान इमारती लकड़ी वाहक जहाज 'बे आफ' बंगाल मेसर्स आर० सेन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा अर्जित किया गया था।

(ख) इस मन्त्रालय की शिफारिश के अनुसार परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ने इस फर्म को आवश्यक विदेशी मुद्रा स्वीकृत की।

(ग) से (ङ) 1964 तथा 1965 के दौरान अन्डेमान से मेनलैंड को सरकारी इमारती लकड़ी 5 बार ढोने के लिए जहाज उपलब्ध किया गया था। इसके बाद आर० सेन एण्ड कम्पनी ने बताया कि जहाज की मरम्मत की जानी है। डी जी सिपिंग से मालूम हुआ है कि अन्डेमान से मेन-लैण्ड को इमारती लकड़ी ढोने के लिए जहाज शीघ्र ही उपलब्ध हो जायगा। अन्डेमान से इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए इस मन्त्रालय ने आर० सैन एण्ड कम्पनी के साथ कोई अलग करार नहीं किया है। अण्डेमान से इमारती लकड़ी ढोने के लिए डी जी शिपिंग द्वारा जहाज नामजद किए जाते हैं और ढुलाई के करार में स्वीकृत दरों के अनुसार ढुलाई किराया जहाज मालिकों को दे दिया जाता है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी के मूल्य

2304. श्री गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं तथा मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह वृद्धि मूल्य ढाचें में परिवर्तन होने के कारण हुई है और यदि हां, तो इस परिवर्तन का क्या औचित्य है ; और

(घ) क्या इस वृद्धि के विरुद्ध स्थानीय उद्योगों तथा जनता ने अभ्यावेदन किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह : पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2305 श्री गणेश : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पर्यटन यातायात में रुकावट डालने वाले प्रतिबन्धक विनियमनों अथवा प्रशासनिक आदेशों को वापस लेने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 8.2 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) ये स्कीमें मुख्यतया आवास तथा मनोरजंन सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में हैं ।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में विदेशियों तथा निकोबार द्वीपसमूह में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध हैं । फिलहाल इन प्रतिबंधों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एम० वी० अन्दमान और एम० वी० निकोबार जहाजों से रास्ते में माल की चोरी

2306. श्री गणेश : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य भूमि अन्दमान द्वीप के एम० वी० अन्दमान और एम० वी० निकोबार नामक जहाजों से रास्ते में काफी माल की हानी हो जाती है तथा माल की छुटपुट चोरी हो जाती है,

(ख) क्या स्थानीय वाणिज्य मंडल तथा अन्य जनसेवी संस्थाओं ने अन्दमान प्रसाशन को इस बारे में बार-बार अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) इस प्रकार की हानि और छुटपुट चोरियों को रोकने लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी हां । माल के टिकिया-चोरी के फलस्वरूप अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जहाज द्वारा लेजाये गये माल का लगभग 2.03 प्रतिशत घाटा हुआ है ।

(ख) और (ग) : यह सच है कि इस सम्बन्ध में अंडमान प्रशासन का अभ्यावेदन मिले हैं । ऐसे घाटे न्यूनतम करने के लिए और पारगमन में माल की हानि को दूर करने के लिए विस्तृत उपाय निकालने के लिए इन अध्यावेदनों के उत्तर में तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के प्रशासन, भारत के नौवहन निगम और कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर पत्तन अधिकारियों के परामर्श में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

आसाम को भेजा गया माल

2307. श्री रा० बरुआ : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एस० एन० एन्ड आर० रेलवे के मालवाहक जहाजों में आसाम को भेजा गया बड़ी मात्रा में उर्वरक तथा सीमेन्ट रोक लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिये तथा कितना उर्वरक और सीमेंट रोका गया ;

(ग) इसके कारण चाय कें चालू वर्ष के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) चाय उद्योग के लिये भेजे गये इस अत्यावश्यक माल को शीघ्र छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

परिवाहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव) (क) और (ख) : लगभग एक महीने के लिये लगभग 1200 टन उर्वरक और 4900 टन सीमेंट परिवहन में रुक गया था।

(ग) भौतिक रूप से चाय के उत्पादन पर इससे कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि उद्योग की उर्वरक और सीमेंट की अधिकांश जरूरतें समस्त रेल मार्ग ही से पूरी हो जाती हैं तथा बहुत थोड़ी मात्रा रेल तथा नदी मार्ग द्वारा भेजी जाती है।

(घ) जैसे ही केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम का कार्य करना संभव हुआ, रूके हुए माल को भेजने के जरूरी प्रबन्ध कर दिये गये।

भारत को खाद्यान लाने वाले जहाजों का मार्ग-परिवर्तन

2308. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री मेघ चन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री कं० हाल्दार :
श्री आतम दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा अन्य देशों,

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने लोक सभा में 9. 6–1967 को स्वेज नहर के बन्द होने के फलस्वरूप खाद्यान के जहाजों के आने में देर होने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया तथा उस पर जो अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया गया उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)
RE. CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इससे पहले कि आप ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर विचार करें मैं चीन में हमारे दूतावास के सम्बन्ध में हुई गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसको आपने स्वीकार भी कर लिया है। यह एक आवश्यक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह एक आवश्यक मामला है। इसलिए ही मैंने इसे स्वीकृति दी है, यदि माननीय मंत्री इस पर आज ही वक्तव्य देना चाहते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। संसदीय कार्य मंत्री, मंत्री महोदय से सलाह करेंगे और सभा को इससे अवगत करायेंगे। आज शाम एक और विषय पर एक घंटे की चर्चा हो रही है अतः इस पर कल विचार किया जा सकेगा। यदि मंत्री महोदय शीघ्र वक्तव्य देना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

संसदीय-कार्य और संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) मंत्री महोदय अब राज्य सभा में हैं। यदि आप अनुमती दें तो यह वक्तव्य आज 5 बजे बाद या कल सुबह प्रश्न काल के बाद दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आज 5 बजे किसी और विषय पर चर्चा है।

डा० राम सुभग सिंह : तब 4.30 बजे ठीक रहेगा।

अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल के उपमुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री पर आरोप लगाना

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and reuest that he may make a statement thereon:

"Charges levelled by the Deputy Chief Minister of the West Bengal against the Union Minister of Home Affairs that the latter encouraged officers to revolt against the Government of west Bengal."

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :–अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर 4 जून, 1967 को श्री ज्योति बसु, उप-मुख्य मंत्री पश्चिमी बंगाल का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री महोदय किस प्रकार वक्तव्य दे सकते हैं, जब तक कि पश्चिमी बंगाल के उप–मुख्य मंत्री से उनकी बात चीत न हो जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस विषय पर 4 जून, 1967 को श्री ज्योति बसु, उप-मुख्य मंत्री पश्चिमी बंगाल का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तथ्य जानने के लिये हमने तुरन्त पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुरोध किया। लेकिन हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। जैसा कि 29 मई, 1967 को पहले सभा में बताया गया कि कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की हाल की बैठक में मैंने राज्य सरकार को सलाह दी और अपील की कि

वह कानून व्यवस्था बनायें रखें। इस पर आपत्ति करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। मैं इस अवसर पर इस सूचना में उल्लिखित अनुचित आरोपों का जोरदार खण्डन करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I want to remind the hon. Minister that during last year at the time of Bombay Bandh Compaign, the Maharashtra Government did not lathi charge or fire. The hon. Minister supported the policy followed by the Maharashtra Government. I was quite right in my opinion. I do not think that the people's agitation should be dealt with so severely. So long as the agitation is peaceful, it is not proper to deal them with force.

श्री यशवन्त राव चव्हाण:–बम्बई तथा कलकत्ते की घटनाओं के सम्बन्ध में मैने जो कहा है उसका मेरे पास रिकार्ड नहीं है। वास्तव में कलकत्ते के घेराओं और बंम्बई की घटनाओं की कोई तुलना नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): No reply has been received so far in connection with this Calling Attention Notice from the West Bengal Government, and taking into consideration procedure followed by that Government, there is every possibility that it would not furnish a reply easily.

In this circumstance you should have given instruction to the Government that in case you accept any Calling Attention Notice, concerning some States, its reply should have been furnished within the prescribed period and the Government should have come well prepared accordingly.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री ज्योति बसु ने कहा है कि गृह मंत्री पश्चिमी बंगाल में सरकार चलाने में कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर आरोप है। मैं गृह कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने क्षेत्रीय परिषद में इस विषय पर चर्चा की थी जो विषय सूची में नहीं था। यदि हो तो किस क्षमता से।

श्री चव्हाण : मैं सब प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ मैं बता चुका हूं, कि राज्य पुर्नगठन आयोग की धारा 20 और 21 के अर्न्तगत इस मामले का उल्लेख करने का मुझे अधिकार है।

श्री ज्योतिमय बसु:– क्या वह विषय सूची में था ?

श्री चव्हाण: विषय सूची में हमेशा विषय होते हैं। अन्य मामलों पर अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा की जा सकती हैं और मैं इस सभा का अध्यक्ष था।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सरकार के संघवादी ढांचे के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि राज्य सरकारों के उचित कार्य में कोई रूकावट नहीं डाली जाती है।—क्या यह सच नहीं है कि कुछ पदाधिकारी या असैनिक कर्मचारी गैर-कांग्रेस सरकारी राज्यों में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में सरकारों के कार्यों में रूकावटें डाल रहे हैं ? केन्द्र सरकार इससे अवगत है और वह उनको प्रोत्साहन दे रही है। मंत्री

महोदय इस बात को निश्चित करने के लिये कि ये अधिकारी गैर–कांग्रेसी सरकारों के कार्य में रूकावट न डाले, क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री चव्हाण:– यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्य का सबन्ध सम्बन्धित पक्षों की बातचीत पर निर्भर है। मैं उनको सलाह दे रहा हूं। बात चीत के बैगर कैसे सम्बन्ध स्थापित हो सकता है ?

भारतीय राजनयिकों के चीन में निरोध के समाचार के बारे में
RE. REPORTED DETENTION OF INDIAN DIPLOMATIC PERSONAL IN CHINA

Shri Madhu Limaye: (Monghyr): Mr. Speaker, you have just told that you have admitted a Calling Attention Notice regarding the treatment with our diplomatic personnel in China. The matter is so serious that it should have been taken under Adjournment Motion. I would have been satisfied with the Calling. Attention Notice had our personnel been taken out. But they have not taken out.

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर 4.30 बजे चर्चा की जायेगी। आप इस प्रश्न को उस समय क्यों नहीं उठाते। हम इस पर सहमत हो गये हैं और इस पर 4.30 बजे चर्चा होने वाली है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र
(PAPERS LAID ON THE TABLE)

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के 1965–66 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव:) मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के 1965–66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 665–67**]

नक्सल बाड़ी की स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN NEXALBARI

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) नक्सलबाड़ी के सम्बन्ध में मैंने गुरुवार को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस मामले की आवश्यकता का जिक्र करते हुए भी मैंने एक पत्र लिखा था, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में सूचना दे। जानकारी देने की बजाय आपने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है। हम इस विषय पर चर्चा नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि सरकार के पास जो जानकारी हो वह दे और फिर हम इस विषय पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वह सभा के विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं। यह उनकी निजी राय है मेरी उसमें रूचि नहीं है।

भारत बर्मा सीमा करार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. INDIA-BURMA BOUNDARY AGREEMENT

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) श्री चागला दूसरे सदन में हैं। यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं वह वक्तव्य पढ़ सकता हूँ। परन्तु वक्तव्य को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में प्रश्न बाद में पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय:- हम उसको स्थगित कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:- क्या मैं वह वक्तव्य पढ़ सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय: पढ़िये

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:– भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच 10 मार्च 1967 को रंगून में जिस सीमा करार पर हस्ताक्षर हुए थे, उसकी एक प्रति और उसके साथ नक्शे मैं सदन की मेज़ पर रखता हूं। करार में परंपरागत सीमा का वर्णन दिया गया है जो कि उसके वर्तमान रेखांकन के अनुसार है। वह स्वीकृत नक्शों में और रेखांकित कर दी गई है जोकि इस करार के अनुबंध के रूप में है। इस करार के बाद एक सम्मिलित सीमा कमीशन बनाया जाएगा जो दोनों देशों के बीच सीमांकन की योजना बनाने और उसे पूरा करने का काम करेगा; वह संपूर्ण सीमा नक्शे तैयार करेगा और सीमा संधि का मसौदा बनाएगा।

भारत-बर्मा सीमा हमेशा से एक मित्रतापूर्ण सीमा रही है और इसके किसी-भाग पर कोई विवाद नहीं हुआ है। वह प्राकृतिक रूपों पर आधारित रही है और पूर्व–स्वाधीनता काल में प्रान्तीय अधिसूचनाओं में वर्णित है। लेकिन भारत और बर्मा के बीच अत्यंत हार्दिक संबंधों को ध्यान में रखकर यह महसूस किया गया कि हमें दोनों मित्र स्वाधीन प्रभुसत्तात्मक देशों की मर्यादा के अनुरूप सीमा को कानूनी शक्ल दे देनी चाहिए। इस मामले पर उस समय बातचीत की गई जब मैं इस साल जनवरी में रंगून गया था। मुझे बर्मा की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष, जनरल ने विन और बर्मा के विदेश मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त–हुआ। इसपर सहमति हुई कि इस मामले को आगे चलाया जाय।

तदनुसार इस साल 17 फरवरी को एक प्रतिनिधिमंडल रंगून गया और उसने एक बर्मा प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप रंगून में 10 मार्च, 1967 को वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों सरकारों ने इस करार का सत्यांकन कर दिया है और 30 मई 1967 को नई दिल्ली में सत्यांकन–पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत –बर्मा सीमा अपने दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक लगभग 1450 किलोमीटर लम्बी है और उसका उत्तरी छोर भारत, बर्मा और चीन की सीमाओं का त्रिसंगम है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारत और बर्मा के बीच सीमा के किसी भी स्थान पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। दोनों सरकारें ऐसे नक्शे प्रकाशित करती रही हैं जिसमें सीमा का समान रेखांकन दिखाया गया है। इसलिए यह इस सर्वविदित, परंपरागत सीमा को पुष्टि करने का ही सवाल था। करार के लिए जो बातचीत की गई, उसके दौरान निकट सहयोग बना रहा और विचारों का मैत्रीपूर्ण ढंग से आदान प्रदान हुआ। जैसा कि करार की प्रस्तावना में कहा गया है; भारत और बर्मा दोनों का यह पक्का विश्वास है कि दोनों के बीच बाज़ाब्ता तौर पर संपूर्ण परंपरागत सीमा का रेखांकन करने से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध और सुदृढ़ होंगे। मुझे यकीन है कि सदन के सदस्य मेरे साथ मिलकर बर्मा सरकार के सौहार्द और मैत्रीपूर्ण सहयोग की सराहना अभिव्यक्त करना पसंद करेंगे। यह करार भारत और बर्मा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लम्बे इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

यह करार केवल पहला कदम है। दोनों सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सम्मिलित सीमा कमीशन भूमि पर सीमा का रेखांकन कराएगा। यह कमीशन एक सीमा संधि का मसौदा भी तैयार करेगा, जिसपर भारत और बर्मा हस्ताक्षर करेंगे। मित्रता की इस प्रक्रिया में दोनों मित्र पड़ोसी देशों के बीच इस परंपरागत सीमा को पूर्ण रूप से रेखांकित और सीमांकित सीमा के रूप में परिणत करने का यह अंतिम कार्य होगा। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 666–67]**

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चूंकि अब श्री चागला सदन में आ गये हैं हम उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the statement read out just now it has been said that only one thing had been left;

'Only a question of affirming this well-known traditional boundary.' He has further said

"With the formal delimitation and demarcation of the entire traditionnl boundary between the two countries."

But the first sentence and particularly the first word has created a concern. Please clarify them

' The Agreement in-corporates the description of the traditional boundary according to its existing alignment"

What does he mean by existing alignment ? I want to remind that with regard to Kutch he also entered into a wrong agreement. There is one word 'determination' in it. The entered into such sort of agreement as a result of it we have to surrender our land. I want to have a clarification with regard to the meaning of 'existing alignment.'

श्री मु० क० चागला : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बर्मा और हमारे बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि यह भारत-बर्मा जैसे मैत्रीपूर्ण देशों के बीच की सीमा है। परन्तु उसको हम व्यावहारिक बनाना चाहते हैं। पहले हमने नक्शा बनाया

जिसका आरम्भ बर्मा प्राधिकारियों और हमने किया । अन्त में व्यावहारिक सीमा नियत की गई । सीमा की रजामन्दी दो आधारों पर हुई है । भारत-बर्मा द्वारा स्वीकृति सीमा के संबंध में बहुत सी अधिसूचनाएं प्रकाशित हो चुकी है । एक या दो मामलों में सीमा परम्परागत है । परन्तु इसके किसी भाग पर कभी वाद-विवाद नहीं हुआ । एक प्रतिनिधी मंडल बर्मा जाकर संयुक्त रूप से सीमा को परिसीमन करेगा और नक्शे बनायेगा ।

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered. I mean to say

'The traditional boundary according to its existing alignment'

There was no need or 'According to its existing alignment. I want its clarification.

श्री मु० क० चागला : वर्तमान रेखांकन का अभिप्राय यह है कि सीमा पहले ही स्वीकार कर ली गई है । इसको तो केवल व्यावहारिक रूप दिया गया है ।

श्री हेम बरुग्रा (मंगलदायी) : चीन और बर्मा ऐसे त्रिसंगम समझौते पर सहमत हुए हैं जहां तीनों देशों-चीन, बर्मा और भारत की सीमाएं मिलती हैं । इस समझौते से हमें मानसिक दुख हुआ है; क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर का कहीं बर्मा हमारे परम्परागत दावों को चीन को तो नहीं सौंप रहा है ।

श्री मु० क० चागला : जहाँ तक हमारा और चीन का संबंध है हमने विशेष निशान तक सीमा दिखाई है । चीन और हमारे बीच 5½ मील के दावे पर विवाद है । बर्मा और हमारे बीच कोई वाद विवाद नहीं है; बर्मा सरकार ने बताया है कि इस मामलों को हम स्वयं चीन से निबटायें ।

चीन के विदेश मंत्रालय से हमें पत्र प्राप्त हुआ है । उन्होंने कहा है कि यह मामला अन्तिम रूप से हल नहीं किया गया था ।

चीन के अनुसार हमारी उत्तरी चरम सीमा डीपहू पास है; जबकि हमारे अनुसार यह उत्तर से पांच मील आगे है । जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है, इसपर हस्ताक्षर होने के बाद भी, यह अस्थायी है । वे कहते हैं यह अस्थायी इसलिए है क्योंकि आप यह विवाद चीन से तय करें । हमारे और आपके बीच कोई विवाद नहीं है ।

श्री हेम बरुग्रा : बर्मा ने जब चीन के साथ त्रिसंगम समझौता किया था तो कहा था कि यह एक अस्थायी समझौता है और जब बर्मा भारत के साथ सीमा समझौता करेगा तो चीन के साथ हुआ यह अस्थायी समझौते में संशोधन किया जा सकेगा । हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था । हमें अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ रहा है ।

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक इंच भूमि भी नहीं खोई है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे खुशी है कि हमारे बर्मा से मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बर्मा के साथ हुए समझौते में हमारी भूमि के कुछ मार्गों को जो चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद ग्रस्त हैं; कैसे दिखाया गया है ? अतः यह समझौता जिसके विषय में इतना शोर मचा रहे हैं, हमारे लिये उपयुक्त नहीं होगा; क्योंकि भारत-चीन और भारत पाकिस्तान के विवादीय क्षेत्रों को ध्यान में रखे बगैर हमने बर्मा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार से श्री शर्मा स्थिति को ठीक प्रकार नहीं समझ पाये। भारत बर्मा सीमा अपने दक्षिण छोर से उत्तरी छोर तक लगभग 1450 किलोमीटर लम्बी है; और इसका उत्तरी छोर भारत, बर्मा और चीन की सीमाओं का त्रिसंगम है। अतः जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है हमने अपने क्षेत्र का कोई भी भाग नहीं दिया है। चीन से हमारा विवाद ज्यों का त्यों है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : लद्दाख और चीन के बीच हमारी परम्परागत सीमा है। इसको तिब्बत और महाराजा काश्मीर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर 1842 में स्वीकार किया गया था। इसके बावजूद भी इतना विवाद चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 'परम्परागत' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इससे भ्रम उत्पन्न होता है।

श्री मु० क० चागला : इसमें संदेह की बात नहीं है। कि यदि माननीय सदस्य को कोई शंका थी तो मेरे विचार में मैंने इसका समाधान कर दिया। हम आश्वासन दिलाते हैं कि सीमा का छोटे से छोटा भाग भी छोड़ा नहीं जायेगा या उसके संबंध में भ्रम में रखा जायेगा। बर्मा के साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं है। उसकी सीमा वही है जो कि बर्मा के पुराने नक्शों, अधिसूचना और परम्परा के अनुसार समझी जाती है।

श्री बलराज मधोक : बर्मा के नक्शे अंग्रेजों द्वारा बनाये गये नक्शे हैं।

श्री मु० क० चागला : वही हमारे नक्शे भी है। हमने उन नक्शों का पालन किया है। हमारा अन्तिम फैसला चीन के साथ होना है, बर्मा के साथ नहीं। यह समस्या हमारे और चीन के बीच है। बर्मा इस पर सहमत हो गया है।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : सीमा पर रहने वाले हमारे नागरिकों के संबंधी सीमा के दूसरी ओर बर्मा में भी रहते हैं और उन लोगों की इच्छा एक ही प्रशासन के अन्तर्गत रहने की है। क्या 10 मार्च को बर्मा सरकार के साथ हुई वार्ता में मंत्री महोदय ने इस मामले को बर्मा सरकार के साथ उठाया था, और यदि हां, तो इस बारे में बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : यह सच है कि कुछ नागा लोग हमारी तथा कुछ नागा लोग बर्मा की ओर सीमा पर रहते हैं। मुझे माननीय सदस्य के विचारों के साथ पूरी सहानुभूति है परन्तु इस मामले को बर्मा सरकार के साथ हुई बातचीत में नहीं उठाया गया था।

Shri Ram Sewak Yadva (Barabanki) : I would like to know whether Burma will get some Indian land as a result of the demarcation of the Boundry and whether the Govern-

ment of Burma have accepted the Indian claim as regards to the five and a half miles land his between India and China ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र की धारणा ठीक नहीं है। भारत की एक इंच भूमि भी बर्मा को नहीं दी जायेगी। साढ़े पांच मील भूमि की बात चीन और भारत के बीच में है। उससे बर्मा का कोई संबंध नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : केवल यह कहना ठीक नहीं है कि भारत और चीन के बीच साढ़े पांच मील का ही झगड़ा है। इस बात को स्पष्ट करके बताया जाना चाहिए कि चीन की गणना में कितने क्षेत्र मील का फर्क है ?

श्री मु० क० चागला : यह क्षेत्र लगभग 70 से 72 क्षेत्रमील है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : माननीय मंत्री ने कहा है कि झगड़ा केवल चीन तथा भारत के बीच है। परन्तु जिस स्थान के बारे में झगड़ा है वहां तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। इसलिए यदि कोई झगड़ा है तो वह तीनों देशों के बीच होना चाहिए।

श्री मु० क० चागला : प्रश्न यह है कि क्या बर्मा के बांयें और चीन का क्षेत्र है अथवा भारत का। बर्मा की सीमा तो निर्धारित है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : यह स्थान जहां तीनों देशों की सीमाएं मिलती है आगे पीछे नहीं हो सकता। तो क्या जहां भारत, बर्मा और चीन की सीमाएं मिलती है वह चीन अथवा बर्मा की इच्छानुसार आगे पीछे होता रहा है।

श्री मु० क० चागला : बर्मा की सीमा पूरी तरह से निर्धारित है और वह दिफूपास पर है। अब प्रश्न यह है कि दिफूपास से साढ़े पांच मील बांयीं ओर भारतीय क्षेत्र है अथवा चीन का। इस प्रकार यह मामला चीन और भारत के बीच है।

श्री मुहम्मद इसमाइल (मंजेरी) : यदि बर्मा का उस साढ़े पांच मील के क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है तो इस मामले को भारत और बर्मा के बीच हुए करार में लाये जाने के क्या कारण है ?

श्री मु० क० चागला : हम अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यदि हम यह नहीं कहते तो हो सकता था कि इसका अर्थ यह लिया जाता कि हमने चीन के दावे को स्वीकार कर लिया है। कुछ कठिनाई से हम बर्मा को इस बारे में सहमत कर सके हैं।

सामान्य आयव्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा-जारी

GENERAL BUDGET 1967--68 GENERAL DISCUSSION--Contd.

अध्यक्ष महोदय : बजट पर सामान्य चर्चा के बारे में कांग्रेस के लिए 2 घंटे और 29 मिनट तथा विरोधी दलों के लिए एक घंटा और 24 मिनट रखे गये हैं। इसलिए हम चर्चा को कल दो बजे तक जारी रखेंगे तथा उसके पश्चात उप-प्रधान मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं। जैसा कि समाचार पत्रों से विदित है। लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। यह एक व्यवहारिक बजट है तथा इससे देश की अर्थव्यस्था में गतिशीलता आयेगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था रोगग्रस्त है, परन्तु इसके लिए एक दम प्रबल उपायों को लागू करना खतरनाक भी हो सकता है। इस खतरनाक स्थिति के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐसा करने का प्रयत्न किया है। इस समय हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए इसी प्रकार के बजट की आवश्यकता थी जिससे कि आगे चलकर और प्रबल उपाय किये जा सके।

इस समय दो महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता है, एक तो मूल्यों को बढ़ने से रोकना तथा खेतों और कारखानों में उत्पादन को बढ़ाना है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था न बनाने से वित्त मंत्री के निर्णय से बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। काफी लम्बे समय से देश में सूखा पड़ रहा है और प्रतिरक्षा संबंधी व्यय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके लिए न तो वित्त मंत्री और न ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विश्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतिरक्षा व्यय में कमी भी नहीं की जा सकती। हमारे उपर पहले ही दो युद्ध थोपे जा चुके हैं। इसलिए प्रतिरक्षा के मोर्चे पर ढील नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि वर्तमान वित्त मंत्री न तो अवमूल्यन के लिए और न ही इससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की थी। हम प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर अत्याधिक उत्पादन कर अवमूल्यन के बुरे प्रभावों को समाप्त कर सकते है; क्योंकि इससे हम अपने माल का निर्यात भी कर सकेंगे ?

इस बात का अध्ययन करने की तुरन्त आवश्यकता है कि अन्य एशियन देशों की अपेक्षा भारत में मूल्य इतने अधिक क्यों हैं। क्या यह गलत नियोजन, खराब प्रबन्ध अथवा मजदूरों की अध्क्षता के कारण है। हमारे मजदूरों को ससार के अन्य भागों के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक मजदूरी नहीं दी जाती। जहां तक दक्षता तथा योग्यता का प्रश्न है हमारे लोग किसी से कम नहीं है। इसलिए हमें मालूम करना है कि कमी किस स्थान पर है तथा क्यों है।

हमारी योजना का सावधानी से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है। हमें योजना बनाते समय साधारण व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। श्री डांगे द्वारा दिया गया सुझाव कि मजूरी को उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाये, सराहनीय है। और वित्त मंत्री को इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए ध्यान देना चाहिए।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं और इससे बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं तथा प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है। ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि लोग कुछ निर्यात किये बिना ही प्रोत्साहन पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में यह पद्धति अपनाई जा रही है कि बराबर की विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में जमा कराने पर ही उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे धोखा देने की प्रवृति खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे विचार में हमें अपनी पद्धति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है। हमें रिर्जव बैंक में जमा कराई गई वास्तविक विदेशी मुद्रा पर ही प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें अपनी प्रणाली को कुछ सरल भी बनाना चाहिए।

इस समय देश में नितान्त आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यों का उत्पादन उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति के अनुसार ही हो। हजारी रिपोर्ट में भी इसी बात पर बल दिया गया है। हमें देश में विद्यमान क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और जहाँ कहीं आवश्यक हो एककों का विस्तार करना चाहिए तथा प्रति एकक उत्पादन बढ़ाने के लिए अलाभप्रद एककों का विलय करना चाहिए। इससे उत्पादन लागत में कमी होगी तथा माल के अविलम्ब विक्रय में भी आसानी होगी।

इस समय विभिन्न गोदामों में करोड़ों रुपयों का माल पड़ा है। शायद इसका कारण मूल्यों का अधिक होना तथा लोगों की क्रय शक्ति का कम होना है। हमारी योजना इस प्रकार होनी चाहिए जिसको कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके।

अप्रत्यक्ष करों के बढ़ाये जाने से साधारण व्यक्ति पर अधिक बोझ पड़ा है। प्रत्यक्ष करों को 1950-51 में 173 से बढ़ाकर 1967-68 में 640 करोड़ कर दिया गया है जहां कि अप्रत्यक्ष करों के 1950-51 में 224 करोड़ रुपयों से 1967-68 में 1857 करोड़ रुपये का दिये गये हैं जो कि अप्रत्यक्ष करों की तुलना में बहुत अधिक है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अप्रत्यक्ष करों से बचा नहीं जा सकता परन्तु प्रत्यक्ष करों की तुलना में इनका अनुपात इतना अधिक नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री को उन लोगों पर कर लगाने की ओर ध्यान देना चाहिए जो इनको सहन कर सकते हों।

वित्त मंत्री इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अप्रत्यक्ष करों के लिए वस्तुओं का चुनाव सावधानी से किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चाय, काफी तथा तम्बाकू का इस्तेमाल साधारण व्यक्ति द्वारा किया जाता है; परन्तु यदि इन वस्तुओं का प्रयोग कुछ कम कर दिया जाये तो इसमें कोई हानि नहीं। साधारण व्यक्ति को चाय तथा तम्बाकू के बजाय भोजन की अधिक आवश्यकता है। जूतों पर लगाये गये शुल्क में कुछ छूट दी जानी चाहिए। कम से कम पन्द्रह रुपये तक के मूल्य के जूते पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये। पैट्रोल तथा

डिजल पर लगाये गये शुल्क में भी रियायत दी जानी चाहिए; क्योंकि किसानों द्वारा कृषि प्रयोजनों के हेतु जिन पम्पों आदि का प्रयोग किया जाता है उनमें पेट्रोल तथा डीजल आदि का ही प्रयोग होता है।

किसानों को तकावी, ऋण अथवा अन्य ढंगों में दिये जाने वाले ऋणों के बदले उनसे अनाज की वसूली की जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो किसानों को ऋणदाताओं से मुक्त कराया जाना चाहिए।

प्रत्येक देहात और खण्ड में अच्छे गोदाम होने चाहिए; क्योंकि हमारे उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग चूहों आदि द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। यदि इस बर्बादी को बचा लिया जाये तो हम आज भी अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं यदि हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जाते हैं, तो हमारा आत्म-सम्मान भी स्थापित हो सकता है।

किसान द्वारा जिस भूमि पर बुवाई की जाती है उस पर उसको स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किसान को यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिए कि अधिक उपज होने पर खाद्यान्न के मूल्यों को कम नहीं होने दिया जायेगा। देश में अनाज के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हमें अनाज क्षेत्र तथा अन्य बाधाओं को समाप्त करना चाहिए।

मैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 38 करोड़ रुपयों की जो व्यवस्था की गई है; मैं उसका स्वागत करती हूं। परन्तु मेरे विचार हमें स्थायी परियोजनाओं अर्थात नलकूप लगाने पर अधिक जोर देना चाहिए जिसकि हम भविष्य में भी उत्पन्न होने वाली सूखे की स्थिति का विश्वास के साथ सामना कर सकें। नेरोबी में मैंने देखा है कि नगर से आने वाले गन्दे पानी के सुन्दर तालाब बनाये गये हैं। बाद में इस पानी का कृषि के लिये प्रयोग किया जाता है जिससे अधिक फसल होती है। हमें भी इस प्रकार की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

अनाज की बर्बादी को यथासम्भव कम करने के लिये हमें इसका मैदा नहीं बनाना चाहिए और आटे को छानना भी नहीं चाहिए।

औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा कारपोरेट टेक्स में दी गई रियायतों का तभी लाभ हो सकता है जबकि बोगस फर्मों को समाप्त कर दिया जाये। हमें पता चला है कि 11 किस्म के फालतु पुर्जों से देश के अन्दर मानकीकरण और उत्पादन में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की बातों की रोकथाम की जानी चाहिए। अलाभकर इकाइयों के विलय के लिए सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र को भी सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में बनाई जाने वाली औषधियों के मूल्य गैर-सरकारी क्षेत्र में बनने वाली औषधियों से बहुत अधिक है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

Dr. A. G. Sonar : (Ramtek) .Sir, I rise to support the budget proposals. I think in the present circumstances it is not possible to bring further a better budget than this ; although many people have branded this budget as anti-social and anti-people budget.

To-day the country is faced with the grave problem of producing more foodgrains. This is the main problem and if we solve this problem successfully all other problems will vanish as a consequence thereof. Therefore efforts should be made on war footing to solve this problem. But one thing should be clearly understood that this problem can be solved only by the farmers. We should give them incentive to produce more food. Untill and unless this is done, this problem is not going to be solved. We should also assure the farmers that prices will not be allowed to fall as a result of higher production. This fear should be washed away from the minds of the farmers.

Minimum price should be guaranteed to the farmers for his produce. Necessary manure, fertilizer and other essential things needed by the farmers should be supplied to him at a reasonable cost. Procedure in this regard should be made simple so that the farmer may not have to face handships in getting the necessary supplies of the required commodities. At present the prices of the Cement and skill are too high to be purchased by the farmers. These commodities should be also made available to the farmers at cheap rates.

There is no doubt that taxation is necessary for a welfare State to cope with its day-to-day activities but the people should also get due return for the taxes they pay.

The increase in taxes on power looms is unjustified. The industry is in the crisis I would request the hon. Finance Minister to pay attention towards this industry.

The hon. Finance Minister should also pay more attention towards the implementation as has been suggested in the Hazari report.

Shri B. S. Sharma (Banka) : We are faced with the food problem since the day of independence. Much has been said about this problem by my hon. friends. The hon. Planning Minister placed before the house many figures. According to these figures about 450 acres of land have been brought under cultivation in Bihar through medium and minor irrigation schemes If we take the produce as two maunds per acre even then it would have been sufficient for whole of the nation. The problem is there as it was because the Government planning remains on the paper and it never cares to see what is actually happening in the fields.

In my view the final problem is not so grave as it is said to be. We can solve this problem by increasing the production little more and by consuming a little less.

We should supply the foodgrains to the industr at labou at reasonable rates. This will help in solving many industrial disputes.

In fact after the independence we have never cared to see what are our basic problems. We followed the west bliwndly. That is the reason that we have faced today with many problem. Recently a gentlman from France visited the drought striken areas. He came to my constituency also. He told that if water in sufficient quantity is made available to this area two or even three good crops can be had from this land. So what I mean to say is that sufficient irrigation facilities have not been provided to the cultivattors even after twenty years of independence. The Indian farmers to-day needs only water and I would request the hon. Minister to look into this for providing sufficient tube wells and other minor irrigation facilities.

In Bihar sign of famine could have seen even in the October last. We did not make proper arrangements. As a result even the drinking water is not available to-day.

I would request the hon. Finance Minister to reconsider the section 194 A which authorises the collection of income tax at the source.

Shri Chandrajeet Yadav (Azangarh): The country is passing through a very critical time. Now the question is whether the present budget will pullus out of the crisis ? In the circumstances when we have faced with the shortage of foo dgrains, rising of price the hon. Finance Minister has tried to present a guarded budget.

What we need is at present more resources to tide over the prevailing financial difficulties Now the question is how to gather the required resources ? There are two alternatives i. e. either to get loans from abroad or levy more taxes on our own people. I agree that tax levied on the tea, coffee and shoes will put more burden on the common man but there was no escape from it. But I would say that if we want to take our country ahead, discontentment among the poor section of the country should be removed and heavy taxes should be levied on the capitalists and the persons who can bear it. The prevailing economic conditions of the country demand the nationalisation of the banks. Privy purses of the ex-rulers should also be abolished.

No body can deny that we have achieved progress in many fields i. e. cement, textiles and steel. These things are now produced in sufficient quantities. The industrial labourers get more to-day. But there are few elements who oppose the progress and actually they are responsible for retarding the progress and for many present day problems.

It has been said that we will be self-sufficient in food by 1971. For that we will be needing 120 million tons foodgrains. This year we have produced only 76 million tons of foodgrains. So if we intend to achieve the targets fixed we should accept the ownership in the land of the cultivator, supply more, better seeds, fertiliser and other provide other facilities to the farmers.

The country is also faced with the language question. I would say that regional language should be made medium of instruction upto the University level. Hindi has already been accepted as the official language and it should be made popular among the mases.

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : यह सच है कि इस समय हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने अपने बजट भाषण में चिन्ता के क्षेत्रों का विश्लेषण किया है। यह आर्थिक विधियों तथा विकास का संकट है। गत 20 वर्षों में हमने आर्थिक क्षेत्र में एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया है और वर्तमान कठिनाइयां इसी नीति के कारण हैं। इससे एकाधिकार की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।

जैसा कि एकाधिकार आयोग और हजारी रिपोर्ट में बताया गया है। गत बीस वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र को और उद्योगपतियों को अपना सामर्थ्य सिद्ध करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं। प्रतिवेदन का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि जहां सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए 2,573 करोड़ रुपये लगाये गये हैं वहां गैर-सरकारी क्षेत्र में भी 4,000 करोड़ रुपयों का विनिधान किया गया है। इस बात का भी दावा किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 19 प्रतिशत लाभ हुआ है जब कि सरकारी क्षेत्र में केवल 2·7 प्रतिशत ही

लाभ हुआ है। इसका अर्थ यह है कि गत 20 वर्षों में हमें 500 करोड़ रुपये की आय हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे देश में पूंजी निर्माण में किस हद तक सहायता मिली है।

देश में इस समय लगभग 109 बैंक हैं, जिन में आठ बैंक सरकारी क्षेत्र में है। 1966 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लगभग 328·6 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं। सामान्य बीमा समवायों द्वारा भी लगभग 50 करोड़ रुपये उद्योगों में लगाये गये हैं। इन सभी बातों तथा आयकर की चोरी तथा बकाया वसूली को ध्यान में रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र से पूंजी निर्माण में कितनी सहायता मिली है जिसकी आज देश को बहुत आवश्यकता है।

गत 20 वर्षों के आयोजन के दौरान हमने जनता से करों के रूप में 19,173 करोड़ रुपये की वसूली की है। आयकर से 3,209 करोड़ रुपये तथा कर से भिन्न राजस्वों द्वारा 4014 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब उद्योगों में विनिधान से 19 प्रतिशत का लाभ हुआ है तो गरीब लोगों से 19,000 करोड़ रुपये एकत्र करने के क्या कारण है जबकि कारपोरेट सैक्टर से केवल 3,000 करोड़ रुपये ही वसूल किये गये हैं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह बात कहना चाहता हूं कि पी० एल० 480 की जमाराशि पर हमें नियन्त्रण रखना चाहिए। यदि 1966–67 तथा 1967–68 में भारत में अमरीकी दूतावास ने पी० एल० 480 की जमा राशि से 800 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय किया तो हम मुद्रास्फीति को नहीं रोक सकेंगे। इसलिए अमरीकी दूतावास द्वारा इस राशि के व्यय पर हमें पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये।

मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या देश में उर्वरक के उत्पादन के लिए स्वदेशी नेफथा का प्रयोग किया जायेगा अथवा तरल एमोनिया का आयात किया जायेगा।

माननीय मन्त्री को इस बारे में भी बताना चाहिए कि क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का अनुसरण न करके विभिन्न उद्योगों अथवा सीमेंट के कारखानों को निजी उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ढ़ंका) : कल एक महिला सदस्या ने तथा श्री अशोक मेहता ने स्वतन्त्र दल के सिद्धान्तों के बारे में कुछ कहा। महिला सदस्या ने कहा कि स्वतन्त्र दल तो किसी भी योजना के विरुद्ध है तथा वे इस्पात के कारखाने भी नहीं चाहते, वे प्रगतिशील नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं और अब हम इसके अभ्यस्त हो गये हैं। हम योजना के विरुद्ध नहीं है। हम ऐसी योजना चाहते हैं जिससे उत्पादन का वातावरण उत्पन्न हो; परन्तु हम रूसी ढंग की योजना नहीं चाहते।

कल जब श्री अशोक मेहता बोल रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि कोई कालेज का विद्यार्थी प्रोफेसर के सामने अपना निबन्ध पढ़ रहा हो। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र दल

उन बातों में विश्वास रखता है जो 19वीं शताब्दी में थी तथा रूसी तरह की योजना 20 वीं शताब्दी की चीज है। यदि ऐसा ही है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि "घेराव" तो नवीन चीज है, वे इसका भी समर्थन करें।

फिर वे कह रहे थे कि हमारी बातों में परस्पर विरोध है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस दल में भी परस्पर विरोधी बातें हैं। उनमें से कुछ तो बैंकों के समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण के हक में हैं परन्तु कुछ इस बात का विरोध कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय पद्धति के हक में है परन्तु कुछ अन्य उसके विरुद्ध हैं। करों का भी वे लाचारी के कारण समर्थन कर रहे हैं अन्यथा यदि वे अपने दिल पर हाथ रखे तो पता चले कि करों के भी विरुद्ध हैं। उनका रवैया हाथी के दांतों की तरह है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और।

आर्थिक बीमारी का पता लगाने के बारे में मैं उनसे कहूंगा कि वे श्री हुमायू कबीर तथा आचार्य कृपालानी के भाषणों को पढ़ें। उनमें आर्थिक बीमारी की ही खोज की है।

वित्त मंत्री ने जो आर्थिक मामलों जी जांच सभा के सामने प्रस्तुत की है उसकी कुछ सदस्यों ने प्रशंसा की है। परन्तु मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। कृषि उत्पादन तथा अन्न के बारे में वित्तीय सहायता का सारा दोष उन्होंने वर्षा पर डाल दिया है। वर्षा को आंशिक रूप में ही आप दोषी ठहरा सकते हैं, सारा दोष नहीं डाल सकते। क्या उन्होंने यह भी सोचा है कि उनकी अपनी नीति उसके लिए कहां तक जिम्मेदार है ? जो भी नीतियाँ और परि-स्थितियां आज हमारे सामने हैं वे हमारी स्वयं उत्पन्न की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने क्षेत्रीय नियन्त्रण तथा राज्य व्यापार और अन्य चीजें लागू कर दी हैं। परन्तु कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें तो एक भूल भुलैया है। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य बजट से कार्य आरंभ किया। यदि आप राष्ट्रीय खाद्य बजट रखना चाहते हैं तो आपको वसूली कर, राशनिंग तथा खाद्यान में राज्य व्यापार भी स्वीकार करना होगा उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य बजट तो लागू नहीं किया परन्तु अन्य चीजें लागू कर दी। परन्तु वे अन्य बातें तो राष्ट्रीय बजट पर आधारित थी और उसे इससे अलग करके इन्होंने एक और भ्रम उत्पन्न कर दिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सरकार जो भी नीति अपनाये वह थोडे समय के लिए भी देश में अधिक उत्पादन के रास्ते में रुकावट नहीं डाले। परन्तु उन्होंने जो नीति अपनाई है वह तो दीर्घकाल के लिए भी उत्पादन में रुकावट डाल रही है। फिर उक्त अभाव के कारण उन्होंने बांटने की नीति को भी सख्त कर दिया है और उसके कारण उत्पादन और कम हो गया है। इस प्रकार वे एक कुचक्र में पड़े हुए हैं।

अब में निर्यात बढ़ाने पर आता हूँ। श्री अशोक मेहता तथा वित्त मंत्री के बीच अवमूल्यन के बारे में मतभेद है। श्री अशोक मेहता का कहना है कि अवमूल्यन से देश को लाभ हुआ है जब कि वित मंत्री का कहना है कि इसे सफलता नहीं मिली। वे दोनों यह भूल जाते हैं कि अवमूल्यन उनकी गलती के कारण ही सफल नहीं हो पाया। उन्हें पता होना चाहिए था कि अवमूल्यन के पश्चात निर्यात तथा आयात का निर्णय दिल्ली में बैठकर नहीं होना चाहिए अपितु यह निर्णय बाजार की व्यवस्था तथा मूल्य व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए कि किस वस्तु का

आयात अथवा निर्यात करना है। ऐसा समझना चाहिए कि इसे लागू करके हमने अपनी आर्थिक बीमारियों के लिए एक नई दवाई तालाश कर ली है। अवमूल्यन के पश्चात हमें निर्यात और आयात से सब कर हटा देने चाहिए थे। आपको इनकी स्पलाई नहीं बढ़ानी चाहिए थी।

हमारी अर्थ व्यवस्था में एक और भी कमी है। भारतीय अर्थ व्यवस्था संगठित भी है तथा असंगठित भी है। आर्थिक शक्ति तथा धन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में है। आप यदि अपनी अर्थ व्यवस्था को देखें तो पता चलेगा कि इसका 80 प्रतिशत भाग केवल 10 नगरों में है। बाकी देश बहुत कमजोर हुआ पड़ा है। यदि आप सीमेंट, इस्पात को भी देखें तो पता चलेगा कि इसका 50 प्रतिशत भाग बड़े बड़े नगरों में ही उपयोग होता है और बाकी देश इसके लिए तरसता है।

आर्थिक व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने जो नुसखा पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें रोशनी दीख तो गई है। परन्तु वे उसका अनुसरण करने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि वह प्रत्यक्ष कर नहीं बढ़ा सकते तथा वे जानते हैं कि साधनों के ठीक प्रयोग के लिए अर्थ व्यवस्था में प्रतियोगिता होनी चाहिए। उन्हें यह भी पता है कि जब तक वित्तीय स्थिरता नहीं होगी तथा आर्थिक स्थिरता भी नहीं होगी। इसलिए वित्त मंत्री को इन सब बातों का ज्ञान है परन्तु परिस्थितियों के कारण वह रोशनी की ओर नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आमूल पहुँच की आवश्यकता है। इस बजट से आपकी शेयर बाजार में शक्ति नहीं आयेगी और न ही इससे लोगों की बचत बढ़ेगी। यह बजट पूंजी के उपयोग को भी रोकने वाला नहीं है जो कि हमारे देश में आजकल हो रहा है।

वित्त मंत्री पूछ सकते हैं कि यदि मैं उनके स्थान पर होता तो क्या करता। मैं उन्हें ठोस सुझाव भी दूंगा। मेरा कहना यह है कि आप नियमित कर एक दम समाप्त कर दो। वे कहेंगे कि उन्हें इसके द्वारा 350 करोड़ रु० प्राप्त होता है। मेरा कहना यह है कि उतना ही धन वे फिर आयकर के रूप में वसूल कर सकते हैं क्योंकि अन्तोगतवा वह धन अशंधारियों के पास जायेगा और उनसे आप आय कर लेंगे। इससे बचत बढ़ेगी तथा उस बचत को आप कारोबार में लगा सकते हैं।

आप बचत को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए कभी आप राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों को करों से मुक्त करते हैं तो कभी आप अनिवार्य जमा योजना आरंभ करते हैं और बाद में एकक ट्रस्ट। परन्तु लोग क्या करते हैं? वे बचत तो करते नहीं बल्कि एक में से धन को दूसरे में बदल देते हैं ताकि उसका लाभ उठाया जा सके।

यह कहना भी असत्य है कि यह संतुलित बजट है। सदस्यों का कहना है कि यह 135 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है परन्तु मैं कहता हूँ कि इसमें 150 करोड़ का घाटा है। गत वर्ष श्री चौधरी ने भी अपने बजट को संतुलित बजट कहा था परन्तु अंत में पता चला कि उसमें 325 करोड़ रु० का घाटा है। इसी प्रकार इस बजट में भी घाटा आयेगा। ऐसा ही वित्त मंत्री का कहना है कि रुपये की स्पलाई नहीं होगी। परन्तु आप देखेंगे कि 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी इसमें होगी। यदि आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो रुपया जारी करने का सारा अधिकार रिज़र्व बैंक को दे दो और उसे आदेश दे दो कि वह भी संसद की अनुमति के बिना

कोई और रुपया जारी न करे। यदि ऐसा किया तो वित्तीय स्थिरता तथा मूल्यों की स्थिरता प्राप्त हो जायेगी।

उन्होंने शक्ति चालित करघों पर भी 2 रु० प्रति करघा कर लगा दिया है। परन्तु उन्हें पता होना चाहिये कि शक्ति चालित करघा ही तो वस्त्र मिलों के एकाधिकार को रोक रहे हैं।

वित्त मंत्री ने जो कर लगाये हैं यदि उनके बारे में वे अहमदाबाद, बम्बई आदि में जाकर छोटे व्यापारियों से बात करें तो पता चलेगा कि उन्हें कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है और वह अपना मत बदल लेंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने काफी तथा चाय पर कर लगा दिया है। यदि वह रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर पर पहले कर लगाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। इसी कारण मैं इन करों का विरोध कर रहा हूं।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद): बजट के बारे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि वित्त मंत्री ने इस बजट को किन परिस्थितियों में पेश किया है। सब को पता है कि देश में सूखा पड़ा है तथा अकाल पड़ा है और हमें दो युद्धों का सामना करना पड़ा है, और अब यह घेराव भी आरम्भ हो गये हैं। साथ ही राज्य सरकारें भी केन्द्र से और वित्तीय सहायता मांग रही हैं। वित्त मंत्री को अवमूल्यन के दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है वह पहले बजटों, से तुलना करने पर जब हम समृद्ध थे, अच्छा दिखाई देगा।

मूल्यों के बढ़ने तथा मेदे को रोकने के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इन्हें रोकने का प्रयत्न करेंगे। वह कहां तक इसमें सफल हो सकते हैं यह तो भविष्य ही बतायेगा।

करों के बारे में वित्त मंत्री ने प्रयास किया है कि गरीब तथा कम आय के लोगों पर करों का भार कम पड़े। यही कारण है कि उन्होंने सिगरेट, तम्बाकू आदि पर तो कर लगाया है परन्तु बीड़ियों पर कर नहीं लगाया है; क्योंकि देश में 70 प्रतिशत व्यक्ति बीड़ी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने जूतों पर तो कर लगाया है परन्तु चप्पलों पर कर हीं लगाया है। इस प्रकार इसका भार निर्धन लोगों पर नहीं पड़ेगा।

कुछ लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि वित्त मंत्री ने मदिरा पर कर नहीं लगाया। अब देश में चर्चा हो रही है कि मदिरा पर कोई नियंत्रण हो अथवा नहीं। उन्हें समय देना चाहिये कि वे अपने आपको ढ़ाल सकें।

मैं करों के बारे में वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मध्य वर्ग के निश्चित आय के लोगों को सबसे अधिक कर देना पड़ता है; क्योंकि समाज का यही एक वर्ग है जो अपना कर ईमानदारी से देते हैं। युद्ध से पहले आप कर के लिये कम से कम वार्षिक आय 400 रु० के लगभग थी। अब रुपये का मूल्य भी घट गया है। इसलिये यह हद भी 600 रु० कर देनी चाहिये।

श्री मसानी बार बार यह कहते हैं कि यदि आप कर कम कर दें तो औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियां बढेंगी। इस संदर्भ में वे अमरीका के राष्ट्रपति केनेडी का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कर घटा कर अमरीका की अर्थ व्यवस्था को लाभ पहुंचाया। लेकिन मसानी साहिब यह भूल जाते हैं कि अमरीका एक सम्पन्न देश है और वहां कर कम करके भी वार्षिक आय अधिक हो जाती है। भारत में यह नहीं हो सकता।

श्री दांडेकर कहते हैं कि यह घाटे का बजट है और यह घाटा 150 करोड़ रु० तक का है। यदि ऐसा ही है तो फिर वह नये करों के लगने का क्यों विरोध करते हैं ?

प्रशासन के व्यय में कमी करने की भी बहुत चर्चा हुई है। यह सच है कि राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 20,000 से बढ़कर 35,000 दी गई है तथा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 21 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है और इस पर बहुत व्यय होता है। परन्तु यह भी याद रखना होगा कि सरकार ने इस समय सब से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इसलिए इस व्यय में कमी करने का एक मात्र तरीका छंटनी करना होगा। उसके अतिरिक्त एक ओर तो आप प्रशासन के व्यय में कमी करने की बात करते हैं और दूसरी ओर आप उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाने को कहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री से लेकर एक सामान्य क्लर्क के वेतन में 5 प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए।

कुछ व्यक्ति प्रीवी पर्सों (महाराजाओं के निजी भत्तों) को समाप्त करने के बारे में सुझाव दे रहे थे। परन्तु यह एक नैतिक समझौता था जो हमारे नेताओं तथा सरकार ने राजाओं के साथ किया था, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यों को भारत में विलय किया था। साथ ही यह भत्ता प्रत्येक नसल के बाद कम हो जाता है; जैसे निजाम हैदराबाद को पहले 50 लाख रु० वार्षिक मिलता था परन्तु अब नये नवाब को केवल 20 लाख रु० मिलते हैं और वह एक और नसल के बाद 10 हो जायेगा। यदि यह बन्द कर दिये तो विदेशों में भारत की साख कुछ नहीं रहेगी। काशमोर का मामला भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी है और हैदराबाद का मामला भी हमारी ओर से तो समाप्त है परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे केवल स्थगित किया हुआ है।

अन्य जो विशेषाधिकार हैं उनके लिये हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। उदाहरण के लिये आप एक नरेश पर भारत सरकार की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चला सकते। क्या कारण है कि एक महाराजा को मुझ से अधिक अधिकार हैं ? अभी हैदराबाद के नये नवाब ने अपने बीस-बीस वर्ष पुराने 12,000 नौकरों को नौकरी से हटा दिया। वह कहता है कि उसके पास धन नहीं है। परन्तु उसके पास 6 महल खाली पड़े हैं तथा एक और महल बनवा रहा है। फिर इन गरीब लोगों को न्यायालय में जाने से क्यों रोका जाये ? एक साधारण कारखाने को बन्द करते समय सरकार उसके दायित्वों को अपने ऊपर ले लेती है। ऐसा ही कार्य निजाम के बारे में सरकार क्यों नहीं करती ? यदि वह अपने संस्थापन को नहीं चला सकते तो आप चलाईये। यह जांचने के लायक बात है।

करों के मामले में भी उनके साथ संपति कर आदि के मामले में भी रियायत की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्वालियर राज्य से कितना कर मिला है ? वर्तमान हैदराबाद के

निजाम की संपत्ति के बारे में वह क्या जानते हैं ? इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। यह राजे महाराजे 6 से 9 मास तक तो विदेशों में ही रहते हैं। उनके लिए यह विदेशी मुद्रा कहां से लाते हैं ?

क्या यह जवाहरात तथा अन्य संपत्ति विदेशों को नहीं भेजते ? आप को कोई कारखाना बनाना हो तो आप गरीब लोगों की भूमि का अर्जन करते हैं तो फिर ऐसे ही जब देश को सोने की आवश्यकता है तो इन राजे महाराजाओं के सोने को क्यों नहीं अर्जित करते ?

बजट के अतिरिक्त खाद्यान की भी समस्या है। हम 1 करोड़ टन अन्न बाहर से मगाते हैं।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत और चीन के युद्ध के पश्चात् से चीन ने बिजली के उत्पादन में भारत से 10 गुना प्रगति की है। 1948 में हम उनसे उद्योग में कहीं आगे थे परन्तु अब चीन टैंकों और वायुयानों का निर्यात कर रहा है तथा वे वियतनाम और अन्य देशों की सहायता कर रहा है। हम सब का क्या उत्तर है ? उन पर कोई विदेशी ऋण नहीं है और वे विदेशों से सहायता भी नहीं ले रहे हैं जबकि हम ओरों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंचे।

एक बात स्पष्ट है कि उन्नत राष्ट्र अधिक उन्नत होते जा रहे हैं और विकास शील देश गरीब होते जा रहे हैं। यदि हमें प्रगति करनी है और समाज का निर्माण करना है तो देश में आदर्शवाद को जागृत करना होगा। हम सब को मिलकर कार्य करना होगा तथा कठिनाई को मिलकर सहन करना होगा। गांधी जी ने भी आदर्शवाद की ज्योति जलाई थी। इसी के द्वारा हम देश को बड़ा देश बना सकते हैं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : On holding the charge of Finance Minister by Shri Morarji Desai it was expected that he will levy heavy taxes on the people. That expectation has become true in the present budget. It was also expected that atleast he will take some concrete steps to avoid starvation deaths, but nothing has been done in this regard so far.

In may view there is no shortage of foodtrains in the country. The present difficulty is simply due to the black marketers, hoarders and Government controls. One can buy as much quantity of foodgrains as one likes at higher rates from the market. So, I would suggest that controls should be removed and state-trading in foodgrains should be introduced as an alternative. Banks should be nationalised without delay and they should be ordered not to advance money for purchase of foodgrains.

So far as the question of increasing the production of foodgrains is concerned, the land lying idle on both sides of the railway trade in the country should be brought under cultivation. This land should be given to the cultivators of the adjacent fields.

It is astonishing to see that Hindustan Steel and Fertilizer has suffered a loss of 70 and 120 crores of rupees respectively. Similarly all other public sector undertaking are running with loss. I fear that it might be due to some conspiracy between the capitalists and

high officials. To-day it looks as our Gover .ment is playing in the hands of big capitalists. Untill and unless the present complex of the situation is overturned as progress is possible.

Brass industry in Moradabad is in crises due to the various restrictions imposed on the procurement of raw material. This industry was earning foreign exchange worth one and half crores of rupees. Similarly the industry concerning with the comb manufacturing from bons is also in the crisis. These industries can fetch lot of foreign exchange. The hon. Finance Minister should pay due attention towards these industries to pull them out of crisis so that foreign exchange could bec earned. To say that Hindus are anti-Muslim and that is the reason of communal riots in India is not correct. I reject this theory outright. On the other hand I would say that Government has failed to check the communal riots.

A secret circular was issued to the effect that key posts in the services should not be given to the Muslims. Such sort of discrimination should be stopped and equal opportunities should be provided to the people of all communities as has been provided in our sacred constitution. (अन्तर्बाधा)

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस आशय का कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है । मुस्लिम लोग कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त है । इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

Shri Ishq Sambhali : While levying taxes on the industry Government should see that its burden does not fall on the poor section of the society. The poor are already too much burdened and more burden should not be put on them through taxes.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : वित्त मंत्री ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति जो कि गत दो वर्षों से पड़ रहे अभूतपूर्व तथा विषम सूखे के कारण उत्पन्न हुई है का ठीक मूल्यांकन किया है । बजट में कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य में असमानता को दूर करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं जिनका मूल्य बहुत बढ़ गया है । इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने कृषि सुधार के लिए पर्याप्त धन रखा है । बहुत से उद्योग भी कृषि पर आधारित हैं और यदि हम उत्पादन बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का समाधान हो जायेगा ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को आवश्यक खाद तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की जाये । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें उर्वरक, अच्छे बीज के उत्पादन तथा सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए । इन सब के अतिरिक्त खेतिहरों के लिए ऋण तथा अन्य सेवाओं का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

मेरे विचार में देश में उत्पादन को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है । इसके लिए हमें गहन खेती पर ज़ोर देना चाहिए क्योंकि खेती के लिए और अधिक भूमि जुटाने की गुंजाइश कम है । भारत में धान का प्रति हेक्टर उत्पादन अमरीका, ब्रिटेन, जापान तथा जर्मनी आदि देशों से कम है । इसलिए मेरे विचार में यदि किसानों को समय पर अन्य सुविधाओं सहित खाद आदि उपलब्ध की जाती है तो हम बहुत ही कम समय में खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो सकते हैं ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (जारी)
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (Contd.)

चीन द्वारा भारतीय राजनयिकों का निरोध

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"चीन द्वारा भारतीय राजनयिकों का निरोध।"

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : चीन सरकार की पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव श्री के० रघुनाथ की राजनयिक प्रभुता की मान्यता को वापिस लेने की कार्यवाही तथा यह कहना कि उनको तब तक चीन छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि चीन की न्यायपालिक उनके अपराधों के विरुद्ध मंजूरी नहीं ले लेती। अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रों के बीच सभ्य व्यवहार के सभी सिद्धान्तों का एक गम्भीर उल्लंघन है। चीन द्वारा उनके विरुद्ध जासूसी के आरोपों की जो एक सूची तैयार की गई है वह झूठ का पुलंदा है। 5 जून को हमारे दूतावास ने चीन सरकार को सामान्य भाषा में लिखा एक विरोध पत्र दिया था।

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त इस घटना संबंधी व्यौरा इस प्रकार है। 4 जून को 1.30 बजे श्री रघुनाथ तथा तृतीय सचिव श्री विजय पेंकिग में पश्चिमी पहाड़ियों की ओर गये थे जो कि एक सुन्दर स्थल है तथा विदेशियों के लिए खुला हुआ है। मार्ग में वह एक मिनट के लिए टूटे फूटे मन्दिर के समीप रूके तथा उसके कुछ चित्र लिए। उनको कुछ लोगों ने घेर लिया तथा उन पर समीप स्थिति सैनिक संस्थापन के फोटो लेने का आरोप लगाया। चीनी लोगों की भीड़ द्वारा दोनों राजनयिकों को पास की एक इमारत में जाने के लिए मजबूर किया जहाँ कुछ देर बाद सुरक्षा ब्यूरो का एक अधिकारी आया जिसके आदेशानुसार राजनयिकों से कैमरा तथा फिल्मों को छीन लिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि फोटो से पता लगा है कि श्री रघुनाथ ने निषिध चीजों के फोटो लिए हैं। आश्चर्य की बात यह कि इन फोटो को राजनयिकों को नहीं दिया गया। गत वर्षों में सभी देशों के राजनयिकों को वहां जाने तथा फोटो लेने की अनुमति रही है। श्री विजय तथा श्री रघुनाथ ने कोई असाधारण काम नहीं किया है।

हमारे दूतावास के दो अधिकारी शाम 9 बजे घटनास्थल पर पहुँचे, परन्तु उनको भवन के अन्दर नहीं जाने दिया और न ही राजनयिकों से मिलने दिया है। उन अधिकारियों को यह कह कर वापिस भेज दिया गया कि यह निषिध क्षेत्र है। साढ़े आठ घन्टे निरुध रखने के पश्चात राजनयिकों को साढ़े नौ बजे दूतावास जाने की अनुमति दी गई। दूतावास ने वैदेशिक कार्यालय

के समाचार विभाग से विरोध प्रगट करने के लिए कई बार प्रयत्न किया परन्तु उसको समय ही नहीं दिया गया।

अगले दिन विदेशी कार्यालय को दोनों राजनयिकों के गैर-कानूनी निरोध के विरोध में घटना का व्यौरा देने वाला और विरोध प्रगट करने वाला एक नोट भेजा गया परन्तु तीन घन्टे पश्चात उस नोट को लौटा दिया गया।

श्री रघुनाथ पर जासूसी के आरोप लगाने से पता चलता है कि चीन इस घटना को केवल प्रचार के लिये ही नहीं बल्कि भारत के साथ अपने सम्बन्धों को और बिगड़ने के लिये भी प्रयोग करना चाहता है।

श्री रघुनाथ के विरुद्ध बहुत ही तुच्छ आधारों पर जासूसी के आरोप लगाये गये हैं। कहा गया है कि वह लाल रक्षकों की भीड़ से राजनैतिक तथा सैनिक जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। इन्हीं झूठे आधारों पर चीन सरकार आमतौर राजनयिकों के मनगढ़ंत मामले बनाते रहते हैं। दूसरी ओर श्री रघुनाथ को चीन द्वारा काफी परेशान किया गया। एक बार जबकि वह लाल रक्षकों का समाचारपत्र क्रय कर रहे थे तो उनको कुछ लालरक्षकों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाने के लिए बाध्य किया गया।

श्री रघुनाथ एक होनहार युवक राजनयिक हैं जो कि हमारी राजनयिक सेवा की सर्वोच्च परम्पराओं का पालन करते हैं। उनको इस शरारतपूर्ण घटना में अन्तर्गस्त कर चीन भारत को बदनाम करना चाहता है। उनको राजनयिक सुविधाओं तथा विशेषाधिकारियों से वंचित कर दिया गया है; जिसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता। भारत सरकार ने चीन की इस कार्यवाही पर बहुत आपत्ति की है और चीन के कार्यकारी दूत को प्रातः पांच बजे वैदेशिक कार्य मंत्रालय में बुलाकर अपनी सरकार को इस द्वेषपूर्ण, अनुचित और अवैध कार्यवाही के बारे में सूचना देने को कहा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा परम्परा का उल्लंघन करने के विरुद्ध कार्यकारी राजदूत को एक विरोध पत्र दिया है। यह मांग भी की गई है कि श्री रघुनाथ की राजनयिक प्रभुता पर कोई आक्षेप न किया जाये और उनके विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोपों को वापिस लिया जाये। कार्यकारी राजदूत को यह भी बता दिया गया है कि यदि चीन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो भारत सरकार जो उचित कार्यवाही करने का अधिकार रखती है।

श्री रघुनाथ के लिए आज दोपहर (भारतीय समय के अनुसार दोपहर बारह बजे) एक सार्वजनिक मुकदमा चलाये जाने का प्रबन्ध किया गया है और पेकिंग स्थित हमारे दूतावास को उन दोनों को वहां पर उपस्थित होने की सूचना दी गई है। इससे चीन सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सभ्य व्यवहार के सभी सिद्धान्तों के अवमान का पता लगता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकारी राजदूत तथा उनके साथी इस संकट का साहस तथा प्रतिष्ठा के साथ सामना करेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह सभी सभ्य व्यवहार के सभी सिद्धान्तों का उल्लंघन है। क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि हमें चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए, चीन के दूतावास के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना चाहिए ?

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : पेंकिग में हमारे राजनयिक के साथ जो अपमान-जनक व्यवहार किया गया है यदि हम उसके प्रति वास्तव में गम्भीर हैं तो हमें पेंकिग के साथ बिना शर्त सभी राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिए ।

Shri A. B Vajpayee (Balrampur) This is not the first time that disgraceful and discourteous behaviour has been meted out to our diplomats in China. But happenings of the 4th June has surpassed all previous records. So I would say that our Government should also take the reciprocal steps the Chinese diplomat here.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जैसा कि सरकार ने कहा हम इस मामले को बहुत गम्भीर समझते हैं । इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, सम्भवतः सरकार द्वारा उसकी घोषणा नहीं की जा सकती न ही की जानी चाहिए । मेरा निवेदन है कि ध्यान दिलाने वाली सूचमा के पश्चात अनुपूरक प्रश्नों के दौरान मूल नीति के बारे में कोई मामला नहीं उठाया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे अन्य विषय पर चर्चा आरम्भ करनी है । समय कम होने के कारण में केवल पार्टियों के नेताओं को ही बुला रहा हूँ । इस ओर से भी मुझे कुछ माननीय सदस्यों को बुलाना है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I rise on a point of Order. Many questions which will be asked by hon. Members will simply be a repetition. It will be better if the hon. Minister give reply to the particular question asked and then the next question may be put.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Uptil to-day our Government has been pursuing a policy of appeasement in regard to China. Our policy has been completely unsuccessful in this regard. I would, therefore, request that my adjournment motion may be admitted and discussion may be allowed thereon.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमारे राजनयिकों को जो अपमान सहन करना पड़ा है उसके लिये मैं अपनी सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराता हूं । चीन के बारे में सरकार ने बदले की नीति पर कभी विचार तक नहीं किया । हमें चीन के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही कर चीन के दूतावास को एक निषिध क्षेत्र घोषित करना चाहिए तथा दूतावास के किसी चीनी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

Shri Sidheswar Prasad (Nalanda) : The more strongly we condemn the Chinese for treatment given to our diplomatic personnel, the less it is China understands only one language and that is the language of force. Unless our Government acts in the same way, as they have done, they will not understand The Government did not change its policy regarding China even when it attacked our country. I want to know whether under such circumstances, the Government would reconsider its policy regarding China and it will not only the diplomatic relations with China, but it would have a public inquiry of all the diplomatic personnal in Chinese Embassy.

श्री मु० क० चागला : हम इस विशेष प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । यदि आप अनुमति दें तो मैं सभा को यह बता दूं कि हमने अब तक क्या किया और हम आगे क्या करने का इरादा रखते हैं (बाधाएं)

इसके बाद यदि आप निर्णय देंगे तो मैं चर्चा के लिये तैयार हूं।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : पहले हम मंत्री महोदय को सुन ले। उनको सुने बिना हम क्या कर सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इनके विचारों से सहमत हूँ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : I want to raise a point of order. On the one hand you are allowing a Calling Attention Notice. On the other hand you are not giving time to the signaturies.

श्री मु० क० चागला : हमने पेकिंग स्थित अपने कार्यकारी दूत को अविलम्ब अनुदेश भेजे हैं कि उन्हें तथा कथित सार्वजनिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानना चाहिये। किसी भी देश में कोई राजनयिक इस देश के नागरिक अथवा घरेलू न्यायालयों के अधीन नहीं होता है।

हमने उसे उन आमंत्रणों का प्रतिरोध करने के लिये कहा है जो उसके लिये जारी किये गये हैं। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जायेंगे। हम विरोध पत्र भेजने और अपना रोष प्रकट करके ही शान्त नहीं होंगे। हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई उपाय निकालने के लिये प्रयास करने दीजिये। केवल 5 या 10 मिनट में सूची के सब 38 नामों को समाप्त नहीं किया जा सकता। सभी जो तरीका भी चाहेगी मैं वही तरीका अपनाऊंगा। यह एक आवश्यक समस्या है परन्तु सम्भवतः मैं सब नामों को नहीं पुकार सकूंगा।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इससे पहले कि कल हम इस विषय पर चर्चा करें हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि मुकदमे के दौरान श्री रघुनाथ के जीवन की सुरक्षा की सुनिश्चितता कर ली गई है क्योंकि वहां जनता न्यायालय कोई भी विधि नियम नहीं अपनाती। क्या माननीय मंत्री सभा को इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : जैसा कि माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री ने अभी कहा कि श्री रघुनाथ को अवश्य ही बल पूर्वक सार्वजनिक न्यायालय में पेश किया जायेगा। इसकी प्रतिक्रिया हमारे देश में भी होगी। हमारे देश के नवयुवक भी दिल्ली में चीनी राजनयिकों को दूतावास के भवन से बलपूर्वक निकालेंगे। अतः हमारी सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम न केवल चीन से दौत्य सम्बन्ध तोड़ेंगे बल्कि राष्ट्र संघ में भी तिब्बत के मामले का समर्थन करेंगे।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हमें अपनी भावना अवश्य व्यक्त करनी चाहिये। हम मानव हैं मशीन नहीं। उन्हें घसीटा जा रहा है, यातनाएं दी जा रही और नीचा देखना

पड़ रहा है और हमारा मंत्रालय वातानुकूल भवन में बैठा है। विदेश मंत्री हमेशा के लिये कोई कदम क्यों नहीं उठाते ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।

नक्सलबाड़ी और खारीबाड़ी की स्थिति के विषय में चर्चा

DISCUSSION RE-SITUATION IN NAXALBARI AND KHARIBARI

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में 'सामान्तर सरकार' की चर्चा की गई है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस विचार की हंसी उड़ाई है। यदि सरकार सभा को यह सूचना दे कि पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां सामानान्तर सरकार सक्रिय है तो मैं यह बात मान सकता हूं। परन्तु पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने इसका विरोध किया है। पश्चिमी बंगाल सरकार के 6 मंत्री इस क्षेत्र के दौरे पर हैं। मैंने बंगाल के आज के सब समाचार पत्रों को देखा है उन्होंने स्पष्टतया बताया है कि स्थिति नियंत्रण में है। यह मामला राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। वह सामानान्तर सरकार के कार्य करने तथा कानून और व्यवस्था के भंग होने सम्बन्धी आरोपों का यहां उत्तर नहीं दे सकते। अतः यह प्रस्ताव नियम के विरुद्ध है और आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये। इससे समस्त स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I do not agree with the point of order and the objection raised by Shri H. N. Mukerjee. It is true that so far as the question of law and order is concered, it comes within the jurisdiction of the State Government. But the areas where the incidents are taking place, are the areas of Advisis. This issue was also raised by us at the time of Bastar incidents. It is a matter of Advisis, therefore, it is not a problem of law and order. The Central Government has got its own responsibility in this regard and this should be discussed in the House.

It has been mentioned under Article 339 of the Constitution that "The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to a State as to the drawing up an and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the scheduled Tribes in the State."

In fact the problem is that of Schedule Tribes, poor tenants and the farmers. Therefore, this House has the full right to discuss it.

श्री नी० श्रीकान्त नायर (क्विलोन) : संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अन्तर्गत यह राज्य का विषय है। सामान्यतः राज्य के विषय पर सभा में चर्चा नहीं की जाती। केवल उन्हीं अवसरों पर जबकि केन्द्र सरकार की सेना, नौसेना या हवाई सेना को बुलाया गया था, सभा में चर्चा की गई है।

नियम 193 केन्द्र की सूची में दिये गये किसी भी विषय पर चर्चा करने से नहीं रोकता। यह कोई भी मन्त्री पश्चिमी बंगाल की कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है। नियम 193

और 194 में विशेष कर उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन पर संविधान से प्राप्त अधिकार के आधार पर चर्चा की जा सकती है।

अतः मैं यह कहूँगा कि नियम 193 के अन्तर्गत अनुमति देना एक गलती है। हालांकि पहले बहुत से अवसर आये हैं जबकि अध्यक्ष ने संविधान की अवहेलना की है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। उदाहरणार्थ सभा में भाषा के प्रयोग के मामले में संविधान के अनुच्छेद 120 के सम्बन्ध में ऐसा किया गया। स्वभावतः अध्यक्ष निर्णय दे सकते हैं और उनके निर्णय जहां तक सभा का सम्बन्ध है अन्तिम हो सकते हैं।

श्री हुमायूं कबिर (वसिरहट) : मैं श्री मधु लिमये के विचारों से अधिकतर सहमत हूँ। परन्तु मैं यह कहूंगा कि तथ्य की जानकारी के बिना उन्होंने श्री मुकर्जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन किया है। जब वह संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं यह महसूस नहीं किया कि वह क्या कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के भलाई से सम्बन्धित मामलों में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निदेश दे सकती है। इस मामले पर सभा में जब विचार किया जा सकता था जब कि केन्द्र सरकार राज्यपाल या राज्य सरकार की रिपोर्ट पर यह मामला प्रस्तुत करती कि वहां कानून और व्यवस्था के भंग होने का भय है।

केन्द्र सरकार द्वारा कोई निदेश नहीं दिये गये हैं। अतः कानून और व्यवस्था का प्रश्न सभा में नहीं उठाया जा सकता। सामान्यतः सरकार की स्थापना की अफवाहें इस सभा के कुछ इन सदस्यों ने उड़ाई हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था और इसी के आधार पर समाचार पत्रों में यह सूचना छपी है। माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का हक है परन्तु वह उसका अन्तिम सबूत नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : नक्सलवाड़ी में कानून और व्यवस्था के भंग हो जाने की रिपोर्ट से हम चिन्तित नहीं है; क्योंकि वह राज्य का मामला है। इसके लिये पश्चिमी बंगाल विधान सभा राज्य सरकार की निन्दा करेगी। हमें सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की चिन्ता है। सार्वजनिक व्यवस्था का विषय केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आता है।

नक्सलबाड़ी की स्थिति युद्ध के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह तिब्बत से केवल 60 मील और पूर्वी पाकिस्तान से 14 मील दूर है। अतः देश की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा की समस्या का प्रश्न है। अतः प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र की हैसियत से इस मामले पर विचार किया जाना न्यायोचित है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : कानून बनाने और चर्चा की शक्ति में हमें फर्क रखना चाहिये। अनुच्छेद 246 राज्य को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। परन्तु संसद् को चर्चा करने से कोई नहीं रोकता। मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उद्देश्य यह जानना है कि क्या संविधान के अन्तर्गत राज्य से सम्बन्धित मामलों में संसद् को चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है या हमारी चर्चा करने की सीमा सातवीं अनुसूची और अनुच्छेद 246, 247, 248 आदि तक सीमित है?

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय में बहुत से ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें लोगों की हत्या करने से सम्बन्धित भी एक सूचना थी । मेरे विचार से यह राज्य में कानून और व्यवस्था का प्रश्न था और मैंने ऐसी सभी सूचनाओं को अनुमति नहीं दी क्योंकि हत्याओं की घटनाएं प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जगह होती रहती हैं । कानून और व्यवस्था राज्य की समस्या है । अतः मैंने ध्यान दिलाने वाले प्रश्नों को अनुमति नहीं दी । सामान्तर सरकार के नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन गया है । अतः यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है । यह नक्सलबाड़ी में होने वाली घटना के समान नहीं है । इसका सम्बन्ध समस्त देश से है क्योंकि यह सीमा क्षेत्र की समस्या से सम्बन्धित है ।

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : यह बहुत आवश्यक मामला है इस पर बेदिल से विचार करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और ना ही हम सम्बन्धित पक्षों के साथ न्याय कर सकेंगे । अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चर्चा की अवधि को कम से कम आधे घन्टे के लिए और बढ़ा दें ।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही आधा घन्टा बरबाद कर चुके हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a very delicate subject. Law and Order has completely broken down in Nexalbari and Kharibari. Police is taking no action to restore law and order. Information has been received that a parellel Government is coming into existence. It has also been reported that large scale looting and violence is going on. Murders have been committed. The Police Inspector who went there to maintain law and order has been murdered.

The situation is very alarming. No doubt economic difficulties of the people, for which the Congress policies are to blame, have contributed to the present situation, but the exteme left Communists are at the back of the present trouble.

There is a deep-rooted conspiracy to create disturbance in that area

The area is strategically important. Even the Forward Block S. S. P. leaders have admitted that there is public disorder there. When the situation is like that why the action is not being taken in this regard ? The Government should remain alert from the defence and security point of view.

I am not in favour that the Centre should intervene because that Government is well elected. I want that a Parliamentary Committee consisting of members of all the political parties should be sent there and submit its report before the House after studying the situation. Even then if there is no improvement in the situation, the Centre should issue directions to the State Government under Article 256 and 257 of the Constitution.

But before that the Opposition Parties should have been taken in full confidence otherwise intervention would not have been proper.

The Government should tell the House as to what steps they are taking to safeguard the security of the country.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बहरामपुर) : पिछले कई हफ्तों से पश्चिमी बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिये कीचड़ उछालने का अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलबाड़ी की घटना एक बहुत पुरानी घटना है। यह वहां पर भूमिहीन मजदूरों की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुई।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है मैं यह मानता हूं कि यह सीमा क्षेत्र है।

परन्तु समस्त भारत का केवल वही एक ऐसा सीमा क्षेत्र नहीं है जहां कानून और व्यवस्था भंग होने की घटनाएं घटी हैं। कुछ यूरोपीय निहित स्वार्थ और बड़े जमींदार वर्तमान पश्चिमी बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिये स्वतन्त्रता के नाम पर शोर मचाते हैं।

वहां स्थिति गम्भीर है। वहां बेचारे गरीब लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपनी शक्ति के बाहर जाकर वहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। पश्चिमी बंगाल सरकार स्थिति से अवगत है और वह ध्यान पूर्वक स्थिति की जांच कर रही है। अब हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे वहां की सरकार का कार्य और कठिन हो जाये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The area effected by the present trouble is of strategic importance. The Communists are inciting the people to create disturbance.

The Central Government should take step to remove the grievance of the Adivasis there. A survey of land should be conducted, so that the land could be given to the needy.

The District Authorities of the affected areas want that Army should be entrusted with the job restoring law and order. They have expressed their inability to handle the situation. The Centre should intervene and take over the administration of West Bengal. If the Central Government failed to take timely action, we may lose West Bengal.

श्री समर गुह (कन्टाई) : नक्सलबाड़ी और खारीबाड़ी में स्थिति चिन्ताजनक और विस्फोटक है। प्रभावित क्षेत्र सामरिक महत्व का है। पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए हमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिये।

यह बात महसूस की जानी चाहिये कि कुछ लोकतन्त्र विरोधी शक्तियां हमारे लोकतन्त्र की जड़ों को काटना चाहती हैं। हमें उन शक्तियों से सावधान रहना है।

हमें गम्भीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिये। पश्चिमी बंगाल की वर्तमान सरकार को जो जनमत के आधार पर सत्ता रूढ़ हुई है, उलटने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।

इस दिशा में किये जाने वाले किसी भी प्रयत्न से अलोकतन्त्री शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। उग्र पन्थी तत्व राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण ही इस क्षेत्र में आर्थिक संकट की स्थिति है। किन्तु यह खेद की बात है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के राजस्व मंत्री ने वहां की समस्या को सुलझाने के लिये कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इस भूमि को प्राप्त कर किसानों में बांटने के लिये अध्यादेश क्यों नहीं जारी किया ? स्थिति का अध्ययन करने और समस्या को हल करने के लिये संसद सदस्यों

की एक समिति वहां पर भेजी जानी चाहिये। उन्हें वहां के मुख्य मंत्री से मैत्री पूर्ण विचार विमर्श कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The result of the present discussion should not be an imposition of the President's Rule in West Bengal. Such an action would result in dangerous consequences.

Communist posed a threat to the security of the country. They are working not only in Nexalbari but in Asansol also. One has to understand that the dispute of Adivasis and refugees is very dangerous.

It would have been better if before taking any action we send a Commitee consisting of members of this House only or a Joint Committee of Members of this House and West Bengal M. L. A's should be sent to study the situation, because this matter should not be considered as an ordinary one.

श्री क० प्र० सिंह देव (कौलहन्डी) : इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि नक्सलबाड़ी जो इतना सामरिक महत्व का स्थान है वहां भय का वातावरण है।

वहाँ की विधिहीनता और अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और केन्द्र सरकार खामोश नहीं बैठ सकती। अतः मेरी यह राय है कि जब तक कानून और व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती तब तक नक्सलबाड़ी क्षेत्र को केन्द्र अपने अधिकार में ले ले।

श्री चपला कांत भट्टाचार्य (रानीगंज) : मुझे दो या तीन तार प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार वामपंथी साम्यवादी हर रोज नक्सलबाड़ी में तथा इसके पास के मकानों में लूटमार करते हैं और लोगों की हत्या भी करते हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

बंगाल कांग्रेस की दार्जिलिंग शाखा के सचिव ने भी, जो पश्चिमी बंगाल सरकार के अग है, एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वामपंथी साम्यवादियों के नेतृत्व में सशस्त्र भीड़ ने पुलिस दल पर आक्रमण किया और एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर की हत्या कर दी।

ऐसा पूछा गया है कि इस छोटे से क्षेत्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और हम इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। लेकिन इस छोटी सी पट्टी से होकर राज पथ संख्या 31 असम से गुजरती है। इसी छोटी सी पट्टी से होकर छोटी और बड़ी लाइनें असम को जाती हैं। इसी छोटी सी पट्टी से होकर टेलीफोन ट्रक लाइनें असम जाती हैं और तेल की पाइप लाइन असम से बरौनी जाती है। इसलिए इस पट्टी को छीनने के प्रयास के पीछे साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का कुछ उद्देश्य अवश्य है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो यह कोई किसान आन्दोलन है न भूमि आन्दोलन और ना ही आदिम जाति का ही कोई आन्दोलन है। यह साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का दोतरफा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य उस छोटे से क्षेत्र में दल का विस्तार और समेकन करना है ताकि उसे वहां से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न हटा सके।

साम्यवादी बल प्रयोग से अथवा प्रलोभन देकर चाय बगानों में संघों का विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं। वे पहले अपने दल को जमीन देने की कोशिश भी कर रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल का प्रशासन असफल रहा है। उसके आदेश वहां लागू नहीं होते। उन क्षेत्रों पर उन लोगों का नियंत्रण है। वे 335 मन धान वहाँ से इकट्ठा कर नेपाल ले गये।

पुलिस की गोली से कुछ स्त्रियां मारी गई हैं। बहुत से आदिवासी लोग भी मरे हैं।

जो परिवार इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं उनकी महिलाओं को घरों से निकाल कर जलूसों के आगे आगे चलने के लिए बाध्य किया जाता है।

इस ग्रुप के लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी गई है कि इन के विरुद्ध पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यदि पुलिस हस्तक्षेप करती है तो झगड़ा हो जायेगा। नेपाल से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक इन लोगों ने चार अथवा पांच गढ़ बनाये हुए हैं। इनको रोका जाना चाहिए तथा स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : देश के इस भाग में घटने वाली दुर्भाग्य-पूर्ण घटनाओं के बारे में सभी को दुख है। इस में भी कोई सन्देह नहीं कि इस में कुछ अनु-सूचित आदिम जातियां तथा अनुसूचित वर्ग सम्मिलित हैं और वे पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने सावधानी का प्रयोग करने हेतु पुलिस को निश्चित अनुदेश दे रखे हैं।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह एक राजनैतिक तथा आर्थिक समस्या है; जिसको पुलिस की कार्यवाही द्वारा हल नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो पुलिस द्वारा भी कार्यवाही की जायेगी। इसलिए पश्चिमी बंगाल के छः मंत्री वहाँ गये हैं तथा वहां स्थिति में सुधार हुआ है।

सरकार को ऐसी भावना उत्पन्न होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह पश्चिमी बंगाल सरकार को हटाना चाहती है। पश्चिमी बंगाल सरकार इस समस्या को हल करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है।

श्री पं० राम मूर्ति (मदुरै) : इस समस्या का कोई भावनात्मक हल नहीं है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि यह एक सामाजिक तथा आर्थिक समस्या है जो कि गत बीस वर्ष के कांग्रेस के शासन में उत्पन्न हुई है। आदिम जाति लोगों की भूमि को उन से छीन लिया गया है तथा वहां पर जमींदारों को बसाया गया है। गत कुछ वर्षों से इन जमींदारों द्वारा संथल लोगों पर किये जाने वाले अमानवीय अत्याचारों के बारे में सुनने में आता रहा है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार इस समस्या पर तुरन्त ध्यान नहीं दे सकी। दूसरी ओर लोगों ने नई सरकार के आने पर अपनी भावनाओं को प्रकट

करने का यही समय उचित समझा। ऐसा स्वभाविक ही था। जब पहली बार 1937 में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी तो पहले ही महीने में अनेक हड़तालें आदि हो गई थीं क्योंकि लोग नई सरकार को अपनी भावनाओं आदि के बारे में अवगत कराना चाहते थे।

लोगों का कहना है कि यह एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है। परन्तु क्या वहां के लोगों को असंतुष्ट रखकर उसकी रक्षा की जा सकती है? मेरे विचार से वहां के लोगों को संतुष्ट रखकर उनका समर्थन प्राप्त कर ही उस क्षेत्र की रक्षा करना सम्भव है। इसलिए ही वहां के लोगों को संतुष्ट रखने के लिए राज्य सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। वहां पर छः मंत्रियों तथा एक राजस्व अधिकारी को भेजा गया है। जिससे कि समस्या को हल करने में सहायता मिले तथा लोगों में यह विश्वास उत्पन्न किया जा सके कि उनके साथ न्याय किया जायेगा और सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उत्सुक है। उसके अतिरिक्त इस समस्या का अन्य कोई हल नहीं है। यदि कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया गया तो समस्या के और जटिल हो जाने की सम्भावना है। इस दृष्टिकोण का समर्थन पुलिस के आई० जी० द्वारा भी किया गया है।

जहाँ तक अन्य राज्यों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सम्बन्ध है सरकार यहां चर्चा करने से हिचकचाती है; परन्तु पश्चिमी बंगाल के बारे में चर्चा करने के लिए तुरन्त तैयार हो जाती है। विधि व्यवस्था एक राज्य विषय है। भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि भारत सरकार ऐसा करेगी तो जनता द्वारा इसका विरोध किया जायेगा। सरकार को ऐसे वक्तव्य जारी नहीं करने चाहिए जिससे कि पश्चिमी बंगाल सरकार का काम और कठिन हो जाये। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए जिससे कि आर्थिक तथा राजनैतिक पहलू से इस समस्या का समाधान कर सकें।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) ; कई बार असम्बन्ध तत्वों तथा मामलों को बीच में लाकर एक जटिल समस्या को और जटिल बना दिया जाता है। यह निश्चित है कि इस क्षेत्र के लोगों का जमींदारों द्वारा दमन किया जाता रहा है तथा उन लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं। इससे सभी राजनैतिक दल लाभ उठाकर समस्या को अधिक गम्भीर बना रहे हैं।

यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने स्थिति पर निगाह रखी हुई है तथा स्थिति का अध्ययन करने के लिए उसने छः मंत्री भी वहां पर भेजे हैं। वे अपनी सरकार को प्रतिवेदन देंगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिस में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हुआ तो सरकार अवश्य कदम उठायेगी क्योंकि यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है। परन्तु मेरे विचार से सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उत्सुक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार को उन लोगों से कोई आर्थिक समझौता करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए ही खड़ा हुआ है।

इस क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जो समाचार आ रहे हैं उनसे बहुत व्यग्रता हुई है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है। मैंने कल पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को एक तार दिया है जिस में इस बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है तथा इस क्षेत्र में शीघ्र ही विधि-व्यवस्था को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उनसे अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इस विषय पर पूरा वक्तव्य देने में मैं असमर्थ हूँ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दार्जिलिंग जिले में सिलिगुरी सब-डिविजन के नक्सलबाड़ी, खारीबाड़ी तथा फानसिदिबया पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है जिसको अराजकता की स्थिति कहा जा सकता है। इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या जनजाति लोगों की है। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातियों की कुछ वास्तविक शिकायतें भी हैं। फसल को बांटने आदि तथा अवैध रूप से लोगों को भूमि से निकालने आदि के बारे में भी कुछ शिकायतें हैं। परन्तु हमें यह भी पता है कि आदिम जाति के लोगों को गुमराह करने तथा कानून को तोड़ने के लिए कुछ निश्चित प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। हमें डर है कि स्थिति एक गम्भीर संकट की ओर बढ़ रही है। हमारी शंकाओं की पुष्टि हो गई जबकि 24 मई को पुलिस अधिकारियों के एक दल पर बर्बरता पूर्ण आक्रमण किया गया तथा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। 25 मई की घटना से, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी तथा जिसके फल-स्वरूप हम लोगों को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। हमें बड़ा दुख हुआ है। हमें ऐसे भी समाचार प्राप्त हुए हैं कि 8 से 10 जून के बीच लूट, आक्रमण तथा आग उगलने वाले हथियारों को जबर्दस्ती हथियाने की घटनाएं भी हुई हैं। इन सूचनाओं से आगे पता लगता है कि कुछ मामलों में इन अवैध ग्रुप के लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अराजकता के 80 मामले हुए हैं। हमें यह भी पता चला है कि लगभग 150 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग बारह व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

हमारे पास यह मानने के प्रमाण हैं कि कुछ उग्रवादी लोग जो न तो संविधान में विश्वास रखते हैं और न ही विधिवत प्रगति में विश्वास रखते हैं इन घटनाओं को भड़काने में मुख्य भाग ले रहे हैं। कुछ समाचारों से यह भी पता चलता है कि कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। गत मास राज्य सरकार ने हमें सूचित किया था कि कांग्रेस, बंगला कांग्रेस तथा संयुक्त समाजवादी दल ने एक संयुक्त जलूस 18 अप्रैल को निकाला था तथा उनके कुछ प्रतिनिधियों ने एक संकल्प में मांग की थी कि वामपंथी साम्यवादियों का सशस्त्र प्रदर्शन पर रोक लगाई जाये।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है। ऐसे भी समाचार हैं कि उनके कई मंत्री इस क्षेत्र में गये हैं। आशा है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने तथा विधि व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगी। ऐसी किसी बात की वह अनुमति नहीं देगी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो।

श्री कंवरलाल गुप्त ने इस सभा के सभी दलों के सदस्यों पर आधारित उस क्षेत्र में प्रतिनिधि मण्डल भेजने का जो सुझाव दिया है वह स्वागत योग्य है। मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह एक ऐसा छोटा प्रतिनिधि मण्डल भेजे जो इस सभा को उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में सूचना दे। परन्तु ऐसा प्रतिनिधि मण्डल तभी प्रभावशाली होगा जबकि यह शीघ्र ही भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार 14 जून, 1967/24 ज्येष्ठ 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, June, 14, 1967/ Jyaistha 24, 1889 (Saka).